



सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

18 मार्च, 2016

षोडश विधान सभा
द्वितीय सत्र

शुक्रवार, तिथि 18 मार्च, 2016 ई०
28 फाल्गुन, 1937 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

प्रश्नोत्तरकाल

(व्यवधान)

अध्यक्ष:- तारांकित प्रश्न संख्या:-1727 ।

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार:- महोदय, अपराध पर चर्चा हो, बिहार में मर्डर मिस्ट्री हो रही है, मौत का कारखाना है बिहार, महोदय, न विधायक यहाँ सुरक्षित है, न व्यवसायी सुरक्षित है और न ही आम आदमी सुरक्षित है..... (व्यवधान)

(इस अवसर पर सी०पी०आई० (एम०एल०) के सभी माननीय सदस्यगण तख्ती दिखाते हुए वेल में आ गये)

अध्यक्ष:- नेता, विरोधी दल, प्रेम बाबू बोलिये।

श्री प्रेम कुमार:- महोदय, राजधानी पटना में दो हत्या हुई है, सीतामढ़ी में दाल व्यवसायी की हत्या हुई है, किसान की हत्या हुई है, वकील की हत्या वीरपुर में हुई है, पूरे राज्य में लगातार हत्या का सिलसिला जारी है महोदय, तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार अपराध को रोकने के लिए इसपर वक्तव्य दे, एक हफ्ते के अंदर में एक दर्जन हत्या हुई है, व्यवसायी मारा गया है, किसान मारे जा रहे हैं, युवा की हत्या हुई है, वकील की हत्या हुई है, ठीकेदार की हत्या हुई है, इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहेंगे कि हत्याओं का सिलसिला कब तक रुकेगा, सरकार इसपर क्या कर रही है, यह हम सरकार से जानना चाहते हैं।

अध्यक्ष:- ठीक है। आप समय पर उठाईयेगा, सरकार इसपर उसी के हिसाब से जवाब देगी।

माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम जी, आपलोग अपनी सीट पर जाकर अपनी बात को कहिये।

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव राम:- अध्यक्ष महोदय, पूरे बिहार में एक से आठ तक विद्यालयों में शिक्षा समिति द्वारा रसोईया का चयन किया गया है और वह रसोईया भोजन बनाती है, बच्चों को गर्मागर्म भोजन खिलाती है.....(व्यवधान)

अध्यक्ष:- आप समय पर न उठाईयेगा, अभी क्यों इसपर कहना चाहते हैं ?

श्री सत्यदेव राम:- हम चाहते हैं कि आप इसपर सरकार को निदेश दे कि वे वक्तव्य दें।

अध्यक्ष:- ठीक है। आप इसको उचित समय पर उठाईयेगा, सरकार इसको देखेगी।

तारांकित प्रश्न संख्या:- 1727 (श्री नारायण प्रसाद)

श्रीमती अनिता देवी:- अध्यक्ष महोदय, 1:- उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।

2:- उत्तर अस्वीकारात्मक है।

3:- पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा अधिसूचित उदयपुर वन्य प्राणी आश्रयणी के अन्तर्गत सरैया मन झील अवस्थित है। सरैया मन झील में नौकायान की सुविधा, दो वाच टावर, चिड़िया को देखने के लिए बड़े भू युक्त प्वायंट एवं झील के किनारे बैठने के लिए चबूतरे का निर्माण कराया गया है। यहाँ पर्यटकों को ठहरने के लिए दो यूको हच तथा दो कमरे का वन विश्रामागार निर्मित है।

श्री नारायण प्रसाद:- महोदय, सरैया मन ऐतिहासिक मन है, वहाँ उसके किनारे जामुन का पेड़ है, उस पेड़ से जामुन पानी में गिरता है और वह पानी शहर तक जाता है पीने के लिए और इससे चीनी की बीमारी नहीं होती है और आज तक सरैया मन को रोड से नहीं जोड़ा गया है, बेतिया शहर से कोई भी सीधा सड़क नहीं है, पर्यटन की व्यवस्था के लिए रोड का होना भी जरूरी है, इसलिए रोड की व्यवस्था होनी चाहिए और आने जाने के लिए पर्यटकों को साधन की व्यवस्था होनी चाहिए, तब ही पर्यटन का बढ़ावा हो सकता है और सरकार की आय बढ़ सकेगी, इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूँ कि उस सरैया मन में पर्यटन स्थल में मूलभूत संरचना की व्यवस्था किया जाय, सड़क की व्यवस्था किया जाय और वहाँ परिवहन की व्यवस्था किया जाय ताकि बिहार के लोग आसानी से पर्यटन केन्द्र पर पहुंचे और इससे सरकार को राजस्व में भी वृद्धि होगी।

अध्यक्ष:- सरैया मन के संबंध में इतनी सारी बातें कह रहे हैं लेकिन सरैया मन तालाब की मछली भी प्रसिद्ध होती है, यह आप नहीं बता रहे हैं।

तारांकित प्रश्न संख्या:- 1728 (श्री प्रमोद कुमार)

श्री तेज प्रताप यादव:- महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है। निगम भी एम0एस0आई0सी0एल0 से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सदर प्रखंड के कर्मों का आवास, डायग्नोस्टिक सेंटर पहुंच पथ के लिए प्राप्त समेकित प्राक्कलन को योजनावार देने हेतु निगम को निदेश दिया गया है। संशोधित प्राक्कलन प्राप्त होने पर काम कराया जायेगा।

श्री प्रमोद कुमार:- अध्यक्ष महोदय, कब तक होगा, एक समय सीमा तो बताया जाय, यह 2013-14 से ही लंबित है और यह सब भवन सरकार का ढह गया है।

श्री तेज प्रताप यादव:- महोदय, अगले वित्तीय वर्ष में इसे करा दिया जायेगा।

अध्यक्ष:- अब तो साफ है न ।

तारांकित प्रश्न संख्या:- 1729 (श्री जयवर्धन यादव)

श्री तेज प्रताप यादव:- महोदय, 1:- उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।

2:- उत्तर स्वीकारात्मक है।

3:- पोस्टमार्टम की सुविधा मेडिकल कॉलेज एवं सदर अस्पतालों में दिया जाना है। पालीगंज अनुमंडलीय अस्पताल में पोस्टमार्टम की सुविधा देने की तत्काल योजना नहीं है।

तारांकित प्रश्न संख्या:- 1730 (डा0 मुहम्मद जावेद)

श्री तेज प्रताप यादव:- महोदय, 1:- उत्तर स्वीकारात्मक है।

2:- स्वास्थ्य उपकेन्द्र में चिकित्सा पदाधिकारी का पद स्वीकृत नहीं है। स्वास्थ्य उपकेन्द्र कुलामनी में ए0एन0एम0 का दो पद स्वीकृत है,उसके विरुद्ध दो ए0एन0एम0 पदस्थापित है।

3:- उपर्युक्त खण्ड में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

डा0 मो0 जावेद:- अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला है और यह सवाल कुलामनी पंचायत का है और दूसरा सवाल आने वाला है डुबानोची पंचायत का। तो महोदय, हमारे यहाँ जितने स्वास्थ्य उपकेन्द्र हैं,वहाँ कहीं पर भी डाक्टर नहीं हैं,अगर माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि दो पोस्टेड हैं वहाँ, लेकिन कोई नहीं जाता है, इसलिए इस गंभीरता को देखते हुए सर..... (व्यवधान)

अध्यक्ष:- माननीय सदस्य जावेद जी, माननीय मंत्री जी ने यह बताया है कि उक्त स्वास्थ्य उपकेन्द्र में चिकित्सक का पद स्वीकृत नहीं है यानी चिकित्सक वहाँ नहीं रहते हैं, माननीय मंत्री जी ने आपको बताया है, इन्होंने कहा है कि दो ए0एन0एम0 का पदस्थापन है

वहाँ पर, उसके संबंध में अगर आप बता रहे हैं कि वो ए0एन0एम0 नहीं रहती हैं वहाँ पर, तो उसको मंत्री जी दिखवा लेंगे।

डा० मो० जावेद:- नहीं महोदय, मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। मैं यह कह रहा हूँ कि वहाँ पर डाक्टर बहुत ही जरूरी है, यह मैं मानता हूँ कि वहाँ हर दिन रहना मुश्किल है लेकिन जितने भी उपकेन्द्र हैं सर, कम से कम हफ्ता में दो दिन स्पेसलाईज डाक्टर का जाना बहुत ही जरूरी है और जो इनके विभाग से जवाब आया है कि दो पोस्टिंग ए0एन0एम0 की है और वे रहती है, ऐसा बिल्कुल सरासर गलत बात है, आपको जहाँ से रिपोर्ट आयी है, उसकी जांच कराकर उनपर आप कार्रवाई करे।

श्री तेज प्रताप यादव:- महोदय, श्रीमती अनिता कुमारी एवं श्रीमती सीता कुमारी, ए0एन0एम0 पदस्थापित एवं कार्यरत हैं।

अध्यक्ष:- मंत्री जी, उसमें आप इतना करियेगा, वे कह रहे हैं कि वहाँ नहीं रहती है, इसको आप दिखवा लीजियेगा।

श्री तेज प्रताप यादव:- जी, दिखवा लूंगा।

टर्न: 02/कृष्ण/18.03.2016

तारांकित प्रश्न संख्या : 1731 (श्री उमेश सिंह कुशवाहा)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, 1. सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्र में ट्रांसफरमर जलने के बाद पर 72 घंटे के अंदर बदलने की का प्रावधान है ।

2. वैशाली जिलान्तर्गत महनार प्रखंड के रूपसीपुर में 100 के0वी0ए0 क्षमता के ट्रांसफरमर को दिनांक 15.03..2016 को बदल दिया गया है । जनदाहा प्रखंड के बेदौलिया के रामउचित सिंह के घर के निकट का 100 के0वी0ए0 का ट्रांसफरमर बहुत पहले से जला हुआ है । उक्त ग्राम में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत एक अदद 63 के0वी0ए0 एवं 3 अदद 16 के0वी0ए0 के ट्रांसफरमर अधिष्ठापित किये गये हैं जिससे सभी उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

श्री उमेश सिंह कुशवाहा : महोदय, वहां आवश्यकता है । बेदौलिया में रामउचित सिंह के घर के नजदीक पहले जल गया था जो अभी भी नहीं बदला गया है । और भी कई जगहों पर ट्रांसफरमर जले हुये हैं । मंत्री महोदय से मांग करते हैं ।

अध्यक्ष : और भी कई जगह है तो उसके लिये अलग से सूचना दीजिये ।

श्री उमेश सिंह कुशवाहा : जी । अलग से मंत्री जी को सूचना दे देंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 1732 (श्री श्रीनारायण यादव)

श्री तेज प्रताप यादव : अध्यक्ष महोदय, 1. स्वीकारात्मक है ।

2. स्वीकारात्मक है । वर्ष 2015-16 से बिजली में सुधार हुआ है

3. स्वीकारात्मक नहीं है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अस्पतालों में 24 घंटे सेवा उपलब्ध कराने एवं आवश्यक औजारों एवं ऑपरेशन कक्ष को चालू रखने के लिये जेनरेटर चलाया जाता है ।

4. आंशिक स्वीकारात्मक नहीं है ।

श्री श्रीनारायण यादव : महोदय, जवाब माननीय मंत्री जी ने दिया । ठीक है । लेकिन जिला अस्पताल में जेनरेटर लगा हुआ है, जबकि वहां बिजली की आपूर्ति 13 से 17 या 18 घंटे है तो फिर जेनरेटर पर जो व्यय हो रहा है, उसका औचित्य बतायें।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 1733 (श्री प्रमोद कुमार)

श्री तेज प्रताप यादव : महोदय, स्वीकारात्मक है । ठेकहां में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है एवं स्वास्थ्य उप केन्द्र, ठेकहां के भवन में चल रहा है । भूमि चयनित है । राशि उपलब्ध होने पर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण कराया जायेगा ।

श्री प्रमोद कुमार : महोदय, कब तक हो जायेगा ? वह बहुत पहले से चयनित है । इसका समय निर्धारण करा दीजिये ।

श्री तेज प्रताप यादव : जैसे ही निधि उपलब्ध होगी, शीघ्र करा दिया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 1734 (श्री(मो0)आफाक आलाम)

श्री तेज प्रताप यादव : महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जलालगढ़ को 30 बेड वाला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाया जाना है । भवन

निर्माण की योजना भी निगम बी0एम0एस0आई0सी0एल0को स्वीकृत है । परन्तु राशि के अभाव में निर्माण नहीं हो सका है । राशि उपलब्ध होने पर निर्माण कराया जायेगा।

श्री मो0आफाक आलम : महोदय, कब तक हो जायेगा ?

तारांकित प्रश्न संख्या : 1735 (श्री सुधांशु शेखर)

श्री तेज प्रताप यादव : स्वीकारात्मक है । चिकित्सकों की अनुशंसा बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त है । उपलब्धता के आधार पर पदस्थापन करा दिया जायेगा ।

श्री सुधांशु शेखर : महोदय, यह मेरा पहला और गंभीर प्रश्न है । अतः आपसे आग्रह है कि जल्द से जल्द यहां महिला चिकित्सक की नियुक्ति की जाय और समय निर्धारित किया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ने कहा है कि बी0पी0एस0सी0 से अनुशंसा प्राप्त हो रही है, पदस्थापन कर दिया जायेगा ।

श्री नन्द किशोर यादव : अभी उप चुनाव जीत कर आये हैं । इनका पहला प्रश्न है । समय निर्धारित हो जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, श्री सुधांशु जी अभी उप चुनाव जीत कर आये हैं, पहना प्रश्न है, इसका भी माननीय मंत्री जी ख्याल रखेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 1736 (श्री अशोक कुमार सिंह)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, स्वीकारात्मक है । औरंगाबाद जिलान्तर्गत रफीगंज प्रखंड के कासमा में दीन दयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत नया विद्युतशक्ति उपकेन्द्र स्वीकृत है। दो वर्षों के अंदर पावर सबस्टेशन निर्माण कराने का लक्ष्य है ।

श्री अशोक कुमार सिंह : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 1737 (श्री उमेश सिंह कुशवाहा)

श्री तेज प्रताप यादव : 1. आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि वैशाली जिलान्तर्गत जनदाहा के अरनिया पंचायत से मात्र डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जनदाहा संचालित है । चांद सराय में स्वा0उपकेन्द्र किराये के भवन में संचालित है । राशि की उपलब्धता के आधार पर स्वा0 उपकेन्द्र, चांद सराय के भवन

का निर्माण कराया जायेगा । तत्काल अतिरिक्त प्रा0स्वा0केन्द्र खोलने की योजना नहीं है।

तारांकित प्रश्न संख्या : 1738 (श्री सुरेन्द्र कुमार)

श्री तेज प्रताप यादव : महोदय, 1. स्वीकारात्मक है ।
2. राशि उपलब्ध होने पर मरम्मत करा दिया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 1739 (श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन)

श्री तेज प्रताप यादव : महोदय, 1. स्वीकारात्मक है
2. दुकानदारों द्वारा जेनरिक दवा अंकित खुदरा मूल्य पर ही बेची जाती है । अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचे जाने की लिखित सूचना विभाग को प्राप्त नहीं है । इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी
3. जेनरिक दवा के रैपर में किसी भी प्रकार का बदलाव करने का अधिकार भारत सरकार को है । राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से अनुरोध किया गया है कि रैपर में बदलाव किये जाने की दशा में कार्रवाई करें ताकि आम जनता द्वारा ब्रांडेड एवं जेनरिक दवाओं की पहचान आसानी से की जा सके ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 1740 (श्री नन्द कुमार राय)

श्री विजेन्द्र प्र0 यादव : महोदय, मोतीपुर प्रखंड के खन्तरी, महानन्द (प्रसौनीनाथ प0) मुस्लिम टोला, पकड़ी पटेल टोला स्थित जले 16/25 के0वी0ए0 को बदलने का लक्ष्य अप्रैल, 16 है । बंगरा फिरोज, राजपुत टोला के जले ट्रांसफरमर 16/25 के0वी0ए0 के ट्रांसफरमर को 63 के0वी0ए0 में 23.02.2016 को बदल दिया गया है ।

श्री नन्द कुमार राय : महोदय, मेरा आग्रह है कि इसके अलावे वहां 32 ऐसे ट्रांसफरमर हैं जिसको भी तुरंत बदला जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

टर्न-3/सत्येन्द्र/18-3-16

श्री नन्द कुमार राय : अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा विभाग के कटौती प्रस्ताव में बजट के भाषण में ऊर्जा मंत्री ने बिजली के विकास पर काफी बखान किया लेकिन हम देख रहे हैं..

अध्यक्ष: आप इसके बारे में पूछिये न?

श्री नन्द कुमार राय: लेकिन अभी 2-2 माननीय सदस्य का सिर्फ ट्रांसफॉर्मर बदलने के लिए विधान-सभा में प्रश्न करना पड़ता है। हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि..

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न संख्या-1741(श्री नन्दकिशोर यादव)

अध्यक्ष: आप तो अपने मित्र से ही प्रश्न पूछ रहे हैं?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव: 1-पटना जिला के पटना सिटी में आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना अन्तर्गत 11 के0भी0ए0 ओवरहेड लाईन 5.6 कि0मी0 एवं 1. ओवर लाईन के 66.1 कि0मी0 खुले तारों को बदलकर ए0बी0 केबुल से किया जाना है।

2-उपरोक्त योजना अन्तर्गत 5.6 कि0मी0 11 के0भी0ए0 ए0वी0 केबुल से 2.67 कि0मी0 और 6.1 कि0मी0 एल0टी0 केबुल से 3.3 किलोमीटर, 61 कि0मी0 से लगाया जा चुका है तथा शेष कार्य को जून,16 तक पूरा किया जाने का लक्ष्य निर्धारित है।

श्री नन्दकिशोर यादव: महोदय,मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ,क्या यह बात सही है कि इस योजना को दिसम्बर,2015 तक पूरा होना था अगर 2015 तक पूरा होना था तो नहीं हुआ अबतक तो इसके लिए कौन दोषी है और उस पर सरकार क्या कार्रवाई करना चाहती है?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव: महोदय, चुनाव आयोग के निर्देश के आलाक में चुनाव हो रहा था चुनाव के कारण स्वाभाविक है सब काम में देरी हो गयी।

श्री नन्दकिशोर यादव: महोदय,मंत्री महोदय गुमराह कर रहे हैं। इस शब्द का इस्तेमाल जानबुझकर कर रहा हूँ महोदय,कोई भी योजना जो चालू योजना है,चालू योजना पर कोई भी चुनाव आयोग का रोक नहीं होता है और ये योजना चुनाव के समय स्वीकृत नहीं हुआ है। ये पहले से स्वीकृत है, चुनाव से पहले से स्वीकृत है। महोदय,इसलिए आप ये गुमराह करने की कोशिश मत कीजिये। आप यह बतलाई कि जो काम दिसम्बर 2015 में पूरा होना था वो अबतक पूरा नहीं हुआ उसके लिए कौन दोषी है, उस पर क्या कार्रवाई करना चाहते हैं आप?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव: चुनाव की प्रक्रिया जब महोदय प्रारम्भ होती है तो स्वाभाविक रूप से प्रशासन के हर लोग जो हैं उन्हीं काम में लग जाते हैं या रूची लेती है तो चुनाव के समय तो एक दूसरा माहौल होता है। देरी हो गयी, जल्द ही इसको टारगेटेड कर के तय सीमा है उसके अन्दर पूरा कर लिया जायेगा।

श्री नन्दकिशोर यादव: महोदय, चुनाव से इसका क्या लेना देना है। महोदय इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा किसी को, महोदय इन्होंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा बदलने के लिए, कोई अफसर तो उसमें लगा नहीं होगा। जब कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो इसका क्या मतलब है कि चुनाव के समय कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करता है क्या? मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ, क्या यह बात सही है कि आपका अपने विभाग के अधिकारियों पर कोई पकड़ नहीं है। चुनाव में आप चले गये चुनाव लड़ने के लिए तो आपके अधिकारी काम नहीं किये, ये सत्य है क्या?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव: महोदय, हमारे विभाग पर इनका ही अधिकार है। अपने विभाग जब ये देखते थे तो उनको कोई अधिकार नहीं था, उस समय भी मेरा ही अधिकार था अब भी मेरा ही अधिकार है।

तारांकित प्रश्न संख्या-1742(श्री नारायण प्रसाद)

श्री तेज प्रताप यादव: 1- उत्तर स्वीकारामक नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नौतन तथा बैरिया में जेनरेटर से प्रत्येक दिन 22 घंटा बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित है संस्थान में बिजली की उपलब्धता रहने के कारण जेनरेटर का संचालन कम से कम अवधि में होता है। बिजली उपलब्धता नहीं रहने की अवधि में ही जेनरेटर से बिजली आपूर्ति की जाती है। इस प्रकार संस्था में अंधेरा नहीं रहता है।

श्री नारायण प्रसाद: महोदय, कोई भी स्वास्थ्य केन्द्र बैरिया और नौतन हमारे निर्वाचन क्षेत्र में है, जांच करा लिया जाये कि बिजली की स्थिति क्या है और जेनरेटर वहां कॉन्ट्रैक्ट पर लगा हुआ है। स्वयं हमलोग वहां देख रहे हैं और जेनरेटर का कोई जेनरेटिंग करने वाला कोई नहीं मिलता है और आता भी है तो बहुत जरूरी होता है तो एक घंटा दो घंटा चलता है बाकी अंधेरे में होस्पिटल रहता है और प्रमुख स्वास्थ्य केन्द्र है हेडक्वार्टर है, पूरे प्रखंड का वहां इलाज होता है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी चाहेंगे कि वहां रोशनी की व्यवस्था जेनरेटर के माध्यम से कम से कम 20 घंटा करायी जाय।

अध्यक्ष: आपका यही न कहना है कि रोशनी पर्याप्त होनी चाहिए?

श्री नारायण प्रसाद: जी।

तारांकित प्रश्न संख्या-1743(श्री संजय कुमार सिंह)

श्री तेजप्रताप यादव: 1-आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि अनुमंडलीय अस्पताल, विक्रमगंज में ब्लड स्टोरेज सेंटर की स्थापना दिनांक 16 अगस्त, 2010 को

हुई थी। विगत दिनांक 15 अगस्त, 2012 को लाईसेंस की अवधि समाप्त होने एवं पदस्थापित तकनीकी पदाधिकारी के ट्रांसफर हो जाने के कारण लाईसेंस का नवीकरण नहीं हो सका है। अतः उक्त ब्लड स्टोरेज सेंटर अभी बंद है।

2-उक्त ब्लड स्टोरेज सेंटर को शीघ्र चालू कराने हेतु तकनीकी पदाधिकारी एवं कर्मचारी के रूप में एक चिकित्सा पदाधिकारी एवं लैब टेक्निशियन को प्रशिक्षण दिया गया है। शीघ्र ही उक्त ब्लड स्टोरेज सेंटर को चालू करा दिया जायेगा।

श्री संजय कुमार सिंह: धन्यवाद।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1744(श्री विजय कुमार खेमका)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव: 1-पूर्णिया के पूर्णियां एवं पूर्णियां पूर्व प्रखंड अन्तर्गत विक्रमपुर पंचायत के विशनपुर गांव में 16 के0भी0ए0 के दो ट्रांसफर्मर के स्थान पर 63 के0भी0ए0 के ट्रांसफर्मर सांसद निधि से अधिष्ठापित कर ऊर्जान्वित किया जा चुका है। वर्तमान में इसी 63 के0भी0ए0 ट्रांसफर्मर के द्वारा एल0टी0 लाईन में विद्युत की आपूर्ति की जा रही है।

2- पूर्णियां एवं पूर्व प्रखंड गौरा पंचायत के हिम्मतपुर गांव में 16 के0भी0ए0 के जगह पर 63 के0भी0ए0 ट्रांसफर्मर द्वारा एल0टी0 लाईन से विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

3-पूर्णिया पूर्व प्रखंड अन्तर्गत गौरा पंचायत के कदवा कांडी गांव में 16 के0भी0ए0 ट्रांसफर्मर के स्थान पर 63 के0भी0ए0 ट्रांसफर्मर सांसद निधि से अधिष्ठापित कर ऊर्जान्वित किया जा चुका है। वर्तमान में इसी 63 के0भी0ए0 के द्वारा एल टी0 लाईन में विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

4-पूर्णिया पूर्व प्रखंड के गौरा पंचायत के कालसर किस्मत गांव में 16 के0भी0ए0 ट्रांसफर्मर सांसद निधि से अधिष्ठापित कर ऊर्जान्वित किया जा चुका है वर्तमान में चालू 16 के0भी0ए0 ट्रांसफर्मर के द्वारा एल0टी0 लाईन में विद्युत आपूर्ति की जा रही है

5-सांसद निधि से अबतक पूर्णिया में ट्रांसफर्मर अधिष्ठापन हेतु 456 योजनाओं में राशि प्राप्त हुई है जिसमें से 356 योजना को पूरा किया जा चुका है।

6-सांसद निधि के अन्तर्गत मात्र शेष 100 योजनाओं को मई 2016 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

श्री विजय कुमार खेमका: अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन सांसद द्वारा जो है 456 योजना को स्वीकृति दी गयी थी और अभी अभी अध्यक्ष महोदय मंत्री जी ने बताया कि पूर्णिया विधान-सभा के पूर्णियां प्रखंड के ये जो गांव है, ये गांव अत्यंत पिछड़ा आदिवासी और अनुसूचित जाति के गांव हैं और यह तत्कालीन सांसद द्वारा दी गयी निधि से स्वीकृत योजना थी जहां कि ये ट्रांसफॉर्मर एल0टी0 एस0टी0 तार सहित लगाना था। मेरे पास प्रमाण है अध्यक्ष महोदय, मैं वहां तक पहुंचाने का काम करूंगा। यह 2013 की योजना है, अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि ये 2013 की योजना जो 456 की थी जिसमें अभी मंत्री जी से बताया कि 100 से ज्यादा योजना अभी लंबित है। इस योजना को 3 साल हो गये हैं। अध्यक्ष महोदय और सरकार का सात निश्चय है उसमें यह आया है कि घर घर बिजली हम पहुंचायेंगे।

अध्यक्ष: प्रश्न न पूछिये?

श्री विजय कुमार खेमका: अध्यक्ष महोदय, यह उसी से संदर्भित है अध्यक्ष महोदय, अभी अभी आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने बिजली पहुंचाने के लिए, बिजली में सहयोग करने के लिए

(व्यवधान)

सुनिये न भाई। अरे आप ही का बात कह रहा हूँ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को बिजली घर-घर पहुंचाने की दिशा में.....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने आपको बतलाया कि सांसद निधि से 456 योजनाएं स्वीकृत हुई थी उसमें से 356 क्रियान्वित है और बाकी जो बचे हैं उसको मई, 16 तक करा दिया जायेगा यानी दो महीने में करा दिया जायेगा। अब क्या प्रश्न है आपका?

श्री विजय कुमार खेमका: अध्यक्ष महोदय, उसी से संबंधित है।

अध्यक्ष: क्या है, प्रश्न पूछिये न?

श्री विजय कुमार खेमका: उसमें सहयोग के लिए प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त किया है लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस पंचायत में जो लगना था ट्रांसफॉर्मर वह नहीं लगा।

(व्यवधान)

टर्न-4/मधुप/18.3.16

अध्यक्ष : प्रश्न संख्या- 1745 । मो0 आफाक आलम ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक प्रश्न बाकी है ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1745 (मो0 आफाक आलम)

श्री तेज प्रताप यादव : महोदय, स्वीकारात्मक है । कसबा प्रखंड के गड़ी पंचायत के विजयगंज में स्वास्थ्य उप केन्द्र कार्यरत है । चहारदिवारी निर्माण की तत्काल योजना नहीं है ।

मो0 आफाक आलम : अध्यक्ष महोदय, उसकी चहारदिवारी करना बहुत जरूरी है चूंकि बीच गाँव में वह पड़ता है और उसमें लोग खेत-खलिहान का पूरा सामान लाकर वहीं पर रखता है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी को बता दीजिये । इसको देखवा लेंगे ।

मो0 आफाक आलम : उसको देखवा लिया जाय ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1746 (श्री अनिल सिंह)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अनिल सिंह ।

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या- 1747 (श्री अजीत शर्मा)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, 1. भागलपुर शहर के कुछ मुहल्लों में वर्षों से पूर्व से लकड़ी के पोल पर एल0टी0 लाईन लगा है । वर्तमान में भागलपुर शहर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति फेंजाइजी कम्पनी बी0आई0जी0सी0ई0एल0 द्वारा किया जा रहा है । फेंजाइजी क्षेत्र में विद्युत संरचना के सुदृढ़ीकरण का कार्य फेंजाइजी कम्पनी के द्वारा ही किया जाना है । इसके तहत फेंजाइजी कम्पनी द्वारा अबतक 107 अदद लकड़ी के पोल को सीमेंट पोल में एवं इसपर लगे तार को बदला जा चुका है। शेष बचे लकड़ी के पोल एवं उसपर लगे तारों को प्राथमिकता के आधार पर बदला जा रहा है ।

2. आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । जर्जर पोल के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं होती है ।

3. फ्रेंजाइजी कम्पनी द्वारा विद्युत की आपूर्ति भूमिगत करने की वर्तमान में कोई योजना नहीं बनाई गई है ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे लकड़ी के पोल अभी पड़े हैं जिनको कंक्रीट पोल में नहीं बदला गया है, जर्जर तार नहीं बदले गये हैं । वह तार टूटकर गिरता है और बिजली बाधित होती है । कृपया आप जाँच करा लें और उसपर कड़ाई करें ताकि वह वह वहाँ काम करे । वह कम्पनी काम नहीं कर रहा है ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1748 (श्री राम नारायण मंडल)

श्री तेज प्रताप यादव : महोदय, 1. स्वीकारात्मक है । अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नारायणपुर एवं खड़हरा स्वीकृत एवं कार्यरत भी हैं ।

2. स्वीकारात्मक है ।

3. निधि उपलब्धता होने पर भवन का निर्माण कराया जायेगा ।

श्री राम नारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय, यह निधि उपलब्धता एक शब्द हो गया है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूँ, यह जो खड़हरा ग्राम है, विधान सभा के मुख्य द्वार पर सात शहीद जो आपको दिखाई पड़ते हैं, उसी में से एक शहीद सतीश चन्द्र झा जी का वहाँ घर है ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि अगले वित्तीय वर्ष 2016-17 में दो महीना के अन्दर जो भवन का अभाव है, दोनों स्थानों पर निर्माण करा देंगे ? यह मैं आपके माध्यम से प्रश्न करना चाहता हूँ ।

श्री तेज प्रताप यादव : महोदय, अगले वित्तीय वर्ष में करवा देंगे ।

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न संख्या- 1749 (श्रीमती सुनीता सिंह चौहान)

अध्यक्ष : श्री अशोक कुमार सिंह प्राधिकृत हैं ।

श्री तेज प्रताप यादव : महोदय, स्वीकारात्मक नहीं है । वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिला के परसौनी प्रखंड में स्वास्थ्य उप केन्द्र.... (व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति-शांति ।

श्री तेज प्रताप यादव : स्वीकार गाँव स्वीकृत है किन्तु कार्यरत नहीं है । भूमि भी उपलब्ध नहीं है । भूमि उपलब्ध कराने हेतु जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी को निर्देश दिया गया है । भूमि उपलब्ध होने एवं राशि की उपलब्धता के आधार पर भवन बनाया जायेगा ।

श्री अशोक कुमार सिंह(224) : अध्यक्ष महोदय, जो हमलोगों की जानकारी है, उसमें भूमि उपलब्ध है और वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में बी0एम0आई0सी0एल0 के पास, जो इनका बिहार मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड है, उनके पास 2 अरब 86 करोड़ रूपया भवन निर्माण के लिए उपलब्ध है । किस कारण से या कॉरपोरेशन की लापरवाही से भवन का निर्माण बेलसंड में उप स्वास्थ्य केन्द्र का नहीं हुआ है ?

अध्यक्ष : मंत्री जी ने जो आपको बताया है कि उनकी सूचना के मुताबिक जमीन उपलब्ध नहीं है और आप कह रहे हैं कि जमीन उपलब्ध है तो उसको माननीय मंत्री जी देखवा लेंगे।

श्री अशोक कुमार सिंह(224) : माननीय मंत्री जी फिर से अपने पदाधिकारियों से देखवा लेंगे, जमीन उपलब्ध है और निधि भी उपलब्ध है । इसलिये वहाँ उप स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण कराया जाय । ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1750 (श्री सुरेन्द्र कुमार)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, मुजफ्फरपुर जिला के औराई प्रखंड में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत प्रगति पर है । कटौझा राजस्व ग्राम धरवाहा का टोला है । धरवाहा गाँव योजना में डी0पी0आर0 में सम्मिलित है, जिसके सर्वे का कार्य पूर्ण हो गया है । घनश्यामपुर पंचायत के ग्राम कल्याणपुर योजना में डी0पी0आर0 में नहीं है । उक्त ग्राम का विद्युतीकरण बी0आर0जी0एफ0 फेज-2 के अन्तर्गत कराने की योजना है । मुजफ्फरपुर जिला के कटरा प्रखंड में विद्युत आपूर्ति फेंजाइजी मेसर्स एस्सेल विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड द्वारा की जा रही है । फेंजाइजी इलाके में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ करने हेतु फेंजाइजी के एकरारनामा के शर्तों के अनुरूप कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है एवं ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य शुरू करने का लक्ष्य मई, 2016 निर्धारित है ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1751 (श्री राज कुमार राय)

श्री तेज प्रताप यादव : महोदय, 1. स्वीकारात्मक नहीं है । वस्तुस्थिति यह है कि बिथान प्रखंड स्थित पुसहो में स्वास्थ्य उप केन्द्र संचालित है । जिसके द्वारा आम जनता को स्वास्थ्य सुविधा दी जाती है ।

2. आवश्यकता नहीं है ।

श्री राज कुमार राय : अध्यक्ष महोदय, प्रखंड से काफी दूर पुसहो गाँव है और सुदूर देहात में है। मैं माननीय मंत्री से आपके माध्यम से मॉग करना चाहता हूँ कि वहाँ गरीबों के जनहित को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य उप केन्द्र खोलने का विचार रखते हैं ?

अध्यक्ष : मंत्री जी ने बताया कि वहाँ स्वास्थ्य उप केन्द्र संचालित है, आपने सुना नहीं ।

श्री राज कुमार राय : महोदय, पुसहो में है ही नहीं ।

अध्यक्ष : देखवा लीजियेगा, मंत्री जी ।

श्री तेज प्रताप यादव : देखवा लेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1752 (श्री निरंजन कुमार मेहता)

श्री तेज प्रताप यादव : महोदय, 1. स्वीकारात्मक है ।

2. आंशिक स्वीकारात्मक है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुरलीगंज में महिला चिकित्सक कार्यरत है ।

3. चिकित्सकों का अनुशंसा बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त है । आवश्यकतानुसार पदस्थापन शीघ्र करा दिया जायेगा ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गुजारिश करता हूँ कि उदाकिशुनगंज अनुमंडल है, जेल है, न्यायालय है, अनुमंडल कार्यालय है, थाना, प्रखंड सब है । वहाँ पर महिला चिकित्सक लम्बे अर्से से 10 साल से नहीं है, पहले कार्यरत थीं ।

महोदय, माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि मुरलीगंज में कार्यरत है, मुझे तो लगता है कि कार्यरत नहीं है, हम पता लगा लेंगे लेकिन हमको खबर है कि वहाँ भी नहीं है । उदाकिशुनगंज, मुरलीगंज, ग्वालपाड़ा, बिहारीगंज चारों प्रखंड कार्यालय हैं, पी0एच0सी0 है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि चारों पी0एच0सी0 में कबतक महिला चिकित्सक की पदस्थापना करा दी जायेगी ?

अध्यक्ष : उसके बारे में तो माननीय मंत्री जी ने बताया कि कमीशन से अनुशंसा प्राप्त है । आप अपनी असली बात न कहिये, आप कह रहे थे कि उदाकिशुनगंज अनुमंडलीय मुख्यालय है, वहाँ पर प्राथमिकता पर दिया जाय । यही न आप कह रहे हैं !

श्री निरंजन कुमार मेहता : प्राथमिकता पर दिया जाय । अन्य जगह भी महिला चिकित्सक दिया जाय ।

अध्यक्ष : उदाकिशुनगंज वाला देख लिया जाय ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : जल्द से जल्द पदस्थापित करा दिया जाय, यही हम आग्रह करते हैं।

टर्न-5/आजाद/18.03.2016

तारांकित प्रश्न सं0-1753 (श्रीमती गायत्री देवी)

श्री तेज प्रताप यादव : स्वीकारात्मक है ।

राशि एवं भूमि उपलब्ध होने पर उक्त अतिरिक्त प्राथमिक केन्द्र का भवन निर्माण कराया जायेगा ।

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल प्रश्न है कि सीतामढ़ी जिला परिहार प्रखंड अन्तर्गत मानिकपुर मुसहरनियों ग्राम में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन बनाकर चिकित्सा सुविधा देना चाहते हैं ? मैं पूछती हूँ कि कब तक यह काम हो जायेगा ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वहां भूमि उपलब्ध नहीं हुई है । भूमि उपलब्ध हो जायेगी, निधि उपलब्ध हो जायेगी तो बना दिया जायेगा ।

श्रीमती गायत्री देवी : महोदय, मैं सरकार से जानना चाहती हूँ कि जमीन सुविधा हो जायेगा तो कब तक बना देंगे, कोई समय सीमा तो बता दें, क्योंकि वहां पर जमीन है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, जमीन उपलब्ध कराने के लिए जिला पदाधिकारी को निदेश दे दीजिए ।

श्री तेज प्रताप यादव : जी, महोदय , हम इसको देखवा लेते हैं ।

तारांकित प्रश्न सं0-1754(श्री जिवेश कुमार)

अध्यक्ष : यह गृह विशेष विभाग को स्थानान्तरित है । यह स्थगित हुआ ।

श्री जिवेश कुमार : महोदय, यह कहां स्थानान्तरित हो गया, कब जवाब इसका मिलेगा ?

अध्यक्ष : आप सुने नहीं, हमने कहा, एक बार मैं ही समझ लीजिए जीवेश जी, यह गृह विशेष विभाग में स्थानान्तरित हुआ है और अगला जो भी दिन गृह के लिए निर्धारित रहता है, उसमें यह प्रश्न लिस्ट हो जाता है ।

श्री जिवेश कुमार : जी, धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न सं0-1755(श्री चन्दन कुमार)

श्री तेज प्रताप यादव : महोदय, 1. आंशिक स्वीकारात्मक है ।

अलौली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में अपग्रेड करने का निर्णय लिया जा चुका है ।

2. स्वीकारात्मक नहीं है ।

वस्तुस्थिति यह है कि उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है । किन्तु राशि के अभाव में उक्त भवन का निर्माण नहीं हो सका है । उक्त भवन के लिए सभी सामान नहीं खरीदा गया है । राशि प्राप्त होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण कराकर संचालित करा दिया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न सं0-1756(श्री महबूब आलम)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : 1. स्वीकारात्मक है ।

2. अस्वीकारात्मक है ।

उक्त महादलित टोले में विद्युतीकरण कार्य प्रगति पर है । जून, 2016 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

श्री महबूब आलम : महोदय, थाना खिजरसराय अन्तर्गत खुशहालपुर ग्राम के महादलित टोले में बिजली का काम चल रहा है और सरकारी जमीन पर पोल गाड़ रहा था, उसको दबंगों ने रोक दिया । उसके खिलाफ में उस थाना में 10/16 मुकदमा दायर हुआ और मुकदमा में 19 आदमी है आसामी और आज तक किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है और इस तरह की घटनायें बहुत जगह हो रही है कि दबंग या सभ्रांत लोग अपनी जगह से जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वे गरीबों के बस्ती में नहीं जाने देना चाहते हैं । कहीं-कहीं बोलते हैं कि हमलोगों ने ट्रांसफार्मर खरीद लिया है, कहीं-कहीं कहते हैं कि अगर तुम लोगों को लगाना है तो दूसरा ट्रांसफार्मर लगाओ, नहीं तो हमलोग देंगे । तो मैं पूछता हूँ सरकार से कि यह जो कार्रवाई हो रही है, उसमें निर्णायक कार्रवाई करके आसामियों को गिरफ्तारी करके एक मैसेज देना चाहिए बिहार प्रदेश को कि यह काम सरकार करेगी और गरीबों को भी बिजली मिलेगी ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है, निश्चित तौर से जिला प्रशासन को हिदायत दी जायेगी कि इसपर अपेक्षित कार्रवाई करें और बिजली के काम में कोई बाधा नहीं आये ।

श्री महबूब आलम : महोदय, महादलित टोला में तुरंत बिजली पहुँचायी जाय । इसके लिए एक समय सीमा दी जाय कि 15 दिनों के अन्दर, 1 महिना के अन्दर कार्रवाई कर बिजली पहुँचा दी जायेगी ?

तारांकित प्रश्न सं0-1757(श्री मुन्द्रिका सिंह यादव)

अध्यक्ष : यह जल संसाधन विभाग को स्थानान्तरित है ।

तारांकित प्रश्न सं0-1758(श्री नन्दकिशोर यादव)

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, 1. आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

पटना व्यवहार न्यायालय अन्तर्गत पटनासिटी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय अनुमंडल स्तर का व्यवहार न्यायालय है । इसके अन्य बिन्दु स्वीकारात्मक है ।

2. उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

पटनासिटी व्यवहार न्यायालय परिसर में बार एसोसियेशन के सदस्यों के लिए एक बड़ा हॉल अस्थायी रूप से आवंटित है । कुछ अधिवक्ता अपनी सुविधा अनुसार गंगा पुल के नीचे या अलग स्वेच्छा से बैठते हैं ।

3. उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

वकालतखाना के निर्माण से संबंधित नक्शा उच्च न्यायालय, पटना के स्तर पर अंतिम रूप से स्वीकृति हेतु लंबित है ।

4. न्यायालय में मुकदमों का संचालन का कार्य अधिवक्ताओं का स्वतंत्र पेशा है।

अतएव वकालतखाना का निर्माण सरकार का वैधानिक दायित्व नहीं है ।

श्री नन्दकिशोर यादव : महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि न्यायालय में बार के लिए एक बड़ा हॉल है और कुछ लोग बैठते हैं बाहर झोपड़ी में । महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के जवाब को चुनौती देता हूँ , आप कृपया यह बता सकते हैं कि उस हॉल की लम्बाई-चौड़ाई कितनी है, कितने अधिवक्ता उस हॉल में बैठ सकते हैं, अनुमंडल व्यवहार न्यायालय में कुल अधिवक्ता कितने हैं, बताईए न पहले ?

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा : महोदय, इस संबंध में जो विभाग से जानकारी प्राप्त हुई है, विभाग ने भी इसके लिए पहल किया है और हाईकोर्ट में यह मामला लंबित है उसके अतिरिक्त भवन के निर्माण के लिए । भूमि की कमी सबसे बड़ी बाधा है, इसके लिए भी उच्चस्तरीय वार्ता चल रही है और सरकार प्रयत्नशील है कि वकालतखाना का स्थायी रूप से निर्माण हो । लेकिन जो अभी बताया गया है कि अस्थायी रूप से वहां वकालतखाना का काम चल रहा है, कुछ असुविधा है, जिसके चलते वकिल लोग कभी स्वेच्छा से भी या कभी मजबूरी के वजह से भी ऐसा होता होगा कि वे लोग बाहर बैठते हैं । लेकिन उसकी व्यवस्था करने के लिए हमलोग प्रयत्नशील हैं, कोशिश करेंगे कि यथाशीघ्र उसका निर्माण करा दिया जाय ।

श्री नन्दकिशोर यादव : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, महोदय, पटना बिहार की राजधानी है और मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, अच्छा है कि वे आ गये हैं । मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि पटनासिटी का इलाका ही पुराना शहर है और जिस

न्यायालय की बात मैं कर रहा हूँ, उस न्यायालय के सामने अभी आपने न्यायिक एकेडमी बना दिया । न्यायिक एकेडमी में जब कोई हाईकोर्ट का जस्टीश जायेगा, सारी झोपड़ियां उखाड़ दी जायेगी, ठीक सामने है महोदय, उसी सामने झोपड़ी में वकील लोग बैठते हैं। इसलिए रोज-रोज कठिनाई जो आने वाली है, वह राजधानी का हिस्सा है, पुराना शहर वही है मुख्यमंत्री जी के अनुसार और वास्तविकता भी है । तो मैं जानना चाहता हूँ सरकार से कि पुराना पटना शहर के अन्दर जो अनुमंडल व्यवहार न्यायालय है, उसके अन्दर वकीलों की बैठने की व्यवस्था सरकार कब तक कराना चाहती है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने तो बताया ।

श्री नन्दकिशोर यादव : जवाब देने दीजिए न महोदय ।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, साढ़े सात साल साथ थे, सिटी इलाके का न जाने कितना निर्माण इन्होंने कराया, इसको कैसे भूल गये आप ?

श्री नन्दकिशोर यादव : महोदय, इसको हम भूले नहीं मुख्यमंत्री जी लेकिन समस्या थी कि विभाग आप ही लोगों के पास रह जाता था । महोदय, 2007 में ही इसके लिए पहल की गई और प्रश्न में इस बात की चर्चा है और खुद मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि उच्च न्यायालय में यह लंबित है । मैंने कोई चीज छोड़ा नहीं है विकास के लिए। विकास तो मेरे जीवन का लक्ष्य है और अच्छा संयोग था कि आप भी हमारे साथ थे लेकिन आप भटक गये तो मैं क्या कर सकता हूँ ? लेकिन मैं महोदय, प्रश्न से भटकना नहीं चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी हमको भटकाना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : यह तो आपकी बातों से भी लगता है कि आप भटक नहीं रहे हैं ।

श्री नन्दकिशोर यादव : महोदय, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक, बैठिए फंड का जो हाल आपलोग करने वाले हैं, वह तो सब लोग जानता है । क्या हाल करने वाले हैं, बगल में आपके मंत्री महोदय बैठे हुए हैं । हम उसपर अभी चर्चा नहीं करेंगे, फिर भटकाईए नहीं हमको। महोदय,

अध्यक्ष : आप क्यों भटक रहे हैं ?

श्री नन्दकिशोर यादव : महोदय, फिर से मैं बड़ा स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूँ, राजधानी के हिस्से में भी अगर एक अनुमंडल व्यवहार न्यायालय कार्यालय में वकीलों को बैठने की जगह नहीं होगी तो पूरे राज्य का क्या होगा ? मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने वहां सामने में बना दिया जज के लिए और उसके सामने झोपड़ियों में वकिल बैठे, यह कहीं से भी आपके व्यक्तित्व के अनुरूप

नहीं दिखायी पड़ता है मुख्यमंत्री महोदय । इसलिए मुझे लगता है कि आप वास्तव में चाहते हैं कि वहां यह व्यवस्था ठीक रहे तो मैं जानना चाहता हूँ संयोग से आप बैठे हुए भी हैं, क्या अगले वित्तीय वर्ष में उस काम को पूरा किया जायेगा ?

टर्न-6/अंजनी/दि0 18.03.2016

अध्यक्ष : अभी तो माननीय मंत्री जी ने बताया था कि वहां पर वकालत खाना निर्माण का प्रस्ताव उच्च न्यायालय के विचारार्थ लंबित है । उन्होंने तो स्पष्ट बताया है, वहां से स्वीकृति मिलेगी तो इसके बाद अगली कार्रवाई की जायेगी ।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, आप उनके जबाब का आधा अंश ही कह पाये हैं । उन्होंने यह भी कहा था कि

अध्यक्ष : आधा हम नहीं कह रहे हैं, जो प्रासंगिक था, वह हमने कहा है....

श्री नंद किशोर यादव : प्रासंगिक तो और भी हैं, उन्होंने यह भी कहा था, जमीन की उपलब्धता की बात कही थी, यही तो हम कह रहे हैं, पूरी सरकार बैठी हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, सभी मंत्री बैठे हुए हैं, सब विभाग के माननीय मंत्री हैं और पटना राजधानी में एक वकीलों के बैठने के लिए जगह के लिए जमीन की व्यवस्था सरकार नहीं कर सकती है । मैं तो यही कह रहा हूँ कि जमीन की व्यवस्था सरकार कबतक करेगी और कबतक निर्माण करेगी, इसका जबाब दीजिए ?

श्री नीतीश कुमार : जब आपका सहयोग मिलेगा तो जमीन की भी व्यवस्था हो जायेगी ।

श्री नंद किशोर यादव : मुख्यमंत्री जी आप जानते हैं कि विकास के नाम पर हम कोई राजनीति नहीं करते हैं, विकास के नाम पर हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं लेकिन सवाल यह है कि सरकार की नीयत ठीक होनी चाहिए, तभी न हो पायेगा । हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं । जितनी जमीन की आवश्यकता है, वह हो जायेगा महोदय, लेकिन ये कब करा देंगे, यह तो बताइए न ।

अध्यक्ष : माननीय नंद किशोर बाबू, सदन नेता कह रहे हैं कि जब आपका सहयोग मिलेगा तब इस समस्या का समाधान हो जायेगा । आप कह रहे हैं कि आप विकास के नाम पर हमेशा तैयार हैं तो आसन को आभास हो रहा है कि समस्या का समाधान होगा, अब अगला प्रश्न होने दीजिए ।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, मैंने पहले भी कहा है उस दिन मुख्यमंत्री नहीं थे, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने, चाहे न माने ।

श्री नीतीश कुमार : पहले तिलकुट खिलाते थे, आजकल तिलकुट भी खिलाना बंद कर दिये हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मुख्यमंत्री जी तिलकुट की बात कह रहे हैं लेकिन आसन को तो खुरचन के बारे में भी कुछ आभास था ।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, आजकल तिलकुट और खुरचन से परहेज हो गया है मुख्यमंत्री जी को, अब कुछ और उनको पसंद आने लगा है, उसका उपाय नहीं कर सकते हैं ।

तारांकित प्रश्न सं0-1759(श्री राघव शरण पाण्डेय)

श्री तेज प्रताप यादव : महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक नहीं है ।

वस्तुस्थिति यह है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखंड बगहा के ग्राम परसोनी में स्वास्थ्य उपकेन्द्र का भवन है, जिसमें स्वास्थ्य उपकेन्द्र अभी स्थांतरित नहीं हो सका है, उसका शीघ्र ही अपने नये भवन में चलाने का निर्देश दे दिया गया है । वर्तमान में स्वास्थ्य उपकेन्द्र सामुदायिक भवन में चल रहा है ।

श्री राघव शरण पाण्डेय : महोदय, वह जो भवन है, प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र के नाम पर बना है, 30 बेडेड हॉस्पिटल के नाम पर बना है । वह भवन बनकर कई वर्षों से तैयार है, लेकिन वहां चिकित्सा कार्य नहीं हो रहा है, इसका उत्तर माननीय मंत्री जी से चाहिए।

अध्यक्ष : उन्होंने तो कहा है, निर्देश दिया है स्थांतरित करने के लिए ।

श्री राघव शरण पाण्डेय : महोदय, पांच वर्षों से वह भवन बनकर तैयार है तो क्या कारण है कि स्थांतरण नहीं हो पा रहा है ?

अध्यक्ष : उन्होंने तो कहा है कि स्थांतरण का आदेश दे दिये हैं, चला जायेगा । आपका कहना है कि शीघ्र चला जाय ।

श्री तेज प्रताप यादव : महोदय, इसको हम देखवा लेते हैं ।

तारांकित प्रश्न सं0-1760(श्रीमती समता देवी)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, स्वीकारात्मक है ।

गया जिलान्तर्गत मोहनपुर प्रखंड के अमकोला गांव में 33/11 के0भी0ए0 विद्युत शक्ति उपकेन्द्र मोहनपुर से सुचारू से बिजली आपूर्ति हो

रही है । उपरोक्त विद्युत शक्ति उपकेन्द्र से मात्र 12 किलोमीटर दूर है । वर्तमान में यह शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्रीमती समता देवी : महोदय, जवाब नहीं सुनायी दिया ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, प्रश्नकर्ता सदस्या को जवाब नहीं सुनायी दिया ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, मैंने कहा कि जिस जगह के संबंध में माननीय सदस्या जिक्र कर रही हैं, उसके 12 किलोमीटर पर एक विद्युत उपकेन्द्र है, इसलिए वहां भायलेबुल नहीं है, वहां बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, उसी उपकेन्द्र से बिजली की आपूर्ति उसी इलाके में की जा रही है ।

तारांकित प्रश्न सं0-1761(डॉ0 सुनील कुमार)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, वर्णित स्थानों में से सब्जी बाजार कटरापर मस्जिद के बगल में 200के0भी0ए0 क्षमता का एक ट्रांसफार्मर अधिस्थापित किया जा चुका है शेष स्थानों पर 100 के0भी0ए0 के बदले 200 के0भी0ए0 का ट्रांसफार्मर माह, अप्रील 2016 के अंत तक अधिष्ठापित कर दिया जायेगा ।

डॉ0 सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूँ कि हमने चार-पांच मुहल्लों का ही नाम लिखा है, ऐसे-ऐसे 20 मुहल्ले होंगे बिहारशरीफ शहर में, जहां पर ट्रांसफार्मर 100 के0भी0ए0 के या 200 के0भी0ए0 के लगाये गये हैं लेकिन जनसंख्या और उपभोगता की संख्या बढ़ने के कारण सभी जगह ओवरलोड हो गया है और भोल्टेज का प्रोबलम है, क्या माननीय मंत्री जी अप्रील तक बाकी उन जगहों पर ट्रांसफार्मर बदलने का विचार रखते हैं ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : देखेंगे महोदय ।

डॉ0 सुनील कुमार : महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि दो माह के अन्दर बाकी जगहों में भी करा दें ।

तारांकित प्रश्न सं0-1762(श्री सुरेश कुमार शर्मा)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, 1- स्वीकारात्मक है ।

2- विद्युत अधीक्षण अभियंता, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया है कि वे स्वयं जाकर जांच कर विपत्र में सुधार करे ।

3- अधीक्षण अभियंता को कहा गया है कि एक सप्ताह के अन्दर स्वयं जाकर इन्कवायरी कर विपत्र को सुधार कर लें ।

श्री सुरेश कुमार शर्मा : महोदय, मुजफ्फरपुर में प्रायः 30 परसेंट उपभोक्ता का बिल इसी तरह का गड़बड़ आ रहा है, हम मंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि जितने बिल गड़बड़ आ रहे हैं, उसका हम सूची बनाकर दे देते हैं, वह सबको जांच करा दे ताकि गरीब लोगों का इसका निदान निकल सके।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : ठीक है।

अध्यक्ष : प्रश्नोत्तर-काल समाप्त हुआ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 18 मार्च, 2016 को प्रथम पाली की बैठक के तुरंत बाद मेरे कार्यालय प्रकोष्ठ में कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक होगी, समिति के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैठक में भाग लेने की कृपा करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अरूण कुमार : अध्यक्ष महोदय, हमने एक प्रश्न उठाया था, एक जिला में एक पदाधिकारी एक पद पर 15 वर्षों से पदस्थापित हैं। हमें माननीय नगर विकास मंत्री जी से जवाब मिला है कि नहीं रह सकते हैं लेकिन फिर भी वे पदाधिकारी 15 साल से उसी पद हैं।

अध्यक्ष : आप किस चीज के बारे में बता रहे हैं !

श्री अरूण कुमार : कल मेरा प्रश्न था लेकिन नहीं आया।

अध्यक्ष : ठीक है, वह आप अलग से दे दीजियेगा।

जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, सदन पटल पर रख दिया जाय। अब कार्य-स्थगन प्रस्ताव लिये जायेंगे।

श्री विजय कुमार सिन्हा : 1500 के लगभग विधान सभा के बाहर धूप में बैठे रहते हैं, न शौचालय की व्यवस्था है...

अध्यक्ष : उसके बारे में अलग से बात कर लियेगा।

टर्न-7/शंभु/18.03.16

कार्य-स्थगन

अध्यक्ष : आज दिनांक 18 मार्च 2016 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कुल सात कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार सिंह, श्री मिथिलेश तिवारी, श्री अशोक कुमार सिंह, श्री विजय कुमार खेमका, श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री विद्यासागर केशरी एवं श्री अरूण कुमार सिन्हा। आज दिनांक 18 मार्च, 2016 को सदन में वित्तीय वर्ष- 2016-17 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांग में से पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की मांग पर वाद-विवाद तथा मतदान होने का कार्यक्रम निर्धारित है। अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-99 के 1 के (ii) एवं (iii) के तहत उपर्युक्त सभी कार्य स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण अमान्य किया जाता है।

श्री प्रेम कुमार : राज्य में बढ़ता अपराध और राजधानी में दो-दो हत्या हुई है। बिहपुर के वरीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार राय की हत्या हुई है, गोपालगंज में वार्ड सदस्य की हत्या हुई है, बेगुसराय में नव दंपत्ति की हत्या हुई है, खगड़िया में छात्रा की हत्या हुई, सीतामढ़ी में गाय व्यवसायी मोहन प्रसाद की हत्या हुई है, पटना में एकाउटेंट की गोली मारकर हत्या हुई है, वैशाली में, गया में सोनपुर में एक ही परिवार दो व्यक्तियों की हत्या की गयी। पूरे राज्य में अपराध बढ़ रहा है और अपराध बढ़ने से भय आतंक का माहौल बन गया है। कार्य स्थगन हमलोग दिये थे इस विषय पर सरकार चर्चा कराकर सरकार का जवाब हो। राज्य में बढ़ते अपराध, गिरती विधि व्यवस्था और लगातार घटनाएं घट रही है, चिंता का विषय है। हम सरकार से चाहते हैं कि कार्य स्थगन जो हमलोग लाये थे, सरकार का वक्तव्य हो और घटनाओं में जिनकी संलिप्तता हो उसकी गिरफ्तारी हो और सरकार कार्रवाई के लिए सरकार का पक्ष जानना चाहते हैं।

अध्यक्ष : ठीक है। अब शून्यकाल। श्री अशोक कुमार सिंह। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता सवाल को हमेशा कुछ न कुछ उठाते रहते हैं और आसन से बराबर निदेश दिया जाता रहा है कि नियमानुकूल, नियम के अनुसार बात को उठाये, लेकिन नेता प्रतिपक्ष इन सवालों को समझ नहीं रहे हैं तो थोड़ा सा सदन में माननीय सदस्यों का जो समय है वह निरर्थक प्रयास से बेकार नहीं करें। समय है शून्यकाल का और प्रश्न उठा रहे हैं दूसरा और कार्य मंत्रणा की भी

बैठक होगी तो माननीय विपक्ष के नेता को उठाना चाहिए। महोदय, इनके जो माननीय सदस्य हैं ये नेता विपक्ष पर इनलोगों को भरोसा भी नहीं है, भरोसा नहीं है इसके कारण बार-बार खड़े हो रहे हैं।

अध्यक्ष : ठीक है। अब शून्यकाल।

शून्यकाल

श्री अशोक कुमार सिंह : महोदय कैमूर जिला के रामगढ़ प्रखंड से परसथुओं (रोहतास) को जाने वाली सड़क बन कर तैयार है, जिमसें ग्राम गोड़सरा के पास दुर्गावती नदी में पुल बन जाने पर 30 गांव जुड़ जायेंगे। रामगढ़ से परसथुओं की दूरी 18 कि०मी० कम हो जायेगी, पुल बनाने की मांग करता हूँ।

(इस अवसर पर भाजपा के माननीय सदस्य सदन के वेल में आकर बोलने लगे।)

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : महोदय, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण में गांवों की संपर्कता नहीं हो पाया है। औरंगाबाद जिलान्तर्गत बारून प्रखंडान्तर्गत कतया एवं अजनिया गांव से एक किलोमीटर पहले रोड छोड़ दिया गया है। अतः सरकार से उक्त अधूरे सड़कों के निर्माण के साथ सभी अधूरे सड़कों का निर्माण शीघ्र कराने की मांग करता हूँ।

श्री मिथिलेश तिवारी- (माननीय सदस्य द्वारा नहीं पढ़ा गया।)

श्री बशिष्ठ सिंह : महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत कोचस प्रखंड में 14 पंचायत एवं एक नगर पंचायत है। इस प्रखंड में मात्र एक राजस्व कर्मचारी कार्यरत है। जिससे किसानों का कार्य ससमय निष्पादन नहीं होने से कठिनाई हो रही है। सरकार से मांग करता हूँ कि कोचस प्रखंड में राजस्व कर्मचारी की संख्या शीघ्र बढ़ायी जाय ताकि उस क्षेत्र समस्याओं का निदान हो।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, बिहार में वर्ग 1 से 8 तक सभी विद्यालयों में विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा रसोइया का चयन किया गया है। जो मध्याह्न भोजन बनाती और बच्चों को खिलाती है, लेकिन इस महत्वपूर्ण कार्य का मेहनताना काफी कम है, सिर्फ 150 रु० दिया जाता है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि टोला सेवक के मानदेय के समान रसोइया का मानदेय किया जाय।

श्री महबूब आलम : महोदय, बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं०-2401/07 के अनुसार सभी रसोइया का मानदेय 15 हजार रुपये का भुगतान उनके खाते पर नियमित किया जाय। साल में दो माह की कटौती बंद करके सभी रसोइया को सरकारी कर्मचारी का दर्जा, पहचान पत्र व वर्दी दी जाय।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, भोजपुर जिलान्तर्गत पीरो के गोदाम से सड़े व कीड़ायुक्त अनाज का जनवितरण प्रणाली के तहत वितरण हो रहा है, जो जानवरों के खाने योग्य भी नहीं है। इसकी तत्काल जाँच करवाकर दोषियों को दंडित करते हुए गरीबों के लिए अच्छे अनाज की व्यवस्था की जाय।

श्री संजय सरावगी - (माननीय सदस्य द्वारा नहीं पढ़ा गया।)

श्री विनोद कुमार सिंह - (माननीय सदस्य द्वारा नहीं पढ़ा गया।)

श्री विजय कुमार खेमका - (माननीय सदस्य द्वारा नहीं पढ़ा गया।)

मो० नेमातुल्लाह : महोदय, गोपालगंज जिलान्तर्गत तोता नदी के मांझा प्रखंड पर पुल नहीं रहने के कारण लगभग 50 गांवों की जनता को बाढ़ की मार झेलनी पड़ रही है। यहां तक कि बरसात में नमक, तेल, माचिस के लिए भी नाव का सहारा लेना पड़ता है। अतः उपर्युक्त तोता नदी के मांझा प्रखंड में एक पुलिया का निर्माण शीघ्र कराया जाय।

श्री विनोद प्रसाद यादव : महोदय, गया जिलान्तर्गत डोभी प्रखंड में एन०एच०-99 मटन मोड़ से महकमपुर, जेहलडीह, मौलानगर होते पडरी झारखण्ड सीमा तक 08 कि०मी० सड़क काफी खराब है। जिससे आम नागरिकों को एवं विधि व्यवस्था संधारण में काफी कठिनाई होती है। सड़क को पथ निर्माण विभाग में अधिगृहित कर निर्माण की मांग करता हूँ।

श्री ललन पासवान - (माननीय सदस्य द्वारा नहीं पढ़ा गया।)

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : महोदय, मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत कच्ची पक्की हाइवे से तुर्की तक जर्जर सड़क सो लोग गिरकर घायल हो रहे हैं, पथ निर्माण विभाग से दो वर्ष पहले इलेक्ट्रा कंपनी का लिया जो नहीं कर रहा है। इनपर कार्रवाई करते हुए जनहित में सड़क बनाने की मांग करता हूँ।

श्री रामप्रीत पासवान - (माननीय सदस्य द्वारा नहीं पढ़ा गया।)

श्री तारकिशोर प्रसाद - (माननीय सदस्य द्वारा नहीं पढ़ा गया।)

श्री अमित कुमार : महोदय, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रीगा थाना के मंझौरा के समीप दाल व्यवसायी मोहन प्रसाद की हत्या दिनांक 16.03.2016 को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे विधि व्यवस्था पर प्रश्न लग गया है। मृतक परिजन को 20 लाख का मुआवजा भुगतान करते हुए शीघ्र अपराधियों को पकड़ा जाय। महोदय, कल भी ऐसी घटना हुई है उस जिला में और तीन घंटा तक लाश पड़ा रहा पोस्टमार्टम के लिए और कोई भी पुलिस प्रशासन के लोग वहां नहीं पहुंचे। महोदय, इसपर ध्यान दिया जाय।

श्रीमती भागीरथी देवी - (माननीय सदस्य द्वारा नहीं पढ़ा गया।)

श्री जिवेश कुमार - (माननीय सदस्य द्वारा नहीं पढ़ा गया।)

श्री राणा रणधीर - (माननीय सदस्य द्वारा नहीं पढ़ा गया।)

श्री विजय कुमार सिन्हा - (माननीय सदस्य द्वारा नहीं पढ़ा गया।)

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, मधुबनी शहर अंतर्गत वाटसन कैनाल, किंग्स कैनाल, राज कैनाल एवं अन्य सभी नाला की सफाई 1.50 करोड़ रुपये के अभाव में नहीं हो रही है। राशि की मांग सरकार से की गयी है। अतः राशि उपलब्ध कराने की मांग करता हूँ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा - (माननीय सदस्य द्वारा नहीं पढ़ा गया।)

टर्न-8/अशोक/18.03.2016

(इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यगण सभा के वेल में थे और नारा लगा रहे थे । व्यवधान ।)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विद्यासागर केशरी ।

(माननीय सदस्य श्री विद्यासागर केशरी के द्वारा नहीं पढ़ा गया ।)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य डा० राजेश कुमार ।

डा० राजेश कुमार : पूर्वी चम्पारण जिला के केशरिया प्रखण्ड में सेमुआपुर पंचायत के महंथ द्वारा गराबों को जमीन दी गई थी, जिस पर 20 वर्ष से गरीब लोग दुकान चला रहे थे । वर्षों बाद महंथ की जमीन पर सरकार का कब्जा हो गया । मैं सरकार से अग्रह करता हूँ कि गरीबों को जमीन से हटाने के बजाय टैक्स लिया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विनय बिहारी ।

(माननीय सदस्य श्री विनय बिहारी के द्वारा नहीं पढ़ा गया ।)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मुन्द्रिका सिंह यादव ।

(माननीय सदस्य श्री मुन्द्रिका सिंह यादव के द्वारा नहीं पढ़ा गया ।)

ध्यानाकर्षण सूचानाएँ तथा उसपर सरकार का वक्तव्य

3. श्री विजय शंकर दूबे, श्री शकील हअमद खॉ एवं श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी, स.वि.स. से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (कृषि विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री विजय शंकर दूबे : सिवान जिला के सिसवन प्रखंड का बीज गुणन प्रक्षेत्र (सिसवन) की 28 एकड़ भूमि विगत कई वर्षों से अवैध कब्जे में है । इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार के प्रथम अपील नं०-237/97 में उभय पक्षों के सुनने के बाद दिनांक-13.12.2010 को कब्जाधारियों के पक्ष में स्पेशल लैंड एक्वीजिशन सह सबजज, सीवान द्वारा एल.ए.आर. केस नं०- 19/89 में पारित आदेश को निरस्त कर दिया है तथा कब्जाधारियों पर 10,000/- रुपये का जुर्माना भी लगाया है । इसके बावजूद आजतक उक्त जमीन को कृषि विभाग, सीवान अपने कब्जे में नहीं ले सका है।

अतः जनहित में कृषि विभाग की जमीन को अवैध कब्जा से मुक्त कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किरते हैं ।

श्री रामविचार राय : 1. एल.ए.आर. वाद संख्या-19/1989 में सबजज प्रथम-सह-विशेष न्यायाधीश, भू-अर्जन, सिवान द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में प्रथम अपील संख्या -237/1997 राज्य सरकार बनाम जनकदेव सिंह दायर किया गया ।

2. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 13.12.2010 को विशेष न्यायाधीश भू-अर्जन, सिवान द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर दिण गया ।

3. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.12.2010 के फलस्वरूप जमीन पुनः प्राप्त करने हेतु सी०पी०सी०. में निर्धारित प्रक्रिया 144 के प्रावधान के तहत सब जज प्रथम-सह-विशेष न्यायाधीश, भू-अर्जन, सिवान के न्यायालय में विविध वाद संख्या-36/11 दाखित किया गया । अबतक न्यायालय में राज्य के पक्ष से गवाही समाप्त हो चुकी है एवं सभी सुसंगत कागजात न्यायालय में जमा किया जा चुका है । न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण होने पर अग्रेतर कार्रवाई संभव है ।

(इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यगण सभा के वेल में थे और नारा लगा रहे थे । व्यवधान ।)

श्री विजय शंकर दूबे :अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूँ, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उक्त जमीन को सरकार क्यों नहीं पकड़ रही है ?

श्री रामविचार राय : उच्च न्यायालय के बाद वहां पर कैसे कब्जा हो, इसके लिए वाद दायर किया है सिवान में फिर कब्जा कराने के लिए, वह लम्बित है । सारी प्रक्रिया, कागजात, गवाही सरकार के द्वारा कर दिया गया है, वह जब वहां से फैसला हो जायेगा, उसको हमलोग कब्जा करायेंगे ।

श्री विजय शंकर दूबे : अध्यक्ष महोदय, सोबरेन सरकार है और सार्वभौम सरकार को पटना उच्च न्यायालय के बाद अपना जमीन पकड़ना चाहिए, लोअर कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं थी । लोअर कोर्ट के आदेश को पटना हाई कोर्ट ने तो रद्द किया है, क्वैश किया है। तो सरकार को उक्त जमीन को कब्जा में लेना चाहिए ।

अध्यक्ष : कह रहे हैं कि लोअर कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है इसलिए माननीय सदस्य से कागज लेकर, देखकर इसका निराकरण कर दीजिए न !

श्री रामविचार राय : ठीक है महोदय ।

अध्यक्ष : कागज के साथ उनसे मिल लीजियेगा ।

श्री रामविचार राय : ठीक है, करवा देंगे ।

4. श्री श्याम रजक, स.वि.स. से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (समाज कलण विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा : महोदय, इसके लिए समय दे दिया जाय ।

(इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यगण सभा के वेल में थे और नारा लगा रहे थे । व्यवधान ।)

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

अध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्री ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 (2) के अनुसारण में मैं, बिहार सरकार का 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन (1)“ राजस्व प्रक्षेत्र” (2)“ सामान्य सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र” तथा (3) “ राज्य का वित्त” जिन्हें बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महोखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, को सदन के पटल पर रखता हूँ ।

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-238 के उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन यथा समय में उपस्थापित किया जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्री ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि “ भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन (1) “ राजस्व प्रक्षेत्र ” (2) “ सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र ” तथा (3) “ राज्य का वित्त ” को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो । ”

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

“ भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन (1) “ राजस्व प्रक्षेत्र ” (2)

“ सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र ” तथा (3) “ राज्य का वित्त ” को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो । ”

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टर्न-9-18-03-2016-ज्योति

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

.....

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी : महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में बिहार सरकार का भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31, मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन, जिसे विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, सदन के पटल पर रखता हूँ । बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 241(ख) के अधीन इसपर

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रतिवेदन यथा समय बिहार विधान सभा में उपस्थापित किया जायेगा ।

(सभा पटल पर प्रतिवेदन रखा गया)

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

“ बिहार सरकार का भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् और उसपर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा विचार किए जाने के पूर्व यह जनता में बिक्री के लिए प्राप्त हो । ”

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

“ बिहार सरकार का भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् और उसपर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा विचार किए जाने के पूर्व यह जनता में बिक्री के लिए प्राप्त हो ”
यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2016-17 के परिणाम बजट प्रतिवेदन की प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

(परिणाम बजट की प्रति सदन पटल पर रखी गयी)

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी : महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2016-17 के जेण्डर बजट की प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

(जेण्डर बजट की प्रति सभा पटल पर रखी गयी)

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी : महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2016-17 के बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रतिवेदन की प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

(प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखी गयी)

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ।

श्री अब्दुल गफूर : महोदय, मैं बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(ए)(2) के तहत सदन के पटल पर रखता हूँ ।

(वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखी गयी)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।
. अंतराल .

टर्न-10/विजय/ 18.03.16

अंतराल के बाद

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

कार्य-मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री अरूण कुमार सिन्हा, मुख्य सचेतक, विरोधी दल ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि दिनांक 18 मार्च, 2016 के कार्य-मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर सभा की सहमति हो ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है,

कि दिनांक 18 मार्च, 2016 के कार्य-मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर सभा की सहमति हो ।

समिति ने निम्न सिफारिशों की है,

1. शुक्रवार दिनांक 01 अप्रैल, 2016 एवं सोमवार दिनांक 04 अप्रैल, 2016 को सभा की बैठक 9.00 बजे पूर्वाह्न से हो ।

शुक्रवार दिनांक 01 अप्रैल, 2016 को 9.00 बजे पूर्वाह्न से 11.00 बजे पूर्वाह्न तक माननीय सदस्य, श्री विजय कुमार खेमका द्वारा नियम 43 के तहत दिये गए प्रस्ताव, यह सभा राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को स्वच्छ जलापूर्ति करने में सरकार की असफलता से उत्पन्न स्थिति पर विमर्श हो,

सोमवार, दिनांक 04 अप्रैल, 2016 को 9.00 बजे पूर्वाह्न से 11.00 बजे पूर्वाह्न तक माननीय सदस्य, श्री विनोद प्रसाद यादव एवं माननीय सदस्य, श्री श्याम रजक एवं अन्य द्वारा नियम 43 के तहत दिये गये प्रस्ताव,

यह सभा केन्द्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं में केन्द्रांश में कमी एवं राज्यांश में बढ़ोत्तरी किये जाने के कारण राज्य में उत्पन्न स्थिति पर विमर्श हो ।

शेष कार्य यथावत रहेंगे ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रतिवेदन पर सभा की सहमति हुई ।

वित्तीय कार्य

अध्यक्ष: पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अनुदान की मांग पर वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा। इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है। विभिन्न दलों को उनके सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है। इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जाएगा।

राष्ट्रीय जनता दल	59 मिनट
जनता दल (यूनाईटेड)	52 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	39 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	20 मिनट
सी0पी0आई (एम0एल0)	02 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	02 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	01 मिनट
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी	02 मिनट
निर्दलीय	<u>03 मिनट</u>

कुल- 180 मिनट

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें।

श्री अवधेश कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय,

“पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जा व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 5,44,19,22,000/- (पाँच अरब चौवालीस करोड़ उन्नीस लाख बाईस हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्य सरकार की सिफारिश पर किया गया है।

अध्यक्ष: इस मांग पर माननीय सदस्य, श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री मिथिलेश तिवारी, श्री अरूण कुमार सिन्हा, श्री विनोद कुमार सिंह, डॉ० सुनील कुमार, श्री संजय सरावगी, श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह एवं श्री नीरज कुमार सिंह से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो व्यापक हैं और जिन पर सभी माननीय सदस्य विचार विमर्श कर सकते हैं।

अतएव माननीय सदस्य, श्री विजय कुमार सिन्हा अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री विजय कुमार सिन्हा: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ,

“इस शीर्षक की मांग 10 रूपये से घटायी जाय ।

राज्य सरकार की पशु एवं मत्स्य संसाधन नीति पर विचार विमर्श करने के लिये । ”

महोदय, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है इसकी 80 से 85 प्रतिशत आबादी आज भी गांव में निवास करती है । यह आबादी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पशुपालन, मछलीपालन से जुड़ा है । महोदय, बिहार सहित लखीसराय, बड़हिया के पशुपालन अस्पताल की दयनीय स्थिति है, मूलभूत सुविधाओं का अभाव है । महोदय हमलोग भी गांव से आते हैं और जो हमारा क्षेत्र है वहां भी कई पशु अस्पताल हैं जहां की स्थिति बहुत ही दयनीय है । महोदय, मैं कहना चाहूंगा, समय कम है-पशुधन पर जब पड़ा है डाका, छीन लिया हमने उसका निवाला ।

अध्यक्ष: समय तो कम है ही । आपके लिए चार ही मिनट है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा: महोदय, इसलिए हम बोल रहे हैं कि जिसने भी गौ माता का दूध पीया क्या दूध का कर्ज उतारेगा, गौ पालक गोपाल अब फर्ज निभायेगा, गौ माता के वध को बंद करायेगा ? अब मूक पशु का न छिनेगा निवाला, नही लज्जित होगा अब बिहार वाला ।

महोदय, ये संकल्प लेना होगा सरकार को कि फिर से लज्जित बिहार नहीं हो । गौ पालन करने वाले तमाम सदन के अंदर बैठे हुए आज सभी विधायक गर्व करते हैं कि जिस धरती पर हम गौ माता का पालन करते हैं आज देशी गाय हमारा लुप्त होते जा रहा है और गाय और सुअर के जो संयुक्त है जर्सी गाय के रूप में आया है महोदय जो कि कई बीमारियों का आज सूचक बन गया है । आज महोदय बड़े दुर्भाग्य के साथ और दुःख के साथ कहना पड़ता है कि, यही मूक बधिर का निवाला छिनने वाला इस धरती पर इस बिहार को कलंकित और अपमानित किया था । फिर से यह विभाग कलंकित नहीं हो, भ्रष्टाचार का कोई आलम न बने, इस विभाग के अंदर पवित्रता आए और हमारी देशी गाय का संरक्षण हो । हमारी गौ माता गोपाल जो भी हैं आज महोदय एक और बात कहना चाहेंगे कि,

सीने में जलन और आंखों में तूफान सा क्यों है,

इस राज्य में हर शख्स परेशान सा क्यों है ।

(व्यवधान)

क्या कोई नयी बात नजर आ रही है ?

श्री श्रवण कुमार: व्यवस्था है महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि गाय और सुअर का जो नस्ल है वह जर्सी गाय है । अध्यक्ष महोदय इसको प्रोसीडिंग से निकाल दिया जाय ।

श्री विजय कुमार सिन्हा: क्या कोई नयी बात नजर आती है इनको आइना देखकर हैरान सा क्यों हैं? महोदय गाय पर ही बोला जा रहा है । ये अपना आइना देखकर हैरान हैं। आज इस धरती के अंदर महोदय पशुपालन घोटाला के नाम से बिहार चर्चा में बना हुआ था । बिहार के उपर जो कलंक लगा है क्या माननीय मंत्री जी उस कलंक को मिटायेंगे ? क्या पशुपालन विभाग के अंदर एक बेहतर उन्नत व्यवस्था बनायेंगे? आज जो मूक बधिर बना हुआ है उसके निवाला में घोटाला न हो, उसके दवा में किसी तरह का भ्रष्टाचार न हो, वातावरण स्वच्छ बने, महोदय, 80-85 परसेंट आबादी गांव में रहती है ।

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार: गाय और सुअर में आपको अंतर नहीं बुझा रहा है। जर्सी गाय सुअर का नस्ल है ?

अध्यक्ष: श्री मिथिलेश तिवारी ।

श्री मिथिलेश तिवारी: अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से आग्रह है कि आज इस सदन में ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आप सब लोग शांति रहिये । पशुपालन विभाग पर चर्चा हो रही है। मिथिलेश जी आप दस मिनट में समाप्त कीजिये ।

श्री मिथिलेश तिवारी: महोदय, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस सदन में मुझे बोलने की इजाजत दी और जितने भी माननीय सदस्य हैं उनसे आग्रह है कि आज पशुओं पर चर्चा है इसलिए कम से कम मेरी बात को सुनें और पशु पर ही बोल रहे हैं ।

महोदय, यह एक ऐसा विभाग है जिस बिभाग में हमलोगों ने बिहार में वर्ल्ड कप जीता था । और जब बिहार में सामाजिक न्याय की सरकार बनी थी तो चूंकि हमारे ही जिले से उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी बने थे । हमलोगों ने बड़े घी के दीये जलाये थे कि हमारे गांव का एक गरीब का बेटा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा है और बिहार का नाम आगे बढ़ायेगा । लेकिन जब पशुपालन घोटाला सामने आया बिहार से हमलोगों ने करप्शन के मामले में वर्ल्ड कप जीता तो मेरा ही

जिला नहीं पूरा बिहार शर्मसार हुआ था । यह रेकॉर्ड में है, मैं कोई अलग से नहीं बोल रहा हूँ । महोदय, यह एक ऐसा विभाग है इस विभाग का मंत्री कोई नहीं बनना चाहता था । लेकिन जब एनडीए की सरकार आयी जब हमलोग साथ थे और हमारे पार्टी के लोग इसके मंत्री बने तो इसके बाद इस विभाग में काफी परिवर्तन हुआ और मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि उसके बाद ऐसी कहीं कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई जिसके लिए हमें शर्मसार होना पड़े ।

क्रमशः

टर्न-11/बिपिन/18.3.2016

श्री मिथिलेश तिवारी: क्रमशः महोदय, पशुपालन विभाग, बिहार के अधिकांश लोग..

(व्यवधान)

बैठिये न ! आप बोलिएगा । आप ही के नेता के बारे में बोल रहे हैं । बैठिये न ।

महोदय, बिहार की जो ग्रामीण जनता है, उसकी आय का प्रमुख साधन पशुपालन है । महोदय, पूरी आबादी का पांचवां हिस्सा पशुपालन विभाग के माध्यम से सिंचित होता है और बिहार के गरीब लोगों को इससे रोजगार मिलता है । जो बिहार के भूमिहीन हैं, उनके लिए सबसे बड़ा आय का श्रोत पशुपालन विभाग है । 2012 की पशु-गणना के अनुसार 54 प्रतिशत दुधारू पशु बिहार में हैं । नस्ल सुधार, स्वास्थ्य एवं पोषण, दुधारू जानवरों के लिए बीमा, तथा इस क्षेत्र के उत्पादों के लिए विपणन तथा कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण का कार्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है और यह सरकार के द्वारा पेश की गई आर्थिक जनगणना के आधार पर मैं कह रहा हूँ ।

महोदय, बिहार में गड़ेरिया जाति है । इसके प्रमुख आय का श्रोत भेंड़ पालन है । 2013 में जहां बिहार में कुल 3,46,000 भेंड़ थे, वहीं 2012 में 2,32,000 भेंड़ बिहार में हुए । 2012 और 2013 का यह जो पूरा ऑकड़ा है, यह अपने-आप में स्वयं परिभाषित है । जो गाय और बैल की संख्या है, 2007 में 12,408 हजार गाय और बैल बिहार में थे और 2012 में 12,232 हो गए । महोदय, इसका सबसे प्रमुख कारण है पशुओं की तस्करी और गोमाता की हत्या और यह तब हुआ जब बिहार में

समावेशी विकास की सरकार थी । सरकार ने इसके बारे में कोई कार्य नहीं किया और इसके चलते हमारी गाय और बैलों की संख्या घट गई ।

महोदय, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा-घोड़ी बिहार में, शादी विवाह में जब लोग जाते हैं, जब कहीं कोई घुड़दौड़ होता है तो उसमें शान का विषय माना जाता था । इसके मामले में बहुत जबर्दस्त कमी आई है । महोदय, 2003 में 115 हजार घोड़ा और घोड़ी का संख्या था, वहीं 2012 में केवल 49,000 होकर रह गया है । यह बड़ा चिंता का विषय है महोदय। पल्टो पक्षी 2003 में 13,968 हजार थे, वहीं 2012 में घट कर 12,748 हजार हो गया महोदय ।

महोदय, दूध का उत्पादन 2010-11 में 65.17 लाख टन दूध का उत्पादन होता था जो 2014-15 में मात्र थोड़ा बढ़कर 77.75 लाख टन हुआ और यह वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से मात्र 4.5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई, जबकि बिहार की जनसंख्या बेतहाशा बढ़ी । उस मामले में दूध का उत्पादन हम नहीं बढ़ा पाए ।

महोदय, ठंडे दिनों में गर्म कपड़ा सबको चाहिए । ऊन के उत्पादन के मामलों में 2010-11 में 2.6 लाख किलोग्राम, 2010-11 में जब हम सत्ता में थे तो 2.6 लाख किलोग्राम ऊन का उत्पादन होता था । 2014-15 में, चार-पांच वर्षों के बाद भी, इसमें थोड़ी बढ़ोत्तरी हुई और प्वायंट में बढ़ोत्तरी हुई और 2.75 लाख किलोग्राम की बढ़ोत्तरी हुई, यह चिंता का विषय है महोदय ।

पशुओं का उपचार, पशुओं के उपचार के मामले में 2010-11 में 35.73 लाख पशुओं का उपचार हमलोगों ने कराया था और 2014-15 में क्या हुआ, यह घट कर 31.70 लाख पशुओं के उपचार पर हम आ गए ।

पशुओं के प्रतिरक्षण के मामले में 2010-11 में 221.75 लाख पशुओं का प्रतिरक्षण हुआ जो 2014-15 में घट कर केवल 19.75 लाख रह गया महोदय । कृत्रिम गर्भाधान जिसकी सरकार ढोल पीटते रहती है, 2010-11 में 19.48 लाख था, वहीं घटकर 2014-15 में मात्र 2.92 लाख रह गया महोदय ।

मुफ्त चारा, बीज का वितरण सरकार की प्राथमिकता में है । 2010-11 में 4410.69 क्विंटल मुफ्त चारा बीज का वितरण 2010-11 में किया गया था महोदय । 2012-13 में 3.40 क्विंटल हो गया । 2013-14 में 102.60 क्विंटल हो गया और 2014-15 में हमलोगों ने फिर वर्ल्ड कप जीत लिया । इसमें एक भी क्विंटल की कोई मुफ्त चारा बीज का वितरण नहीं किया गया महोदय और यह बिहार के पशुओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय है महोदय ।

मत्स्य पालन के मामले में 3200 कि०मी० लंबाई में नदियों का विस्तार है महोदय जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.9 प्रतिशत है । वर्ष 2004-05 में मछली उत्पादन 2.67 लाख टन था, वर्ष 2012-13 में 4,00,000 टन हो गया महोदय। यह गौर करने की बात है । 2004-05 में हमलोग सरकार में नहीं थे लेकिन 2012-13 में हमलोग सरकार में थे, एन.डी.ए. की सरकार थी, हमने मछली उत्पादन दुगुना करके दिखाया था महोदय । 2014-15 में मात्र दो साल में मात्र कुछ प्वायंट की वृद्धि हुई बिहार में जो चिंता का विषय है । बिहार में बहुत मछली की खपत है और उसके बाद भी मात्र 4.79 लाख टन ही हम मछली का उत्पादन कर पाए महोदय ।

और, सुसज्जित आतुर वाहन एम्बुलेंस, जिस समय इसकी घोषणा हुई थी, बिहार के जो पशुपालक थे, वो काफी प्रसन्न थे । एक ऐसी सरकार है जो सुसज्जित आतुर वाहन एम्बुलेंस मवेशियों के उपचार के लिए दे रही है । महोदय, अत्याधुनिक प्राद्योगिकी और आधुनिक दवाओं तथा उपकरणों से सुसज्जित आतुर वाहन एम्बुलेंस 2010-11 में बिहार में 20 खरीदी गई थी । 2011-12 में उसको 50 तक हमलोगों ने पहुँचाया । लेकिन 2011-12 के बाद उसमें एक भी एम्बुलेंस की कोई वृद्धि नहीं महोदय । यह दर्शाता है, यह जो सरकार है, इस सरकार को पशुओं की चिकित्सा से, पशुओं की बेहतरी से कोई मतलब नहीं है महोदय ।

महोदय, आधुनिक वधशाला का निर्माण, महोदय, बिहार में एक करोड़ रूपया प्रति इकाई के व्यय से राज्य के 38 जिलों में एक-एक आधुनिक वधशाला का निर्माण का प्रस्ताव था महोदय लेकिन एक भी नहीं बना । मैं राज्य के माननीय पशुपालन मंत्री जी को आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जब माननीय मंत्रीजी सदन में बयान दें, उसमें यह बताएं कि यह वधशाला क्यों नहीं बना । बी.पी.एल. परिवारों को बकरी देने की योजना थी, हमलोग चुनाव में काफी बढ़-बढ़ कर बोलते थे, प्रत्येक बी.पी.एल. परिवार को हम दो-दो बकरी मुफ्त देंगे । क्या हुआ उस योजना का ? एक भी मैंने तो नहीं सुना कि किसी बी.पी.एल. परिवार को बकरी मिली और गरीबों के लिए जिसके पास एक इंच जमीन नहीं है महोदय, गरीब का ए.टी.एम. कार्ड बकरी है महोदय । लेकिन सरकार ने वादा तो जरूर किया लेकिन बकरी देने का काम सरकार ने नहीं किया ।

महोदय, बिहार में पशु तस्करी एक बहुत बड़ी समस्या है । बिहार के पशुओं को बंगलादेश ले जाया जाता है । इतनी बड़ी मात्रा में पशु तस्करी हो रही है

लेकिन सरकार का उस पर कोई ध्यान नहीं है महोदय । हमलोग लगातार थानों को, लगातार डी.एम., एस.पी. को फोन करते हैं लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है और इसके कारण लगातार पशुधन घट रहे हैं, गायों की संख्या में लगातार हास हो रहा है और महोदय, सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि वर्ष में दो बार पशुपालकों के दरवाजे पर निःशुल्क टीकाकरण की सुविधा सरकार के द्वारा लागू की गई है । राज्य के देशी नस्ल के गोवंश का संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु राज्य में स्थापित गोशालाओं को सुदृढ़ करते हुए अत्याधुनिक मोडल गोशाला के रूप में विकसित करने की व्यवस्था करना था लेकिन महोदय नहीं हुआ । सरकार केवल घोषणा करती है और उस घोषणा को अमलीजामा पहनाने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है महोदय ।

(व्यवधान)

महोदय, वर्ष 2013-14 में 708 करोड़ रूपया का बजट था इस विभाग का महोदय, लेकिन केवल 152 करोड़ रूपया 2013-14 में खर्च हुआ । 2014-15 में यह बजट 300 करोड़ के पास पहुंच गया ।

अध्यक्ष : अब समाप्त करिए मिथिलेश जी ।

श्री मिथिलेश तिवारी: महोदय, दो मिनट । महोदय, एक सबसे आश्चर्यजनक बयान का मैं जिक्र करना जरूर चाहता हूं महोदय । 2014 में उस समय के तत्कालीन माननीय पशुपालन मंत्री श्री बैद्यनाथ साहनी जी का जवाब आया था सदन में और उन्होंने कहा था कि 2015, दिसम्बर के बाद बिहार में आंध्र प्रदेश से मछली नहीं आएगी । मैं पूछना चाहता हूं कि आज बिहार के लोग कहां की मछली खाते हैं ? बिहार में आज भी 12 हजार करोड़ रूपए की मछली आंध्र प्रदेश से आती है । दिसम्बर, 2015 बीत गया लेकिन उस पर कोई रोक नहीं लगाई गई और ऐसा मछली का उत्पादन बिहार में नहीं हुआ जिसके चलते बिहार के लोग आज भी बाहर का मछली खाते हैं । यहां का पैसा बाहर के राज्यों में जाता है ।

महोदय, 17 करोड़ की लागत से 876.28 हेक्टेयर आर्द्र जल क्षेत्र में तालाब का निर्माण होना था महोदय, 50 परसेंट अनुदान लाभुकों को मिलना था ...

अध्यक्ष : मिथिलेश जी, अब समाप्त करिए ।

श्री मिथिलेश तिवारी: महोदय, मेरे क्षेत्र का एक छोटा मामला है, मैं कह कर खत्म करूंगा महोदय।

महोदय, गोपालगंज सहित राज्य के तमाम हजारों वैक्सिनेटर जिन्होंने अपनी सेवा दी है, जिन्होंने वैक्सिन लगाने का काम किया, उनका न नियोजन हुआ, न उन्होंने जो वैक्सिन लगाया, पशु नस्लवार की गणना की, उसका भी भुगतान महोदय, आज तक नहीं हुआ है। यह 2012-13 की बात मैं कह रहा हूँ, वह भुगतान के लिए दर-दर की ठोकर खा रहे हैं, प्राइवेट लोग हैं, उनको सरकार ने काम पर लगाया और उनका भुगतान नहीं हुआ महोदय। 2014-15 में एच.एस.बी.क्यू.का वैक्सिनेशन करने के बाद भी विभाग द्वारा उनका आज तक भुगतान नहीं हुआ महोदय।

महोदय, मेरे बिहार विधान सभा में सिधवलिया में जलालपुरकला पशु अस्पताल में केवल कागज पर है महोदय।

अध्यक्ष : अब आपका समाप्त हुआ।

श्री मिथिलेश तिवारी: वहां नहीं है। भवनविहीन नहीं है, झंझुआ बाजार में नहीं है, बैकुंठपुर राजापट्टी कोठी में नहीं है ... क्रमशः

टर्न-12/राजेश/18.3.16

श्री मिथिलेश तिवारी, क्रमशः- सरकार अगर पशुओं के प्रति गंभीर है, तो जितने भी बिहार में पशु चिकित्सालय हैं, उसका शीघ्र निर्माण कराया जाय, इसलिए मैं कहता हूँ कि यह सरकार जो बजट लायी है, यह सरकार खर्च नहीं कर पायेगी, इसलिए मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में खड़ा हुआ हूँ, इसलिए सरकार के बजट से 10 रुपये घटायी जाय महोदय।

अध्यक्ष:- माननीय सदस्य श्री मुन्द्रिका सिंह यादव।

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव:- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आसन के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि सदन में माननीय पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तुत मांग पर बोलने के लिए समय आपने दिया। पशुपालन मानव सभ्यता का अभिन्न अंग रहा है। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है मनुष्य और पशुओं का संबंध रहा है महोदय, बिना पशु का मानव की कल्पना नहीं की जा सकती, बच्चा जब पैदा लेता है, माँ उसे दूध पिलाती है महोदय और किसी कारणवश जब माँ के दूध से उसे वंचित होना पड़ता है, तो उस इंसान का सहारा गाय ही होती है और वही उसका पालनहार होता है महोदय, इसलिए मैं कहूँ कि पशु मानव जीवन की दायिनी है, गाय मानव जीवन की दायिनी है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी महोदय, चाहे जंगली युग हो या पशुपालन युग हो,

हमेशा पशु और मनुष्य का संबंध रहा है महोदय, लेकिन मुझे अफसोस है कि आज पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन पर बहस है लेकिन जो सदन में उपस्थिति है, वह घोर चिंता को दर्शाता है महोदय कि माननीय सदस्यों को इसके प्रति चाहे वह सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, खासतौर से सामने में बैठने वाले की उपस्थिति आज नगण्य है महोदय, बात ये चाहे जो बोल ले लेकिन यह दर्शाता है कि इसके प्रति इनकी दिलचस्पी नहीं है महोदय। महोदय, मैं किसान घर में पैदा हुआ हूं, इसलिए हमें हलवाई एवं चरवाही का ज्ञान है, मैंने खुद हलवाई किया है और चरवाही किया है और पशुओं के बारे में जानते हैं, समझते हैं और बुझते हैं महोदय, लोग कहते हैं कि पशु अनमोल धन है, अनबोलता धन है लेकिन नहीं महोदय अनमोल तो है ही, अनबोलता धन नहीं है, बल्कि बोलता धन है महोदय.....

(इस अवसर पर मा0 सभापति, श्री अशोक कुमार ने आसन ग्रहण किया)

सभापति महोदय, मैं कहता हूं कि निश्चित रूप से उसकी बोली और भाषा जो उसके नजदीक रहते हैं, किसान और पशुपालक बहुत ही अच्छे ढंग से समझते हैं, चार बजे जब भोर होता है, जब गाय बोलती है, मैं तो कहूंगा कि जब वह भोकरती है, तो पशुपालक और किसान जान जाता है कि उसका जो है खाने का समय हो गया, उसे दूध उतारने का समय हो गया, इसलिए हम नहीं कह सकते कि वह अनबोलता धन है महोदय, हर एक का बोली महोदय जैसे वह गाय हो, भैंस हो, बैल हो, सुअर हो, बकरा हो, बकरी हो, मुर्गी का भी, जब मुर्गा सुबह में बाग देता है, मानव जगत जान जाता है कि सुबह हो गया, इसलिए यह कहना सही नहीं है कि वह अनबोलता धन है, हम धन्यवाद देते हैं सरकार को, माननीय पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री जी को कि इन्होंने बड़े ही सलाहियत के साथ, अच्छे ढंग से इस विभाग को अपने क्रियाकलाप से सँभालने का काम किये हैं, वैसे तो मैं नहीं जानता कि पशुओं के साथ इनका क्या संबंध रहा है लेकिन जो इनका क्रियाकलाप है, निश्चित रूप से बताता है कि इन्हें किसान का, पशुपालक का अच्छा अनुभव रहा है और उस अनुभव का लाभ इस विभाग को मिलेगा और इनके प्रयास से इस विभाग की उत्तरोत्तर प्रगति होगी, उन्नति होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। सभापति महोदय, आज इस सदन में अपने सुप्रीमो आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को कोटि-कोटि धन्यवाद देते हैं, उन्होंने कहा था कि गाय चराने वालों, भैंस चराने वालों, सुअर चराने वालों, कागज चुनने वालों, महोदय केवल उन्होंने यही नहीं कहा बल्कि उन्होंने चरवाहों के लिए चरवाहा विद्यालय खोलने का काम किया और महोदय चरवाहा विद्यालय सच माने में, जब

हमलोग चरवाही करते थे, तो उस समय चिक्का खेलते थे महोदय, कबड्डी खेलते थे महोदय और कुश्ती भी लड़ते थे महोदय, गिली-डंटा भी खेलते थे महोदय लेकिन आज हम धन्यवाद देते हैं महोदय उन चिक्का खेलने वालों के लिए, कुश्ती लड़ने वालों के लिए हमारे आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी ने चरवाहा विद्यालय खोल करके उन्हें शिक्षित करने का काम किया, शिक्षा देने का काम किया, यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं रहा महोदय, देश और दुनिया में चरवाहा विद्यालयों की प्रशंसा हुई महोदय, आज इस सदन में बड़े ही गर्व के साथ कहना चाहते हैं महोदय और यह जो सामने बैठे लोग हैं महोदय, अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि गाय हमारी माता है लेकिन ये याद करेंगे, पूरा सदन गवाह है कि जब पटना से खटालों को उजाड़े जा रहे थे, सारे पटना से जो पशुपालक रहे थे, किसान रहे थे, जिनका जीवन उसी पर निर्भर कर रहा था, पटना के किसान हर जाति और धर्म के लोग खटाल खोल करके दूध उत्पादन करके अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं महोदय, वही उनकी जीविका है, ये लंबे काल से पुश्त दर पुश्त से जब से पटना का सृजन हुआ है, जब से पटना बना है, पाटलिपुत्र बना है, वह खटाल चला आ रहा है लेकिन ये जो कह रहे हैं महोदय, जब खटालों को उजाड़ा जा रहा था, गायों को मार-मारकर पटना से भगाने की योजना चलायी जा रही थी, तो ये कहाँ थे महोदय, इनकी आवाज निकली थी क्या, यही से आते हैं, अभी वे सदन में नहीं हैं, आपके नंदकिशोर यादव जी, वे अभी सदन में नहीं हैं, वे सिटी से रिप्रजेन्ट करते हैं महोदय, पूरे पटना में सिटी सहित दानापुर तक सारे खटालों को उजाड़ने का काम किया जा रहा था लेकिन आज हम बड़े ही गर्व के साथ कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ने आगे आ करके उन खटाल चलाने वालों को संरक्षण देने का काम किया।

कमशः

टर्न : 13/कृष्ण/18.03.2016

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव (कमशः) राष्ट्रीय जनता दल ने आगे आ करके उन खटाल चलानेवालों को संरक्षण देने का काम किया । इतना ही नहीं, खटाल बचाव संघर्ष समिति बना करके राष्ट्रीय जनता दल ने सड़क पर आंदोलन छेड़ने का काम किया । लोग कहते थे कि हाईकोर्ट का आदेश है, न्यायालय का आदेश है । राष्ट्रीय जनता दल ने उसका मुकाबला करने का काम किया । उसको जवाब देने का काम किया । महोदय, ये लोग एक जुबान भी नहीं निकाल सके थे । उन दिनों कहां आपकी जुबान गयी थी । गाय हमारी माता है, उस दिन भूल गये थे क्या ? जब खटालों को उजाड़ा जा रहा था, तरह-तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, उन्हें ऐरेस्ट किया जा रहा था । आप जो नारा देते हैं, उन दिनों आप कहां गये थे ? यही नहीं महोदय, हम कहना चाहते हैं कि इनकी करनी और कथनी में अंतर है । आपकी जमात वादा खिलाफियों की जमात है । इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि आप सचेत हो जाईये । लोगों को फुसला करके, बहला करके, धोखा दे करके आप आगे नहीं चल सकते हैं । ये जो किसान हैं, मैंने कहा कि कृषि का और पशुपालन का अन्योन्याश्रय संबंध है। कहा जाता है कि भारतीय अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ कृषि है । भारतीय अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ पशुओं को माना जाता है । महोदय, बिहार सरकार सचेष्ट है, तरह-तरह से पशुओं के संवर्द्धन करने के लिये, पशुओं को आगे बढ़ाने के लिये और पूरे राज्य के पैमाने पर पशु अस्पताल खोल करके उनके बीमार पशुओं के लिये समुचित दवाओं की व्यवस्था की गयी है । जो पशुपालक हैं, उन्हें सरकार दुधारू पशु देने का काम कर रही है । बैकों के माध्यम से पशुपालकों को सबसिडी देकर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है । महोदय, हर तरह से उन्हें संरक्षण दे करके आगे बढ़ाया जा रहा है । महोदय, दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियां जो राज्य के पैमाने पर बनी हैं, उसके लिए जगह-जगह दुग्ध संग्रह केन्द्र स्थापित करके जो पशुपालाक हैं, जो किसान हैं, वहां आस-पास के इलाके से अपना दूध दुग्ध संग्रह केन्द्र पर लाते हैं और उन्हें समय पर राशि उपलब्ध करायी जाती है जिससे वे अपना घर-गृहस्थी चलाने का काम करते हैं, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करते हैं, अपने बच्चों की शादी-विवाह रचाने का काम करते हैं । हर तरह से उसके माध्यम से विकास का काम हो रहा है । जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके लिये भी सरकार ने हर तरह से पशुधन उपलब्ध कराकर उनका संवर्द्धन करने का काम कर रही है । जो गरीब हैं, बी0पी0एल0 सूची में हैं, उन्हें बकरीपालन के लिये राशि दी जा रही है । जो अनुसूचित जाति के लोग

हैं, दलित हैं, उनको भी हर तरह से मदद करके उन्हें सहयोग किया जा रहा है, आर्थिक सहयोग किया जा रहा है। उन्हें सबसिडी देने काम किया जा रहा है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि ये जो सरकार है कल्याणकारी सरकार है और सामाजिक न्याय की सरकार है। खास तौर से कहना चाहेंगे कि जो सामाजिक न्याय की सरकार है, जो समाज के अंतिम पंक्ति में रहनेवाले लोग हैं, उनके ऊपर उनका विशेष रूप से खयाल है। उनके संवर्द्धन के लिए, उनके उत्थान के लिये और उनके विकास के लिये बहुत सारी योजनायें सरकार के द्वारा अपनायी जा रही है और ये जो सरकार है, गरीबों से इनका कोई रिश्ता नहीं है। ये हर तरह से पूंजीपतियों की बात करते हैं, सामंतियों की बात करते हैं, टाटा की बात करते हैं, सिंघानिया की बात करते हैं। महोदय, ये गरीबों के दुश्मन हैं। जब भी किसानों की बात आती है तो ये मुंह मोड़ने का काम करते हैं। इन्होंने कहा था कि हम किसानों के ऊपज का डेढ़ गुणा दाम देने का काम करेंगे। महोदय, ये किसानों को उनके ऊपज का डेढ़ गुणा मूल्य क्या देंगे, अभी इन्होंने डीजल का दाम बढ़ा करके आज मंहगाई को नेवता देने का काम किया है। डीजल का दाम बढ़ने से, पेट्रोल का दाम बढ़ने से हर प्रकार के चीजों के दाम में वृद्धि होगी और जो यहां के आवाम हैं, वे मंहगाई की मार झेलने को बाध्य होंगे। इन्होंने जो कहा था कि हम मंहगाई को कम करके अच्छे दिन लाने का काम करेंगे, महोदय, इनके लिये अच्छे दिन हो सकते हैं लेकिन सूबे बिहार की 10 करोड़ जनता के लिये अच्छे दिन नहीं हैं। ये बुरे दिन लाने का नेवता दे रहे हैं। इसीलिये सूबे की महान जनता ने इनको सीख देने का काम किया है, सबक देने का काम किया है। मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, दिल्ली में सामाजिक न्याय की जो विरोधी सरकार, पूंजीपतियों की सरकार, टाटा, बिड़ला, सिंघानिया की सरकार बनी है, आनेवाले दिनों में जो देश को तोड़नेवाली सरकार है, समाज को तोड़नेवाली सरकार है, किसी भी कीमत पर देश की जनता उसे बर्दास्त नहीं करेगी। इसलिए इन्हें सचेत करना चाहते हैं कि आप आनेवाले दिनों में इस देश की जनता के साथ आप नाइन्साफी मत करिये। बेईमानी नहीं कीजिये, अपमानित नहीं करिये।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री पशुपालन विभाग से अपने क्षेत्र के बारे में अर्ज करना चाहता हूं कि जहानाबाद में पशु अस्पताल है, जिसे लोग घोड़ा अस्पताल कहते हैं, वह जीर्ण-शीर्ण हालत में है, उसे बनाने का काम कीजिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

श्री जनार्दन मांझी : सभापति महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है और 89 प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती है। महोदय, गांवों की जो स्थिति है और जो हमारा रोड मैप है, उसमें पशुधन बकरीपालन, मुर्गी पालन इसी में आते हैं और खास करके बिहार में ग्रामीणों की जो हालत है, उसमें हर परिवार के लिये खासकर के पशुपालकों के लिये बहुत मुद्दा है चाहे वह मच्छली पालन हो, चाहे मुर्गीपालन हो और ज्यादा से ज्यादा किसान पशुपालन के द्वारा ही जीविकोपार्जन करते हैं। किसानों का एक मात्र सहारा होता है पशुपालन। हर परिवार में एक पशु पालन अवश्य होता है। अगर पशुपालन नहीं करेंगे तो वह दूध नहीं खा सकेंगे, न दूध का निर्यात होगा, मच्छली पालन अगर नहीं करेंगे, तो बाहर से मंगानी पड़ेगी। पहले आंध्र प्रदेश से मच्छली यहां आती थी लेकिन बिहार मच्छली के मामले में आत्मनिर्भर होने जा रहा है। मुर्गी पहले आंध्र प्रदेश से आती थी लेकिन बिहार अब इसमें आत्मनिर्भर है। इसलिए माननीय मंत्री ने जो बजट पेश किया है, यह बजट किसानों के भी हित में है। हमलोग इस बजट के पक्ष में बोल रहे हैं और विपक्ष के द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोल रहे हैं।

महोदय, सुखमय जीवन के लिये पशुओं का पालन गांवों के लोग करते हैं। हम जिस गांव से आते हैं, उस गांव के हरेक परिवार अवश्य ही गाय या भैंस पालते हैं। सरकार के द्वारा अभी जो कार्यक्रम चलाया गया है गव्य विकास निगम के माध्यम से, सामूहिक रूप से सरकार की ओर से 2 गायें, 5 गायें सबसिडी के साथ दिया जा रहा है, जिसमें आम लोगों को 50 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लोगों को 75 प्रतिशत सबसिडी दिया जा रहा है। इस प्रकार से सरकार पशुपालकों को पशु दे कर प्रोत्साहित कर रही है। यह हमारी सरकार की बहुत बड़ी देन है। पशुओं पर सरकार की जो चिन्ता है, मच्छली पालन के लिये अभी हमारे यहां तलाब का निर्माण हुआ।

क्रमशः

टर्न-14/सत्येन्द्र/18-3-16

श्री जनार्दन मांझी(कमश:): जिसमें बिहार में हरेक जिले में तालाब का निर्माण हुआ है और इस बार सरकार की ओर से बजट में और राशि का प्रावधान किया गया है। कई जगहों पर तालाब की खुदाई हो रही है। हम सोचते हैं विकास के मायने में पशु, पशुधन सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है और इसके तहत मत्स्य पालन हो और मुर्गी पालन हो इस सब में हमारी सरकार का बहुत सारा कार्यक्रम है और बजट में 89 प्रतिशत आबादी वाले गांव में खेतिहर लोग जीवन निर्वाह करते हैं उनका मुख्य पेशा खेती एवं पशुपालन, मुर्गी पालन है। आज उसके जरिये ही गांव का विकास हो रहा है। वहां लोगों का मुख्य पेशा खेती है। जानवरों के प्राण रक्षक दवाई के लिए भी हमारे बजट में प्रावधान किया गया है। महोदय, 660 करोड़ की लागत से बी0पी0एल0 धारकों को मुर्गी पालन के लिए हमारे यहां योजना बनायी गयी है और हमारे यहां वर्ष 2015-16 में 41.45 लाख की लागत पर राज्य में इवियन इन्फ्लूएंजा रोग के प्रभावी नियंत्रण हेतु सर्वेक्षण कार्य एवं उसके नियंत्रण की योजना स्वीकृत की गयी है। गांव में बीमारी से राहत देने के लिए हमारे यहां पशुपालन विभाग में डॉक्टर नियुक्त हैं। हमारे यहां वर्ष 2015-16 में 813.22 लाख मात्र की लागत पर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के पशुपालन प्रक्षेत्रान्तर्गत आधारभूत संरचना का विकास भवन निर्माण विभाग से कराये जाने की स्वीकृति दी गयी है। 262.9973 लाख मात्र की लागत पर केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत ब्रुसेलोसिस टीकाकरण की योजना स्वीकृत की गयी है। वहीं 1500 लाख मात्र की लागत पर एफ0एम0सी0पी0 के तहत पशुओं को एफ0एम0डी0 रोग से बचाव हेतु एफ0एम0डी0 टीकाकरण योजना की स्वीकृति दी गयी है। 224.93 लाख की लागत से ई0एस0भी0एच0डी0 के तहत चेस्ट कूलर के क्रय की योजना स्वीकृत की गयी है। 2129.988 लाख की लागत पर पशु रोगों के नियंत्रण के तहत राज्यों की सहायता की योजना स्वीकृत की गयी है। पशु स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 31 मार्च, 2015 से 10 मई 15 तक एफ0एम0डी0-सी0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत 163.15513 लाख पशुओं को एफ0एम0डी0 संक्रामक रोग से बचाव हेतु टीकाकरण किया गया है। 4.8010 करोड़ की लागत पर केन्द्र प्रयोजित योजना के तहत राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन कार्यक्रम योजना का क्रियान्वयन किया गया है। सभापति महोदय, चीज पैकिंग मशीन की स्थापना 252 लाख की लागत पर किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल 25 लाख के अनुमानित व्यय पर 200 इकाई स्वचालित मिल्कींग मशीन स्थापित किये जाने की योजना की

स्वीकृति प्रदान की गयी है। मत्स्य प्रक्षेत्र में 37.0058 करोड़ की लागत पर तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार की योजना के तहत 20 मत्स्य हैचरी, 496.69 हे० नया तालाब निर्माण, 500 ट्यूबवेल एवं पम्प सेट का अधिष्ठापन, 250 हे० आर्द्र जल भूमि का विकास एवं 2870 नाव एवं 2888 फेका जाल वितरण, 18700 हे० जल क्षेत्र में अनुदानित दर पर मत्स्य बीज उत्पादन एवं वितरण तथा 217 चौकीदार शेड के निर्माण की योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। महोदय, 21.2553 करोड़ की लागत पर अनु०जाति/अनु० जनजाति परिवारों को विशेष घटक योजना के तहत 90 प्रतिशत अनुदान पर 522 नर्सरी तालाब का निर्माण तथा 1045 ट्यूबवेल एवं पम्प सेट अधिष्ठापन की योजना स्वीकृत की गयी है। 13.77 करोड़ की लागत पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत मत्स्य बीज हैचरी का निर्माण, ट्यूबवेल एवं पम्प सेट अधिष्ठापन, नये तालाब का निर्माण तथा मत्स्य आहार वितरण की योजना का क्रियान्वयन किया गया है। हमारा जो बजट है और मैं सभापति महोदय, आपके द्वारा मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि जैसे हमारे क्षेत्र में 10 एकड़ तालाब का प्रोविजन हमारे जिला में किया गया है इसमें कम से कम दोगुना होना चाहिए ताकि सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र हमलोगों का है और मत्स्य पालन के लिए उचित स्थान है। यही कहकर मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ।

श्री संजीव चौरसिया: महोदय, मैं पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के लिए दिये गये कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। ये सर्वविदित है कि हमारी जो संस्कृति है निश्चित तौर पर हमलोगों ने जो अनुबंध किया उसे प्राणी रूप में मानते हैं कामधेनु गाय को मांगते हैं। भारतीय संस्कृति में गाय की महत्ता क्या है, यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है। यह संस्कृति ही अपने आप में बताती है गाय माँ है ऐसे देश के अन्तर्गत तो सबसे बड़ा विषय है कि पूरे रचना की दृष्टि मानव मात्र की कल्पना भी करते हैं, मानव की उत्थान करते हैं मानव की रचना के बारे में पूरा विचार करते हैं। शायद यह अधूरा होगा कि जबतक पशु के क्षेत्र में पशु के बारे में अगर चिन्ता ना करें चूंकि आर्थिक समृद्धि, आर्थिक संरचना आर्थिक विकास से जुड़ा है तो प्रारम्भ से आदि काल से इसी क्षेत्र से जुड़ा है। अरे एक-एक घर के बारे में, ग्रामीण क्षेत्र के बारे में ग्रामीण परिवेश के बारे में अगर यहां चिन्ता करते हैं, चिन्तन करते मनन करते हैं तो यह बात ध्यान में आती है कि अगर उस कार्यप्रणाली के हिसाब से अगर ग्रामीण परिवेश की बात करें तो पशु ही एक आधार रहा है और मुख्य रूप से गाय का जो

आधार रहा है वह सर्वविदित है। इस संस्कृति के अन्तर्गत ग्रामीण परिवेश में जीविका का बड़ा आधार रहा है। अगर उसके एक गांव में एक गरीब एक गाय को पालता है उसकी जीविका पूरी होती है उसके गोबर से जलावन का काम होता है और दूध अगर वह बेचता है तो दूध से घर की रोजी रोटी कैसे चलती है तो पूरा एक इंटीग्रेटेड जीविका का आधार गाय रहा है। अब निश्चित तौर पर अगर उसके बारे में विचार करेंगे तो प्रांत का सही विचार हो सकता है पर शायद बिहार के परिप्रेक्ष्य में लम्बे समय तक इसको हमने दरकिनार रखा इसलिए सम्पन्नता का आधार चाहिए, कृषि का आधार चाहिए उसमें काफी बिलम्ब दिखलाई दिया। सरकारें बनती गयी, सरकार के विचार अपने आप में प्रफुटित होती गयीं, बिगड़ते गये कृषि रोड मैप का भी आधार बना कि कृषि रोड मैप को आधार बनाकर हम किस प्रकार से आगे बढ़ने का काम करेंगे पर वास्तव में सरकार के परिप्रेक्ष्य में दिखलाई दे रहा है कि आज कृषि रोड मैप का क्या हश्र हुआ? महोदय, वो सर्वविदित है, 2012-15 का जो कृषि रोड मैप बना उसमें सरकार का आधार निश्चित तौर पर पूरी तरह से फेल दिखलाई दे रही है। माननीय सभापति महोदय जो एक आधार हमने पशु को मानकर चला था अलग-अलग प्रकार से और विशेष कर के गाय के दृष्टि से भी तो 7 निश्चय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो प्रदत्त हुआ उसमें से भी बातें आयीं कि उस निश्चय को छोड़ा गया है जो सबसे बड़ा एक आधार सम्बद्ध कर सकता था बिहार के विकास के दृष्टि से उसको छोड़ने का काम किया गया और आज अलग-अलग प्रकार से वक्ताओं से इस चीज को रखें। चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सभी ने इस चीज को रखा कि आज अस्पतालों की स्थिति क्या है? आज जानवर के विचार करते हैं तो वेटनरी कॉलेज की स्थिति क्या है? मैं जहां रहता हूँ वहां वेटनरी कॉलेज है बगल में और पूर्व के मुख्यमंत्री जी जहां रहे हैं वेटनरी कॉलेज के उस क्षेत्र में लम्बे समय तक जीवन व्यतीत हुआ। वास्तव में उस क्षेत्र में जो वेटनरी कॉलेज के स्थिति पहले था कि जब पशु आते थे वहां पर लगता था कि अलग प्रकार रौनक उस क्षेत्र का है पर आज स्थिति वहां क्या हो गया है। आज आप देखेंगे कि वेटनरी कॉलेज की स्थिति खराब होती चली जा रही है चूंकि अस्पतालों का जिस प्रकार से वृद्धि होना चाहिए था जानवरों के रखरखाव के लिए वह घटती चली गयी, जीर्णोद्धार अवस्थाओं में हो गयी। महोदय, पांच हजार जानवरों पर एक अस्पताल की व्यवस्था होनी चाहिए थी वह नहीं हो पायी और सबसे सबसे बड़ी बात कि वेटनरी कॉलेज के निकले हुए छात्र जो पहले अपने आप में यह मानते थे कि मैं वेटनरी का विद्यार्थी हूँ

और वो अपने आप को सुरक्षित मानते थे कि हम कहीं न कहीं गऊ सेवा, जानवर सेवा में सम्मिलित होऊंगा पर उनकी आज बहाली नहीं हो रही है आज पूरा का पूरा पद रिक्त है। आज उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि जहां तहां अस्पताल जो खुलना चाहिए था वह तो नहीं खुले और जो सेवा होनी चाहिए थी पशु की दृष्टि से वह भी नहीं हो रहा है। निश्चित तौर पर आज उसका बड़ा कारण यह रहा है कि वेटनरी कॉलेज के जो विद्यार्थियों की बहाली होनी चाहिए थी पढ़ने के पश्चात वह पूरी की पूरी खत्म है और लगभग 70 प्रतिशत बहाली अभी तक ठप्प है। अनुबंध के आधार पर कुछ नौकरियां दी गयी हैं तो सबसे प्रश्न वाचक चिन्ह है कि आज हम बात करते हैं मत्स्य की तो बात आन्ध्र प्रदेश की आती है अगर सही मायने में देखें आज मछली का सीड बिहार में ज्यादातर बंगाल से आ रहे हैं और आज क्या कारण है कि बिहार में छोटा सा सीड्स उत्पादन भी मछलियों के दृष्टिकोण से नहीं कर सकते हैं। यह भी एक बड़ा प्रश्न अपने आप में है, बिहार की दृष्टि से है कि हम लाख विकास की योजना की बात करें लेकिन जब मछली पालन में राशि इतना बचा सकते हैं कि हमारे यहां दरभंगा से लेकर मधुनबी, झंझारपुर से मिथिला के बेल्ट में मछली के सीड्स के उत्पादन का काम कर सकते हैं, फल्ट् ज़ोन एरिया में जहां सीड्स को हम बढ़ावा दे सकते हैं.. (कमशः)

टर्न-15/मधुप/18.3.16

श्री संजीव चौरसिया : ..क्रमशः.. वह भी हम करने में अक्षम हैं । सबसे बड़ी बात है कि सीमेन सेन्टर जो खोलने की बात थी, वह भी नहीं हो पा रहा है तो प्राइवेट पार्टी आकर इसमें काम कर रहे हैं । बीमारी से टी0पी0आर0 नहीं रहने के कारण बकरी काफी संख्या में मारी जा रही हैं । गऊ की दृष्टि से जो बात हम लगातार कर रहे हैं, अगर हम स्वदेशी की बात करें, गऊ के प्रजनन की बात करें, जो दो-तीन प्रकार हमारे यहाँ उपलब्ध है, बचौर सीतामढ़ी से और शाहाबादी गऊ, उसके विकास के बारे में भी कोई चिन्तन नहीं है । गऊ के चिन्तन की जब बात करते हैं तो उसमें लगातार गिरावट हो रही है । हम आँकड़े आपको देना चाहेंगे इस सदन की दृष्टि से भी कि जो तस्करी हो रही है, उस तस्करी के माध्यम में अगर बंगलादेश की जब बात करें, बंगला देश में जो मलेशियन कम्पनी है उसमें इधर के बोर्डर से जाने वाले 20 हजार गायें प्रतिदिन वहाँ जाते हैं और लगभग 1 लाख 87 हजार टन गऊ मांस निर्यात होते हैं और 300 करोड़ की कमाई प्रत्येक वर्ष वहाँ से होती है । यह कहाँ से होती है ? यह तस्करी की जो रचना यहाँ से दी जा रही है बिहार की दृष्टि से, इससे हो रही है। सभापति महोदय, आज सबसे बड़ा प्रश्न बिहार की दृष्टि से खड़ा है कि हम किस चौराहे पर खड़ा हैं । आज पंजाब की बात करें, आज बंगाल की बात करें, अन्य राज्यों की बात करें तो सभी राज्यों में जिस प्रकार से विचार हुये हैं पशु के बारे में, उस प्रकार के विचार हम नहीं कर पाये हैं । आज उसी का दुष्परिणाम है कि पूरा का पूरा क्षेत्र अपने-आप में खाली दिखाई दे रहा है । आज यहाँ के विद्यार्थी जो निकलकर काम कर रहे हैं वेनरी कॉलेज से, उनको अपने-आप में असुरक्षित महसूस होता ही है और गऊ संवर्धन की दृष्टि से कृषि के पूरे समग्र विकास का जब चिन्तन करते हैं तो समग्र चिन्तन का भी अभाव दिखाई दे रहा है । कृषि का जब विचार करेंगे, कृषि पुत्र कहेंगे, कृषि प्रधान यह प्रांत कहेंगे लेकिन कृषि प्रधान प्रांत के रहते हुए घोर अभाव के कारण कृषि का पूरा समग्र विकास हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि कृषि प्रधान प्रांत, उर्वरक भूमि होते हुए भी गऊ के बारे में विचार नहीं किये, जानवरों के बारे में विचार नहीं किये तो सही मायने में लाइव-स्टॉक के बारे में, उसके सीड्स के बारे में, उसके आहार के बारे में कहीं भी किसी प्रकार का कोई विचार सरकार के द्वारा नहीं हुआ है । यक्ष प्रश्न सरकार के समक्ष निश्चित तौर पर खड़ा होता है कि वास्तव में आपकी रचना और संरचना किस प्रकार रही है । अगर

अखिल भारतीय स्तर पर बात करें तो केन्द्र में जो सरकार है, वास्तव में कृषि के बारे में, पशुधन के बारे में, चूँकि पशुधन ही राष्ट्रधन है, अगर पशुधन के बारे में चिन्ता नहीं होगी तो राष्ट्रधन का चिन्तन हम कर ही नहीं सकते हैं। यह भारतीय संस्कृति की देन है, यह भारतीय परम्परा की देन है। इसलिए उस चिन्तन को हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है पर बिहार के परिप्रेक्ष्य में इस चीज को हमने कभी अपने प्रभाव में साकार करने का काम नहीं किया है। आज जो अभाव दिख रहा है पूरे दृष्टि से कि टीकाकरण गऊ की दृष्टि से, पशु की दृष्टि से नहीं हो रहे हैं, रानीखेत जैसी बीमारियाँ आ रही हैं, ऐसे अनेक बीमारी एच0एस0 बी0क्यू0, ऐसे बहुत सारी बीमारियाँ निश्चित तौर पर उन क्षेत्रों में अपना पैर जमाने में सक्षम हो रहे हैं। सौ नये पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता थी, वह भी हम अभी तक नहीं खोल पाये हैं जिसका प्रभाव सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है कि गऊ पालन से या कृषि पालन से अलग-अलग क्षेत्रों में जो काम हो सकते थे, अन्य प्रांतों में ऐसे बहुत सारे अनुभव हुये हैं कि गऊ मूत्र से किस प्रकार, जो वैज्ञानिक रूप से आज प्रूफ हो गये हैं गऊ मूत्र से साबुन से लेकर, औषधि से लेकर, गोबर से लेकर, अगर उसके वैज्ञानिक औषधि के रूप में उपयोग कर सकते थे, आज वह चिन्तन बिहार की दृष्टि से नहीं है। अगर आप देखें उत्तर प्रदेश की दृष्टि से, अगर आप जायें चित्रकूट में, वहाँ एक धाम है, चित्रकूट के धाम पर देखें तो गऊ के विकास, गऊ के प्रजनन के बारे में नानाजी देशमुख जी ने किस प्रकार से काम किया है, वास्तव में सीखने लायक है। आज हमें बिहार में खोलने की आवश्यकता है, इनके समग्र चिन्तन के बारे में कि गऊ मूत्र से, गोबर से किन-किन बातों पर ध्यान देकर एक अलग प्रकार का स्व-रोजगार और स्वदेशी आधारित चीज विकसित कर सकते हैं बिहार में, उसका शायद अभाव है। हमें बिहार में इन चीजों के विकास के ऊपर भी सोचना चाहिये कि उसको लेकर हम कैसे बढ़ा सकते हैं। पेस्टीसाइड के बारे में, जब ऑर्गेनिक खेती की बात करते हैं, गऊ मूत्र से खेती के बारे में, गऊ मूत्र को पेस्टीसाइड बनाकर कैसे उपयोग हम खेती में कर सकते हैं, इसके बारे में भी चिन्तन करने की आवश्यकता है कि हम स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ाकर आगे बढ़ें।

इसलिये सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि इस प्रकार का पूरा समग्र चिन्तन कृषि के साथ, स्वदेशी के साथ बढ़ाने का काम करें तो शायद बिहार एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का काम करेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती अमिता भूषण : माननीय सभापति महोदय, मैं बिहार सरकार के वित्तीय वर्ष 2016-17 के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को आवंटित धन राशि एवं क्रियान्वयन की रूपरेखा के सन्दर्भ में समर्थन स्वरूप आपके समक्ष खड़ी हूँ ।

महोदय, संस्कृति हमारी धरोहर है, हमारी विरासत है । हमारी संस्कृति में मुख्यतः तीन धन की कल्पना की गई है - जन धन, स्त्री धन और पशु धन । वह इसलिये कि संसार की उत्पत्ति में पशु-पक्षियों का योगदान रहा है और वर्तमान स्वरूप में मानव के विकास में भी पशुओं का योगदान रहा है । यह अलग बात है कि लाखों करोड़ों सालों के बाद भी हम अपनी मूल प्रवृत्ति में कभी-कभी वापस आ जाते हैं और उनके जैसा व्यवहार करने लगते हैं । लगता है अभी भी मानव सभ्यता का विकास रुका नहीं है ।

आज भी हमारे दिन की शुरुआत मुर्गे की बाँग और दिन का अंत गाय-बछड़े के गले में लगे घंटी की टुन-टुन की आवाज से होता है । तार-बेतार और मोबाइल युग में इष्ट मित्र, बंधु-बांधव के आगमन की सूचना आज भी हमें काक महाराज के द्वारा मिलती है तो अवांछित आगंतुक का हमारे श्वान मित्रों के द्वारा । महोदय, आज भी मीन-दर्शन को हम सभी लोग शुभ संकेत मानते हैं । अगर पशुओं और पशुधन की उपयोगिता और जरूरतों के बारे में गणना करने बैठें तो कई दिवस कम पड़ जायेंगे । आज भी हम महात्मा गांधी के पद-चिन्हों पर अग्रसर लेने के लिए कृत संकल्पित है और उनके स्वास्थ्य के लिए बकरी के दूध का सेवन सर्वविदित है। प्रकृति द्वारा सृजित इस संसार में पशुओं के बिना एक कदम भी चलना मुश्किल है। इसलिए पशुधन अतिशयोक्ति नहीं बल्कि यथार्थ है ।

माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार ने मानव और पशुओं के बीच के गठबंधन को मजबूत करने के लिए कई प्रमाणिक कदम उठाये हैं। महाशय, मैं जिस जिले से आती हूँ, वहाँ का सबसे सफल दुग्ध शोधक कारखाना देशरत्न राजेन्द्र प्रसाद के नाम पर पिछले कई सालों से चल रहा है । वहीं कुछ प्रबुद्ध व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा भी महत्वपूर्ण दुग्ध शोधक कारखाने और गौशालाएँ चल रही हैं । कॉमफेड और सुधा हमारे राज्य में सफलतम PSUs में आते हैं । यह बिहार राज्य के दुग्ध क्रांति की कड़ी में एक महत्वपूर्ण कदम है । अभी हमारे अध्यक्ष महोदय यहाँ पर नहीं हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय भी जिस क्षेत्र से आते हैं, उस क्षेत्र में सफेद और नीली क्रांति का अद्भुत सम्मिश्रण है । जरूरत है इसे राज्यव्यापी बनाने की।

बिहार क्षेत्रफल के हिसाब से एक बड़ा राज्य होने के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में वातावरण और जलवायु भी अलग-अलग है। ऐसी परिस्थिति में हम सबों को क्षेत्रवार योजना के क्रियान्वयन की आवश्यकता है। जैसे आर्द्र क्षेत्र में जो बिहार का उत्तरी क्षेत्र है, की तुलना में दक्षिणी क्षेत्र जहाँ आर्द्रता की कमी है, एक अन्य प्रकार की योजना की जरूरत पड़ेगी। फिर भी समावेशी विकास के लिए दक्षिणी क्षेत्र में आर्द्रता बढ़ाने के लिए मत्स्य पालन पर विशेष जोर दिया जा सकता है ताकि न केवल आवा-हवा में आर्द्रता बढ़े बल्कि वातावरण में भी इसका अनुकूल असर हो। खासकर मेरे गृह क्षेत्र बेगुसराय जिले में गाय पालन, मत्स्य पालन के साथ-साथ कुक्कुट पालन और बकरी पालन पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

मैं सभापति महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि बेगुसराय जिला पशुधन और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। यहाँ पशु और गव्य विकास के क्षेत्र में अपार सम्भावनाएँ हैं। जिले के पशुपालन की खाली पड़ी जमीन जिसमें पशु चारा उत्पादन इकाई संयंत्र को स्थापित कर बेगुसराय एवं पड़ोसी जिले में पशु चारे की किल्लत को दूर किया जा सकता है। विशेष कर बेगुसराय, खगड़िया और हमारे माननीय सभापति महोदय जिस जिले से आते हैं समस्तीपुर जिला, क्योंकि यहाँ के काफी क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में चारे के संकट को एक समाधान के रूप में इसे बनाया जा सकता है। मवेशी अस्पताल में भी चिकित्सकों की कमी प्रायः दिखती है जिससे पशुपालकों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। मैं इसी सन्दर्भ में सभापति महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहती हूँ।

...क्रमशः...

टर्न-16/आजाद/18.03.2016

श्रीमती अमिता भूषण : (क्रमशः) कि गाय से हम सबों का भावनात्मक लगाव है क्योंकि दूध सुपाच्य, पौष्टिक और सर्वमान्य है लेकिन इसमें वसा की कमी होती है। सुधा वसा की मात्रा के आधार पर पशुपालकों को दूध का भुगतान करती है पर बाद में वसारहित दूध को ही बाजार में बेचती है। इससे पशुपालक हतोत्साहित होते हैं। उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए वसा के आधार पर भुगतान पर पूर्ण विचार करने की

जरूरत है। बिहार के दक्षिण भाग में आद्रता की कमी के कारण चारागाह की संख्या नहीं के बराबर है। अगर पशुपालन को बढ़ावा देना है तो चारागाह की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा करनी चाहिए और इसको प्रोत्साहन की भी नीति अपनानी चाहिए। मैं सभापति महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री जी को और बिहार के मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण के तहत मत्स्यपालन हेतु प्रेरित कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यक्रम एवं अन्य प्रस्तावित जो भी योजना है, वह बहुत ही सराहनीय है और इससे महिला पशुपालकों को बहुत ही मजबूती मिलेगी। अन्त में मैं आप सबों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ और खासकर के अपने पार्टी के सचेतक मुहम्मद जावेद जी के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा, माननीया सोनिया गांधीजी और माननीय राहुलजी का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अवधेश बाबू पर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेवारी दी है। हमें भरोसा है कि हमारे पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री, अवधेश बाबू इस विभाग को नयी ऊँचाईयों पर ले जायेंगे। मैं बजटीय प्रावधानों एवं उसके क्रियान्वयनों की रूप-रेखा का पूर्णतः समर्थन करती हूँ और सदन को नमन करती हूँ। धन्यवाद, जयहिन्द।

(भोजपुरी में दिये गये भाषण का हिन्दी अनुवाद)

श्री अरूण कुमार (192 संदेश) : माननीय सभापति महोदय, सभी माननीय सदस्यगण, सभी मंत्रीगण। आज इस सदन में मुझे बोलने के लिए मौका मिला है। हम भोजपुर जिला के हैं और भोजपुरी में बोलते हैं। आज मुझे बोलने का मौका मिला है, यह राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी का देन है, राबड़ी जी का देन है, नीतीश जी का देन है। सदन में जो बजट का प्रस्ताव आया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ और कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। हम भाजपा के लोगों से बोलना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल ये लोग नहीं जानते हैं, प्रैक्टिकल हमलोग जानते हैं। बकरी हमलोग पालते हैं, गाय हमलोग पालते हैं, गाय हम रखे हुए हैं। 170 गाय हमारे पास है और भैंस 60 है। बच्चा नम्बर से लगाया जाता है तब गिनती होती है। अगर विश्वास नहीं है तो हमारे यहां अंगियांव में जाकर देख लीजिए, वही पर हम रहते हैं, हम झुठ नहीं बोलते हैं। भाजपा के लोग झुठ ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि उन लोगों का आदत है अन्ताक्षरी करने का। हमलोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में अन्ताक्षरी होता था, उसमें जब एक

साथी बोलना बन्द कर देता था तब दूसरा कोई बोलता था । बाकी भाजपा के लोग वेल में जाकर के हल्ला करते हैं । मुझे विधान सभा में जनता चुनाव जीताकर भेजा है और हमलोग गरीब-गुरबा के वोट से जीते हैं । इसलिए गरीब के आवाज को सुनना चाहिए, गरीब के सवाल को उठाना चाहिए । हमारा जिला दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है । हम दूध के संबंध में प्रश्न किये थे कि दूध का बाजार भाव 36 ₹ है और गांव में डेयरी द्वारा दूध 24 ₹ लिया जाता है । इसलिए दूध का रेट बढ़ना चाहिए । यह नीतीश जी का देन है, लालू जी का देन है । भाजपा के लोग गाय-गाय बोलते हैं, ये लोग तो कमंडल उठाते हैं और हमलोग बाल्टी उठाते हैं। आज लालू जी को गाय-भैंस है, हमें भी गाय-भैंस है । हमारे गांव में जाईयेगा तो देखियेगा कि गरीब-गुरबा के पास भी भैंस है, गरीब-गुरबा के पास बकरी है । हमलोग यहां पर गरीब-गुरबा के वोट पर जीतकर आये हैं । हमलोग यही देखते हैं कि गांव में कोई जगह पर पंचायत होता है तो लोग कहते हैं कि यहां पर मत बोलिए, यहां पर मीटिंग हो रहा है । बाकी इस सदन में लड़का से भी ज्यादा बदतर स्थिति होता है । यहां पर भाजपा के लोग कम है, इन लोगों का आदत है कि कोई लड़का को खेत में कोई कुछ बोल देता है तो लड़का कहता है कि गांव पर चलो, झगड़ा करेंगे, यहां पर ये लोग बार-बार बोलते हैं । जैसे मोदी जी हमलोगों के जिला में आकर के कहे जैसे कि डाक होता है, कहे कि कितना लेगा, बोलो एक लाख, सौ-पचास कहते-कहते हमलोगों के जिला को उपहास करके चले गये । हमलोगों का बिहार किसी के बात को बर्दाश्त नहीं करता है । उपहास करने के जगह पर उनको रिजल्ट मिल गया, वे हार कर चले गये । इसलिए सभापति महोदय, हमको कहना है कि हमलोग जीतकर आये हैं, हमलोगों को विकास का काम करना है । गाय के बारे में भाजपा के लोग नहीं जानते हैं । हमलोग कृष्ण भगवान के वंशज हैं और अभी के समय में कृष्ण भगवान लालू और राबड़ी जी को मानते हैं । हमलोगों के गरीबों के मसिहा नीतीश जी हैं । आज मुखिया लोग बैचन है । पहले दबंग लोग मुखिया बन जाते थे, पंचायत समिति में भी दबंग लोग होते थे । आज गरीब-गुरबा को अधिकार मिला है कि जहां मुखिया खड़ा होगा, वहां गरीब-गुरबा, महादलित, पिछड़ा खड़ा होगा । आज नीतीश जी का देन है, लालू जी का देन है कि हमें यहां पर माईक पकड़ने का मौका मिला है । हम भैंस चराये हैं, हल जोते हैं, कुदाली चलाये हैं, चीका खेले हैं, खेत में काम किये हैं, यह सब हम जानते हैं । जो लोग शहर में रहते हैं, वे लोग विलायती दूध पीते हैं । विलायती दूध हमलोग नहीं पीते हैं, हमलोगों के

यहां घर का दूध मिलता है । हमलोगों के यहां दरवाजा पर भैंस है, गाय है, बकरी है। अगर मत्स्यपालन की बात है तो हमारे पास पोखड़ा भी है, हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं । इसलिए हम माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि पशुपालन विभाग द्वारा दूध का दाम बढ़ाना उचित होगा । इससे बेरोजगारी खतम होगा । हमारे यहां गरीब-गुरबा दूध का उत्पादन करते हैं । बाजार में चोकर का दाम बढ़ गया है, इसलिए डेयरी द्वारा बाजार रेट में अगर दूध लिया जाता है तो अच्छा होगा । भाजपा के लोगों से कहना चाहते हैं कि अभी यह शुरूआत है, अगली बार भाजपा बिहार से खतम हो जायेगा । यह लालू जी और राबड़ी जी का देन है, हमारे महागठबंधन का देन है कि हम आज सदन में हैं और हम यहां पर सबों को प्रणाम करते हैं ।

श्री सूबेदार दास : आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं आज पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के 2016-17 के बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । बिहार राज्य कृषि प्रधान राज्य है और अभी हमारे बीच में अरूण बाबू बोले कि हम आरा जिला के हैं और हम भी मगह के रहने वाले हैं । हम जहानाबाद जिला के मखदुमपुर विधान सभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर आये हैं । महोदय जी, हम एक बात आपलोगों के बीच में सदन में कहना चाहते हैं । हमारे जैसा एक छोटा-मोटा कार्यकर्ता 1990 से राजनीति में आये हैं और एक बार हम जिला परिषद् के सदस्य 2001 में बने हैं ।

..... क्रमशः

टर्न-17/अंजनी/दि0 18.03.2016

...क्रमशः...

श्री सुबेदार दास : और हम लगातार राजनीति से जुड़े रहे । जब 2015 में विधान सभा का चुनाव होने लगा तो पटना मेरा आना-जाना लगा रहता था और हरेक कार्यकर्ता एवं बड़े-बड़े लीडर से हम मिलते रहते थे । जब मगध क्षेत्र का टिकट बंटने लगा तो उस समय हम घर में थे । हम घर के बंधार पर डीजल चालू करके खेत में बैठे हुए थे । जब मगध का टिकट बंटने लगा तो 4 बजकर 26 मिनट में हमारे मोबाईल पर फोन आया, सुबेदार दास जी, जी हां, हम उनको प्रणाम किए । वे मुझे कहे कि दास जी आप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात करेंगे तो हमारे अन्दर बहुत खुशी हुई और जब हमसे साहेब बात किए, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी से

जब मेरी बात हुई तो मेरा मिजाज गदगद हो गया । हमसे साहेब पूछे कि दास, हम कहें कि जी सर, तो उन्होंने कहा कि तुम कहाँ हो तो हमने कहा कि हम गांव के केवाल के बंधार पर हम डीजल चालू करके बैठे हुए हैं । जब उन्होंने हमसे कहा और समीकरण के बारे में पूछा गया । (व्यवधान) हम पशुपालन पर भी बोलेंगे । टिकट के संबंध में पूछा कि दास, जब समीकरण के आधार पर हमसे पूछा गया तो हमने सब समीकरण बता दिया और टोटल मोटा-मोटी हम वोट बता दिये कि 2 लाख 21 हजार 903 वोट है। जब साहेब से बात हुआ और हमसे उन्होंने कहा कि दास तुम आओ पटना । तो भईया लोग, मुझे रात भर नींद नहीं पड़ी, सबेरा हुआ, हम घर से पांच हजार रूपया पॉकेट में रख लिए और बेलागंज स्टेशन के बीच में एक हॉल्ट है, बराबर हॉल्ट और उस बराबर हॉल्ट पर आये और 20 रूपया का टिकट कटाये और टिकट कटाकर चले आये पटना और झूठे बाजार में घूमने लगे, जब झूठे बाजार में घूमे तो किनका टिकट कटकर किसको मिल गया, झूठा बाजार में यह बात चलने लगा । इसके बाद हम अपने यहां आ गये, उसके बाद 3.00 बजे बाजार पर कॉल हुआ और भोला बाबू फोन किये सुबेदार दास जी, हमने उनको प्रणाम किया और उन्होंने हमसे पूछा और उन्होंने कहा कि हम भोला बाबू बोल रहे हैं । जब हम कागजात लेकर टिकट लेने के लिए गये तो हमारे माननीय लालू प्रसाद जी ने पूछा कि दास, तुम यह बताओ कि चुनाव जीत जाओगे मकदुमपुर विधान सभा क्षेत्र से तो हमने कहा कि आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम निश्चित रूप से चुनाव जीत जायेंगे । सभापति महोदय जी, जब मुझे टिकट मिला और टिकट लेकर हम अपने क्षेत्र में घूमने लगे तो वहां से जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे थे और वे अपने क्षेत्र में घूम रहे थे और हम भी अपने क्षेत्र में घूमने लगे । गरीब-गुरबा के गांव में घूमने लगे और जब नॉमिनेशन का न्यौता मिला तो हमने नॉमिनेशन कराया और उसके बाद क्षेत्र में घूमने लगे और गांव में हम बुढ़ा, बुजुर्ग लोग से आशीर्वाद लिए तो हमसे लोगों ने पूछा कि बबुआ, हमने कहा कि काकी, चाची मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, हम गरीब घर के बेटा हैं, हमने कहा कि मुझे एक बार आप लोग मौका दीजिए। मांझी जी अपने क्षेत्र में कहते थे कि यह जो उम्मीदवार है, यह झिटका है, झिटका है । महोदय जी, यह झिटका, आज झिटका से, गरीब का बेटा को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी का आशीर्वाद मिला और जनता का सहयोग मिला और उसी के परिणामस्वरूप हमने 26,677 वोट से जीतन राम मांझी जी को चुनाव हराये । जीतन राम मांझी जी आज भी कहते हैं कि हम हाई लेवल के आदमी

से चुनाव नहीं हारे हैं, हम हारे हैं किससे एक छोटा-मोटा कार्यकर्त्ता से । साथियों, आज मांझी जी जिस समय मकदुमपुर से चुनाव जीते थे और जीतकर जब वे मंत्री बन गये और मंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री के पद पर पदग्रहण किये तो मकदुमपुर विधान सभा के गरीब-गुरबा जनता के लिए कुछ नहीं किये । मुख्यमंत्री बनने के बाद वहां के जनता के मन में बहुत आशायें जगी थी, वे मकदुमपुर गरीब-गुरबा जनता के बारे में कुछ नहीं सोचे । यह तो सब देखने का चीज है । साथियों हमारे बीच में एक साथी कह रहे थे कि पशु पर बोलिए तो हम अब पशु पर ही बोल रहे हैं। हम भी एक गरीब का बेटा है, वर्ष 2010 में हमने डेयरी हेतु लोन लिया और हमने 10 गाय की योजना बनायी और उसको पास कराये और लोन लिये । मुझे लोन मिला, उस समय नवार्ड के माध्यम से लोन मिला । हमने 10 गाय रखा और अभी हमारे पास दस गाय है और अभी भी रखे हुए हैं । हमने नवार्ड से लोन लिया, हम समय पर लोन चुका दिए । मुझे सबसिडी भी मिली और जो मेरा रोजगार है, वह दूध ही है। डेयरी की योजना चली और डेयरी के तहत, डेयरी में मकदुमपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वहां जितने भी किसान थे और जो बेरोजगार थे, उन बेरोजगारों को रोजगार मिला सरकार के माध्यम से, वह आज भी जीता-जागता उदाहरण है मकदुमपुर विधान सभा क्षेत्र की धरती पर । हम माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि माननीय मंत्री महोदय जी, मकदुमपुर विधान सभा क्षेत्र में ऐसा-ऐसा डेयरी का फार्म है, वह हम आपको दिखाने के लिए तैयार हैं । कम से कम 20 योजना डेयरी का हमारे क्षेत्र में है, जो पूरी अच्छी तरह से चल रहा है और दूध डेयरी के माध्यम से लोगों के घरों में पहुंच रहा है । कहीं कोई दिक्कत नहीं है । इसके पहले हम मुर्गी पालन भी किये थे । हमारे बीच में मुन्द्रिका बाबू भी उपस्थित हैं, ये भी हमारे गांव में गये थे और हमारे यहां आकर मुर्गी पालन भी देखे हैं । हम इसको स्वयं किये हैं डेयरी का और मुर्गी का भी । डेयरी अभी भी चल रहा है । महोदय, डेयरी योजना में सरकार के द्वारा सबसिडी भी मिल रहा है । डेयरी में सामान्य जाति के लिए, जो सरकार की सोच है, जो योजना है, उस योजना के तहत सामान्य जाति किसान बेरोजगारों के लिए 50 परसेंट सबसिडी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 75 प्रतिशत अनुदान की राशि मिल रही है । यह सरकार दे रही है, यह योजना चालू है और साथ-ही-साथ मत्स्य पालन में भी सबसिडी मिल रहा है....

सभापति(डॉ० अशोक कुमार) : अब आप समाप्त करें ।

श्री सुबेदार दास : सामान्य में 50 प्रतिशत और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 90 प्रतिशत तालाब निर्माण के लिए राशि मिल रही है ।

सभापति(डॉ० अशोक कुमार): अब आप समाप्त करिए ।

श्री सुबेदार दास : अब मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र के बारे में माननीय मंत्री महोदय जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि 2014-15 में डेयरी योजना के तहत सबसिडी जो मिली थी, वह सबसिडी अभी तक नहीं मिली है, इसपर थोड़ा ध्यान दिया जाय । इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ ।

जय हिन्द ।

सभापति(डॉ० अशोक कुमार): धन्यवाद । माननीय सदस्य श्री सत्यदेव सिंह ।

टर्न-18/शंभु/18.03.16

श्री सत्यदेव सिंह : सभापति महोदय, मैं पशुपालन विभाग द्वारा 5 अरब 44 करोड़ 19 लाख रुपये के मांग के पक्ष में और कटौती प्रस्ताव के खिलाफ में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, पशुपालन और मत्स्य संसाधन विभाग राज्य और देश का मेरूदण्ड है। राज्य की 89 परसेंट जनता परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से पशुपालन और मत्स्य विभाग से जुड़ा है। मत्स्य और पशुपालन विभाग से पहले- पशुपालन विभाग 1911 में प्रारंभ हुआ, उस समय कृषि विभाग था। 1949 में कृषि विभाग से पशुपालन विभाग अलग हुआ और पशुपालन और मत्स्य संसाधन विभाग बना। महोदय, वैदिक काल में मुख्य पेशा लोगों का पशुपालन था और अर्थोपार्जन का साधन पशुपालन ही था। पशु के लिए आपस में युद्ध होते थे, वे गाय दूहते थे, पीते भी थे और कभी कभी मांस भी खाते थे। यह वैदिक काल की बात है। बिना पशुधन के कुछ नहीं हो सकता। नीतीश कुमार के राज में दूध का उत्पादन और मत्स्य का उत्पादन काफी बढ़ा है। महोदय, पशुपालन विभाग पर सभी लोग बोल रहे हैं, लेकिन मेरी निगाहें खोज रही हैं जीतन राम मांझी जी को- खोजते हैं कभी कभी वे आते हैं एक मिनट, दो मिनट के लिए और चले जाते हैं। सुबेदार राय जी ने जीतन राम मांझी जी का नाम लेकर मेरे मन में गुदगुदी पैदा कर दिया। कैसे हैं जीतन राम मांझी ? महोदय, इतिहास और धर्म साक्षी है- भस्मासुर का नाम सभी जानते हैं। भस्मासुर को शंकर जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम जिसके माथे पर हाथ रखोगे वह भस्म हो जायेगा। भस्मासुर ने सोचा क्यों नहीं शंकर जी के उपर हाथ रखकर परीक्षा ले लें, शंकर जी भागे भागे फिर रहे हैं और

अंत में पार्वती जी को आना पड़ा, उन्होंने कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगी, लेकिन तुमको माथे पर हाथ रखकर नाचना पड़ेगा। वह माथे पर हाथ ज्यों ही रखा कि भस्म हो गया। महोदय, इतिहास में जयचन्द की बात सब जानते हैं। दुनिया में जयचन्द की गद्दारी को सभी जानते हैं। जयचन्द ने मोहम्मद गौरी को बुलाया था इस देश पर आक्रमण करने के लिए, पृथ्वी राज उससे अलग थे और मोहम्मद गौरी की सेना में जयचन्द अपनी सेना लेकर शरीक हो गया और भारत पर राज स्थापित किया गौरी का। महोदय, भस्मासुर और जयचन्द की गद्दारी अलग, लेकिन जयचन्द और भस्मासुर बिहार में एक व्यक्ति भस्मासुर भी बना और जयचन्द की भूमिका निभाया। त्यागमूर्ति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का त्याग सभी जानते हैं। महोदय, जीतन राम मांझी को कौन जानता था ? नीतीश कुमार जी ने विधायक बनाया, मंत्री बनाया और मुख्यमंत्री का कुर्सी दे दिया। दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता कि कोई व्यक्ति अपनी कुर्सी छोड़कर किसी को बैठाता हो, नीतीश कुमार जी ने दुनिया में मिशाल कायम किया। इस महादलित समाज के बेटा को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया और जब पराजय हुई लोक सभा में नैतिकता का तकाजा था- नहीं मिलता है नैतिकता का उदाहरण ऐसा, जैसी नैतिकता नीतीश कुमार जी ने दिखाया और सबसे कमजोर वर्ग के बेटा को मुख्यमंत्री का कुर्सी दे दिया था। मांझी समाज शानदार समाज है, मांझी समाज सम्मान से जीता है, चूहा पकड़ कर खाता है, लेकिन बेईमान नहीं है वह समाज, ईमानदार है वह समाज, लेकिन उसी मांझी समाज में जीतन राम मांझी जैसा धोखेबाज पैदा लिया, विश्वासघाती पैदा लिया, जो मांझी समाज को ही चूना लगा दिया । महोदय, आज जीतन राम मांझी को कौन काम दे रहा है? लाज शर्म से नहीं आते हैं हाऊस में, उनको लज्जा लग रहा है कि कैसे हाऊस में फेस करें। महोदय, यह है इतिहास। नीतीश कुमार जी ने महादलित का उत्थान किया, पिछड़ों का उत्थान किया, दलितों का उत्थान किया और जीतन राम मांझी जैसे व्यक्ति को आगे किया, क्यों किया ? इसलिए किया कि दुनिया देखेगी। जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के रिश्तेदार नहीं थे, जाति के भी नहीं थे। अधिकांश लोग सोचता है कि हम अपने जाति को कुर्सी दें, रिश्तेदार को कुर्सी दें, लेकिन नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी पर विश्वास किया, मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दिया और भाजपा वालों से मिलकर नीतीश कुमार का राजनीतिक वध करने के लिए जीतन राम मांझी ने हाथ में छुरा ले लिया, पीठ में छुरा घोंप दिया, कलंकित किया समाज को इतिहास में जीतन राम मांझी जी ने। महोदय, जीतन राम मांझी लाज शर्म सब खो दिया और नैतिकता का नाश कर

दिया। महोदय, जितने भी उनके साथ गये थे, उनकी पार्टी में पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक कहां हैं आज ? सब चले गये, सब गायब हो गये सदन के इतिहास से। यह नैतिकता का तकाजा है। आज राजनीति में गिरावट आ गयी है.....व्यवधान.....मैं पशुपालन पर भी बोलूंगा सुनिये मेरी बात।

सभापति(श्री अशोक कुमार) : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री सत्यदेव सिंह : राजनीति में गिरावट लाने में सहयोग किया। यदि वे जीतन राम मांझी को पसंद नहीं करते, उनके साथ नहीं जाते तो ये दुर्गति आपकी नहीं होती। जीतन राम मांझी के साथ गये आपकी दुर्गति हो गयी। इसलिए मैं कहता हूँ कि उनकी छाया से भी दूर रहियेगा। उनकी छाया में रहेंगे तो जो अभी हैं उससे भी सिमट जाइयेगा। इसलिए कहना चाहता हूँ। नेता विरोधी दल हमलोगों के नेता भी हैं, मेरे भी नेता हैं। मैं भी इज्जत करता हूँ बहुत समय से सदन में हैं, लेकिन नैतिकता का तकाजा सबके लिए है, सारे लोगों के लिए है। नैतिकता रहेगी, राजनीतिक ईमानदारी रहेगी तो उससे बढ़िया से देश चलेगा, राज्य चलेगा। महोदय, पूरी दुनिया में यहां के राजनीतिक उत्थान पतन की चर्चा हो गयी थी, हमलोगों को राष्ट्रपति के यहां जाना पड़ा था। उसमें भी हमलोगों के नेता मुलायम सिंह यादव, हमलोगों के नेता लालू यादव, हमलोगों ने राष्ट्रपति के यहां परेड किया। पूरे देश दुनिया में चर्चा हो गया कि कैसा है जीतन राम मांझी ? माननीय प्रधानमंत्री जी पीठ पर हाथ चलाते थे, पीठ पर हाथ चलाते थे ऐसे गद्दार को, ऐसे विश्वासघाती को। आपने विश्वासघाती पैदा किया है, आपने गद्दार पैदा किया है, आपने राजनीति को तहस नहस किया है।

सभापति(श्री अशोक कुमार) : अब समाप्त कीजिए आप, अब आपका भाषण समाप्त हुआ।

श्री सत्यदेव सिंह : महोदय.....व्यवधान।

सभापति(श्री अशोक कुमार) : अब आपका समय समाप्त हो गया, समाप्त कीजिए। धन्यवाद।

टर्न-19/अशोक/18.03.2016

सभापति(डा० अशोक कुमार) माननीय सदस्य, श्री प्रकाश राय ।

श्री प्रकाश राय : सभापति महोदय, मैं आपके प्रति, इस सदन के प्रति, और अपने सचेतक जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुये, महोदय मैं पशुपालन और मत्स्य विभाग के लिए दिये गये कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने हेतु खड़ा हूँ। महोदय, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है जिसका लगभग 80 से 85 प्रतिशत आबादी आज भी गांवों में निवास करती, आज भी बिहार की आबादी का लगभग 85 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अपनी आजीविका के लिए पशुपालन एवं मछली पालन से जुड़ा हुआ है। महोदय, बिहार के विकास का सपना तब ही पूरा हो पायेगा जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार तथा अर्थ व्यवस्था को तेजी से मजबूत करें अन्यथा सरकार सात निश्चय को लागू करने के दृढ़ संकल्प के बावजूद विकसित बिहार की परिकल्पना सदैव अधूरी रह जायेगी। ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में सुधार के लिए दो चीज आवश्यक है, एक तो कृषि को विकसित कर किसानों को खेती करने के लिए प्रोत्सहित करना तथा दूसरी कृषि पर आधारित पशुपालन तथा मत्स्य पालन पर जोर देकर युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए रास्ता निकाल कर ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों का पलायन को रोकना। महाशय, ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के लिए कृषि जितनी महत्वपूर्ण है, समान रूप से पशुपालन और मत्स्य पालन भी उतनी आवश्यक है, क्या सरकार बिहार के विकास के लिए सचमुच दृढ़ संकल्पित है ? मैं समझता हूँ कि नहीं, क्यों ? क्योंकि इसके महत्वपूर्ण कारणों का जिक्र करना जरूरी है।

राज्य सरकार ने कृषि रोड मैप 2012 से 2015 तक के लिए बनाया था आज उसका क्या हश्र हुआ यह सभी जानते हैं, कृषि रोड मैप आज कराह रहा है, किसान अलग छटपटा रहे हैं, राज्य सरकार ने विकसित बिहार के लिए जो सात निश्चय किया है उसमें कृषि और पशुपालन का कोई स्थान नहीं दिया गया है, जिससे इन दोनों क्षेत्रों के विकास के प्रति सरकारी की उदासीनता स्पष्ट झलकती है महोदय, सात निश्चय में मत्स्य एवं पशुपालन को शामिल न कर सरकार इस क्षेत्र में जुड़े 85 प्रतिशत जनता के भविष्य संवारने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया है। राज्य के पशुपालकों में घोर निराशा है। क्या आप इतनी बड़ी आबादी को उपेक्षित कर बिहार को विकसित बना लेंगे ? यह कभी सम्भव नहीं है।

अब जरा राज्य सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में पशुपालन विभाग के लिए जारी किये गये बजट पर गौर करेंगे तो सरकार की दुलमुल नीति स्वतः स्पष्ट हो जयेगी।

वित्तीय वर्ष 2014-15- 531.13 करोड़ कुल बजट- योजना बजट 297.29 करोड़ और गैर योजना मद में 233.83 करोड़ ।

वित्तीय वर्ष 2015-16 -कुल बजट 530.05 करोड़, योजना बजट 281.26 करोड़ और गैर योजना बजट 248.69 करोड़ । वित्तीय वर्ष 2016-17 कुल बजट 544.17 करोड़, योजना बजट 295.22 करोड़ और गैर योजना बजट 248.97 करोड़ ये आंकड़े क्या बतलाते हैं महोदय ? ये बतलाते हैं कि राज्य सरकार इस विभाग के लिए वर्ष 2014 में जो योजना बजट निर्धारित किया था उससे वर्ष 2015-16 में 16 करोड़ रूपया घटा दिया गया । तथा 2016-17 में 2014-15 की तुलना में 2 करोड़ कम ही रखा गया । हां, गैर योजना बजट में लागत वृद्धि हुई है । स्पष्ट है महोदय, पशुपालन और मछली पालन सेक्टर में कोई ठोस विचार नहीं रखती है, अगर रखती तो ऐसा कभी नहीं होता । चालू वित्तीय वर्ष खत्म होने में 10-12 दिन ही बचे हैं, परन्तु राज्य सरकार बमुश्किल 50 से 55 प्रतिशत राशि ही खर्च कर सकी है । क्या 40 से 50 प्रतिशत की राशि इतने दिनों में सही ढंग से खर्च हो सकेगी ? यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है महाशय । मुझे खर्च की रफ्तार में यह भरोसा नहीं है कि विभाग की सुस्ती के कारण वित्तीय वर्ष के अंत में पशुपालकों और मछलीपालकों को उन्नति तथा इससे संबंधित योजनाओं की राशि सरकारी उदासीनता के कारण सरेन्डर करनी पड़ेगी और पशुपालक और मछलीपालक अपने भविष्य को लेकर चिंतित ही रह जायेंगे ।

राज्य में पशु अस्पतालों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, अस्पताल है तो चिकित्सक नहीं, चिकित्सक है तो वहां इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं । हमारे सारे माननीय सदस्य के जिले में पशु अस्पताल होंगे और सभी इससे वाकिफ हैं कि जिला में जो पशु चिकित्सालय है उसकी क्या स्थिति है - भवन है तो जर्जर है, डाक्टर नहीं हैं, दवा नहीं है । राज्य के पशु चिकित्सालय में चिकित्सकों का घोर अभाव है । 70 प्रतिशत पद रिक्त है । इसे शीघ्रता से राज्य सरकार को भरना चाहिए । पशु अस्पतालों का घोर अभाव है, जो अस्पताल है उनके भवन भी जीर्ण-शीर्ण है । राज्य के पशु अस्पतालों में पारा भेट के 75 प्रतिशत पद लम्बे समय से रिक्त है- सरकार इसे शीघ्रता से भरे, यह मेरा आग्रह होगा । पशुपालन के सम्बर्द्धन और विकास के लिए आबादी के हिसाब से कम से कम चार से छः विश्वविद्यालय तथा शोध संस्थान खोले जाने चाहिए । ये संस्थान आरा, गया, मुजफ्फरपुर, चम्पारण, भागलपुर तथा सहरसा में खोले जायं तो अतिउत्तम होगा । राज्य सरकार को यह बतलाना चाहिए कि

तीन सौ नये पशु चिकित्सालय की स्थापना करने की बात की जा रही है, उनकी हकीकत क्या है, वे कितने कारगर होंगे ? इसका समय सीमा बताने का कष्ट करें । सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सक की सुविधा एम्बुलैट्री भान के माध्यम से उलब्ध कराये जाने का दावा खोखला है । पटना के फ़ोजन सीमेन बैंक का कुल स्टेशन को कब तक सुदृढ़ कर दिया जायेगा ? इस पर भी सरकार मौन है । पटना के पशु स्वास्थ्य और उत्पादन संस्थान को टीका औषधी उत्पादन युक्त बनाने हेतु साल भर पूर्व मशीन का क्रय हो जाने के बावजूद, इसे अभी तक चालू नहीं किया जा सका है। एस.एच.बी.क्यू रानीखेत टीका औषधी का उत्पादन कब तक शुरू किया जायेगा यह राज्य सरकार को बताना चाहिए जब कि वहां योग्य एवं अनुभवी शिक्षक कार्यरत हैं ।

राज्य के सभी पशु चिकित्सक मूल स्तर पर ही रिटायर हो रहे हैं । सरकार इनेक प्रोमेशन हेतु पद का सृजन हेतु त्वरित कार्रवाई करे तथा इन्हें प्रोमेशन भी प्रदान करने की कार्रवाई करे । 11.36 करोड़ की लागत से मुर्गी पालन के विकास हेतु योजना कार्यान्वयन करने की बात कर ही है, लेकिन अफसोस है सरकार का पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, बिहार शरीफ का सरकारी मुर्गी प्रक्षेत्र बंद है, सरकार इसको भी देखे तथा खोले । राज्य में बकरी विकास योजना बेपटरी हो गई है, पशु स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम के तहत पशुओं का टीकाकरण कार्य अत्यन्त धीमी गति से चल रहा है। राज्य सरकार द्वारा स्थापित होने वाले 100 नये पशु चिकित्सालयों की स्थापना कब तक करेगी? इसकी निश्चित समय सीमा बताई जानी चाहिए । राज्य में प्रत्येक माह जितनी मछली की खपत होती है, उसके लिए हमें आन्ध्रप्रदेश और बंगाल पर निर्भर रहना पड़ता है । क्रमश :

क्रमशः

श्री प्रकाश राय : हमें आन्ध्रप्रदेश और बंगाल पर निर्भर रहना पड़ता है । अगर हम मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जायें तो सालाना 12 सौ करोड़ राज्य का पैसा बचेगा । लेकिन राज्य सरकार, मछली उत्पादन के लिए बिहार को कब आत्मनिर्भर बनायेगी यह एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है । आजतक प्रत्येक प्रखंड में मत्स्य फार्म स्कूल नहीं खोला जा सका है। राज्य सरकार को मत्स्य विकास अभियान को तेजी से क्रियान्वित करना चाहिए । सरकार से आग्रह है कि मत्स्य पालकों को प्रशिक्षित करना होगा । मत्स्य बीज के उत्पादन में वृद्धि करनी होगी । सरकार को डेरी पालन और विकास के लिए प्रमंडलवार और जिलावार योजना का निर्माण करना होगा और उसको कार्यान्वित करना होगा । राज्य में उपलब्ध डेरी संयंत्रों के आधुनिक मशीनों को सुदृढ़ करना चाहिए । राज्य सरकार मछली पालन के क्षेत्र में असफल रही है । आज हमारे जिले में

सभापति (डा० अशोक कुमार) : समाप्त कीजिये ।

श्री प्रकाश राय : बहुत सी ऐसी जगहें हैं जैसे पूर्णिया और बहुत सारे जिले हैं जहाँ बकरियों की संख्या काफी ज्यादा है तो पूर्णिया सहित अन्य जगहों पर ध्यान दिया जाय। महोदय, पूर्णिया और बगल में हैचरी नहीं है वहाँ हैचरी के लिए कालबद्ध कार्यक्रम चलाया जाय । धन्यवाद ।

सभापति (डा० अशोक कुमार) : माननीय सदस्य, श्री मनोहर प्रसाद सिंह ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के विरोध में और सरकार के पक्ष में अपना मत व्यक्त करना चाहता हूँ । महोदय, मानव सभ्यता के आरम्भ से ही कृषि के साथ साथ पशुपालन, डेरी और मछली पालन की गतिविधियाँ मानव जीवन का अभिन्न अंग रही हैं । महोदय, चूँकि कृषि पर अधिक भार पड़ रहा है इसलिए उस भार को हटाने के लिए सबसे उत्तम, अच्छा और उपयोगी उपाय है कि पशुपालन और मछली पालन पर अधिक जोर दिया जाय ताकि जो जनसंख्या का दबाव पड़ रहा है कृषि पर, उससे कुछ बेरोजगारी दूर हो और बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सके । पशुपालन को योजनाबद्ध ढंग से विकसित किया जाय तो बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होगा और पोषक भोजन भी उपलब्ध होगा । महोदय, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार स्तम्भ है । ग्रामीण बेरोजगारों को स्वरोजगार देकर उन्हें मुख्य धारा में जोड़ा जा सकता है । संयुक्त राष्ट्रसंघ के खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में मांस और मछली

पर किए जाने वाले व्यय, दूध और सब्जी फल पर किए जाने वाले व्यय से काफी कम है। महोदय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् एक व्यक्ति के लिए 220 ग्राम दूध की आवश्यकता की अनुशंसा करता है लेकिन हमारे यहाँ वर्तमान में मात्र 187 ग्राम दूध ही एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध हो पाता है। महोदय, हमारे यहाँ सरकार ने समेकित विकास योजना को आरम्भ किया और 10 लाख परिवारों के बीच प्रजनन योग्य बकरियाँ वितरित करने के लिए राजस्व ग्रामों में 45 हजार बकरियाँ वितरित किया। निजी बकरी पालकों को पचास प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था की गयी। महोदय, यह इसलिए भी जरूरी है कि हमारे यहाँ जो सीमान्त किसान हैं जो गरीब किसान हैं, जो कृषि पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। उनको छोटे छोटे काम और छोटे छोटे व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया जाय, उनको अनुदान दिया जाय तो इससे उनकी बेरोजगारी दूर होगी और उनकी आर्थिक अवस्था भी बढ़ेगी। इसी के लिए सरकार ने यह योजना बनायी है कि अधिक से अधिक अनुदान दिया जाय और छोटे किसानों को अनुदान देकर उनको बकरी पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन की तरफ प्रोत्साहित किया जाय। महोदय, राज्य में करीब 89 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पशु एवं मत्स्य पालन से जुड़ी हुई है। इसमें छोटे और सीमान्त किसानों की आर्थिक और सामाजिक समृद्धि के लिए सरकार ने राष्ट्रीय कृषि योजना विकास कार्यक्रम के तहत कन्फेड द्वारा हजार दूध समितियाँ गठित करने, 20 संग्रहण केन्द्र स्थापित करने की योजना बनायी है। महोदय, देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद दुग्ध संघ बरौनी, वैशाली पाटलिपुत्र दुग्ध संघ, पटना, मिथिला दुग्ध संघ, नालन्दा स्थित ई०टी०पी० संयंत्रों को 2.25 करोड़ की लागत से शुरू करने की योजना है। 2.35 करोड़ की लागत से कन्फेड प्रयोगशाला को मजबूत करने की योजना है तो औटोमेटिक मिलकिंग मशीन लगाए जाने का विचार है। महोदय, पौल्ट्री फेडरेशन, सुकर अनुसंधान सह सुकर प्रशिक्षण संस्थान का निर्णय लिया गया है। दूध के परिवारा से जुड़े किसानों, बेरोजगार युवकों, कमजोर वर्ग के मजदूरों को कर्ज देकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने का सरकार ने प्रयास किया है। महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति को मछली पालन के लिए प्रोत्साहित करने का और उन्हें अनुदान देने की व्यवस्था की है। महोदय, सकल पशुपालन से सकल घरेलू कृषि उत्पाद में पशुपालन का योगदान 28.30 है। दूध का योगदान सर्वाधिक है। भारत में विश्व की कुल संख्या का 15 प्रतिशत गाय है और 55 प्रतिशत भैंस हैं। देश के कुल दूध उत्पादन का 53 प्रतिशत भैंसों से और 43 प्रतिशत गायों से प्राप्त

होता है । महोदय, 181.8 मिलियन टन दुग्ध उत्पादित कर भारत विश्व में पहले स्थान पर है । महोदय, देश में लगभग 70 प्रतिशत आबादी कृषि और पशुपालन पर निर्भर है । 30 प्रतिशत जोत वाले किसान 70 प्रतिशत पशुपालन से जुड़े हुए हैं, जिनके पास 80 प्रतिशत पशुधन है । देश के अधिकांश पशुधन आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग के पास है । महोदय, भारत में लगभग 19.51 करोड़ गाय, 10.53 करोड़ भैंस, 6.55 करोड़ बकरी, 7.61 करोड़ भेड़, 1.11 करोड़ सुकर और 68.88 करोड़ मुर्गी का पालन किया जा रहा है । महोदय, दूध उत्पादन के साथ साथ मछली पालन समाप्त हो गया ?

सभापति (डा0 अशोक कुमार) : बोल लीजिये एक मिनट ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : महोदय, दूध उत्पादन के साथ साथ मछली पालन की व्यवस्था है और यह मछली पालन दो तरह से किया जा सकता है । एक मिश्रित मछली पालन और एक एकीकृत मछली पालन । मिश्रित मछली पालन में है कि सभी तरह की मछलियों का पालन किया जा सकता है, उसमें अधिक से अधिक खाद की जरूरत पड़ेगी, वनस्पति की जरूरत पड़ेगी लेकिन अगर एकीकृत कर दिया जाय तो मछली के साथ साथ मुर्गी पालन और बत्तक पालन को अगर जोड़ दिया जाय तो बत्तक और मुर्गी से जो उनके मल मूत्र से, मछलियों को प्रोटीन और आहार मिल सकता है और उसका पालन हो सकता है और जो हमारा खर्च है उसमें 50 से 60 प्रतिशत तक खर्च में कमी आ जायेगी इसलिए अगर हम एकीकृत कर दें तो अधिक से अधिक हमको लाभ मिलेगा और जो आन्ध्रप्रदेश पर आधारित है क्योंकि हमारी मछली की जो उपयोगिता है वह कम है उसको दूर कर सकते हैं ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार) : आप समाप्त कीजिये ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार) : धन्यवाद, माननीय सदस्य, श्री सुनील कुमार ।

श्री सुनील कुमार: माननीय सभापति महोदय, 16 वीं बिहार विधान सभा के बजट सत्र में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के वाद विवाद पर सरकार के पक्ष में मांग के समर्थन में और विपक्ष के कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय पहली बार आपने जो समय दिया है इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

महोदय, मैं बिहार प्रदेश के महान एवं बुद्धिमान मतदाता मालिकों का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने इस 16 वीं विधान सभा के चुनाव में महागठबंधन जो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉ० राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, बाबा साहब डॉ० भीमराव अम्बेदकर के विचारों एवं आदर्शों पर चलते हुए सदा समाज के गरीब, कमजोर, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित वर्ग के लोगों के अधिकार के लिए तत्पर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री लालू प्रसाद यादव, माननीय मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, माननीया सोनिया गांधी जी एवं युवाओं के हृदय सम्राट माननीय उप मुख्यमंत्री साथी तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में भारी बहुमत से सरकार बनाने का जनादेश दिया तथा इनके वादे एवं जनता की भावनाओं से लिखवाड़ करने वाली पार्टियों को अपने उचित जगह पर भेजने का काम किया है।

सभापति महोदय, मैं विशेष रूप से अपने विधान सभा क्षेत्र से जो जगत जननी माँ सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी है के तमाम महान मतदाता मालिकों का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को इस पवित्र सदन में चुन कर भेजा है।

सभापति महोदय, पशुपालन एवं मत्स्य पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है और इस विभाग के बिना राज्य के समुचित विकास की परिकल्पना बेइमानी होगी। यह विभाग खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार का अवसर प्रदान कर किसानों, मजदूरों, शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को विकास की मुख्य धारा में शामिल कर उनकी आर्थिक एवं सामाजिक समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य की लगभग 90 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए पशुपालन एवं मत्स्य पालन से जुड़ी हुई है।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय एवं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं जो कि लोकहित में विभिन्न योजना पशु एवं मत्स्य विभाग में सुनिश्चित किया है यथा- निशुल्क: प्राणरक्षक पशु दवा पशुपालकों को उपलब्ध कराना, पशु

चिकित्सा एम्बुलेट्री भान की सेवा, बकरी एवं मुर्गी विकास योजना, पशु स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम, दुग्ध संग्रहण केन्द्र की स्थापना, मुख्यमंत्री मत्स्य विकास योजना, इन्डोर-आउटडोर पशु चिकित्सालयों की स्थापना एवं बिहार युनिवर्सिटी ऑफ एनीमल साइंस एंड टेकनोलॉजी की स्थापना एवं विस्तारीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित करना।

सभापति महोदय, ग्रामीण आबादी की आय एवं रोजगार में कृषि के बाद यह दूसरा साधन है। कुल ग्रामीण आय में इसका पांचवा हिस्से का योगदान है। 2012 की पशु गणना में बिहार में 329.39 लाख पशुधन है, जिसमें गाय 122.32 लाख, भैंस 75.30 लाख, बकरी 111.49 लाख एवं मुर्गी बतख 127.48 लाख है कुल पशुधन में 54 फीसदी दूधारू हैं। 2003 में कुल पशुधन 269.30 लाख थी। जहां दूध उत्पादन 2010 में 65.17 लाख टन था। सरकार के सतत् प्रयास से बढ़कर 2014-15 में 77.75 लाख टन हो गया। मछली का उत्पादन 2010-11 में 2.89 लाख टन था वह बढ़कर 2014-15 में दूगुना के करीब 4.79 लाख टन हो गया।

सभापति महोदय, जहां तक मत्स्य पालन की स्थिति है तो बिहार इसके लिए उर्वर क्षेत्र है, क्योंकि राज्य में 273.3 हजार हेक्टेयर जल क्षेत्र का तथा 3200 कि०मी० नदी का विस्तार है। कुल क्षेत्रफल का 3.9 प्रतिशत है। राज्य में मछुआरा परिवार को लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराने में मत्स्य पालन क्षेत्र का काफी गुंजाइश है। 2004-05 में जहां मछली का उत्पादन 2.67 लाख टन था बढ़कर 2014-15 में 4.79 लाख टन हो गया जो लगभग दूगुना के करीब है।

सभापति महोदय, सरकार ने हाल में उत्पादन क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिए अनेक कदम उठाये हैं। वर्ष 2012-13 में राज्य में 1552 मछुआरों को प्रशिक्षित किया गया वहीं 2013-14 में 2000 मछुआरों को किया गया। मत्स्य पालकों के लिए एक नई बीमा योजना का कार्यान्वयन ऑरिएन्टल इंश्योरेस कम्पनी द्वारा की गयी है जिसमें 3200/- ₹0 प्रति हेक्टेयर की दर से किस्त अदायगी होगी जिसमें आधा रकम राज्य सरकार एवं आधा मछुआरों को जमा करना होगा।

सभापति महोदय, 2013-14 में राज्य में रिकार्ड 4812.85 लाख मत्स्य बीज का उत्पादन हुआ। बिहार में प्रमुख मत्स्य उत्पादक जिला मधुबनी, दरभंगा एवं पूर्वी चंपारण है। मत्स्य बीज के उत्पादन में दरभंगा प्रथम है।

सभापति (डा० अशोक कुमार): अब समाप्त कीजिये।

श्री सुनील कुमार: महोदय, सरकार में मत्स्य पालन के लिए किसानों को अनेक तरह की सुविधा प्रदान कर रही है। तालाब के लिए जमीन मत्स्य पालकों की होगी किसानों

को सिर्फ 10 प्रतिशत की पूंजी लगानी पड़ेगी। 40 फीसदी बैंक ऋण देगा और शेष 50 फीसदी राज्य सरकार अनुदान के रूप में देगी। सरकार के इस निर्णय से मत्स्य पालन के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम की शुरुआत है। अगर यह कारगर हुआ तो मछली के उपयोग को ही पूरा नहीं होगी बल्कि दूसरे राज्यों को भी भेज सकेगा।

सभापति (डॉ० अशोक कुमार): अब आप समाप्त करें।

श्री सुनील कुमार: महोदय, एक मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूंगा। महोदय, पूर्व में राज्य में 6 मछली बाजार थे जिसकी संख्या बढ़ाकर 11 किया गया है। अभी राज्य में 112 हैचरी काम कर रहा है। वर्तमान समय में 600 मिलियन मत्स्य बीज की जरूरत है जबकि वर्तमान उत्पादन 550 मिलियन है। यह संकेत है कि आने वाला दिन मत्स्य पालकों के लिए एक सुनहरा दिन साबित होगा। मछली की मांग 6 लाख टन की है जबकि उत्पादन 4.70 लाख टन है।

सभापति(डॉ० अशोक कुमार): अब समाप्त करें।

महोदय, कृषि रोड मैप में भी डेयरी क्षेत्र का विकास मुख्य लक्ष्य है। पशुधन को संजोकर रखने वाली परम्परा कमजोर हुई है। पशुओं के प्रति संवेदनशीलता का भाव भी कम हुआ है। हालांकि इनकी उपयोगिता बनी हुई है। खासकर गांव के हिसाब और गरीब वर्ग के लिए संजीवनी होता है। हम भले ही 21वीं सदी में चल रही तरक्की की तेज रफ्तार में अपनी खास जगह बना रहे हों पर हमारा राज्य कृषि प्रधान है इसमें पशुधन की भूमिका एवं योगदान का भी अंश है।

महोदय, अंत में मैं सदन के तमाम सदस्यों को आपके माध्यम से और बिहार की समस्त जनता को होली की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, होली की बहुत बहुत बधाई देता हूं और माननीय सदस्यों ने हमारी बात जिस गंभीरता से सुना इसके लिए मैं सभी सदस्यों का अभार प्रकट करता हूं। जय हिन्द।

श्री मेवालाल चौधरी: आदरणीय सभापति महोदय, हम आसन के कृतज्ञ हैं कि आपने हमें मौका दिया और हम सरकार के पक्ष में बजट के बारे में बोलना चाहूंगा।

महोदय, आज चाहे वह पशुधन हो, चाहे वह मछली की बात हो, चाहे मुर्गी की बात हो, चाहे किसी चीज की बात हो चाहे कृषि की बात हो। आज समय आ गया है वैज्ञानिक आधारित बात करने का। सांस्कृतिक, सभ्यता शायद इसको बीच में लाने का मतलब होता है कि हमलोग 19वीं शताब्दी में फिर वापस चले जायेंगे। आज का समय है दौर का हमारी कितनी उत्पादकता बढ़े, हमारा कितना उत्पादन बढ़े, हमारे पास कितने पशुधन हों हमलोग उसकी बात करते हैं। महोदय, पशुधन हमारे

कृषि विभाग का मुख्य अंग है । अगर आप इनका एनुअल ग्रोथ देखेंगे महोदय तो आज भी लाइव स्टॉक का पशुधन का तकरीबन 4.5 इसका एनुअल ग्रोथ हो रहा है ।

क्रमशः

टर्न-22/बिपिन/18.3.2016

श्री मेवालाल चौधरी: क्रमशः और टोटल एग्रीकल्चर में पशुधन का लाइव स्टॉक का जो जी.डी.पी. कंट्रिब्यूशन है, जो इसकी भागीदारी है, तकरीबन 28 से 32 परसेंट है । महोदय, पशुधन हमारे राज्य के लिए कृषि विकास का एक बहुत बड़ा मुख्य अंग है और जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृषि रोड मैप बनाया और कृषि रोड मैप बनने के बाद हमलोग जब से फुड सरप्लस हुए, आज हमारे पास अनाज की कमी नहीं है । आज जरूरत है कि हम अपने लोगों को जो गरीब हैं, जो बड़े गांव में रहते हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, हम उनके आय का श्रोत कैसे बढ़ाएं और उसमें पशुधन का बहुत बड़ा रोल है । महोदय, मैं बहुत देर तक देख रहा था, हम एक चीज आपके सामने शेयर करना चाहते हैं । महोदय, आज बिहार का जो पशुधन की संख्या है पूरे देश का तकरीबन 14 से 15 परसेंट है । महोदय, बकरी की संख्या ली जाए तो हमलोग तकरीबन 10 परसेंट हमारे संख्या पूरे देश की संख्या यहां मौजूद है । हमलोग दूध के उत्पादन की बात करते हैं, बहुत हमारे साथी ने कहा कि हमारी दूध उत्पादन घट गई है । अगर पिछले 10 साल से आज की दूध उत्पादन की बात करें, तो उसमें हमलोग तीन गुणा वृद्धि किये हुए हैं जिसके कारण आज हमारा तकरीबन 70 लाख टन दूध का उत्पादन होता एक साल में और अगर हम रोजाना की बात करें तो तकरीबन 25 हजार लीटर दूध का हमलोग कलेक्शन करते हैं । महोदय, अभी भी हमारा रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हुआ है । अगर प्रति व्यक्ति रिक्वायरमेंट दूध की देखी जाए तो तकरीबन चार सौ ग्राम है पर-पर्सन-पर-डे लेकिन आज इस वक्त हमें दो सौ ग्राम तकरीबन मिल रहा है । हम लोग डेफिशिट हैं और इस डेफिशिट को हमलोग कैसे खतम करें, उसके भी सरकार ने बहुत सारी परियोजना दी हैं महोदय । पहली परियोजना जो बहुत अच्छी परियोजना है आर्टिफिशियल इंसिमेशन के द्वारा हम गाय की प्रजाति को कैसे आगे बढ़ावें ताकि हम उससे दूध ज्यादा पैदा ले सकें । महोदय, यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है जो राज्य के हरेक कोने में चलाई जा रही है । मेरा अपना एक सुझाव है महोदय आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी, जो बड़े

ही कर्मठ मंत्री जी हैं, बड़े विचारक मंत्री जी हैं, मेरा महोदय एक ही सुझाव है जो कि बहुत बड़ा प्रॉबलम्ब आज के दिन में नहीं है लेकिन कल हो सकता है कि यह प्रॉबलम्ब आ जाए । हमलोग जो सीमेन ला रहे हैं महोदय, बाहर से, आर्टिफिशियल इंसिम्नेशन के लिए, हमलोग अभी भी सीमेन शायद बंगलौर और महाराष्ट्र से ला रहे हैं और एक जमाना था कि हमारे बिहार में इतने अच्छे-अच्छे बुल थे, इतने अच्छे-अच्छे बुल-फॉर्म थी, जिस काम को शायद अगर हमलोग रिवाइव कर लें, जिस फॉर्म को अगर हम उसको रिजुमिनेट कर लें तो शायद हमको आज सीमेन बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी । माननीय मंत्री महोदय, मैंने इस बात को इसलिए उठाया कि सिमेन हमारा क्या आ रहा है कर्नाटका से, महाराष्ट्रा से क्या आ रहा है, इसके बारे में हमें जरा भी ज्ञान नहीं होता है, हमलोग सीमेन समझ कर आर्टिफिशियल इंसिम्नेशन करना शुरू कर देते हैं । क्या होगा आगे महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे ?

दूसरा महोदय, आज हमारे पास सेवेन सीमेन बैंक था पटना में माननीय मंत्री जी, लेकिन किसी कारणवश वह बंद हो गया जो वेटिनरी कॉलेज के आसपास है । उसमें सारी फैसिलिटीज हैं, उसमें सारे इक्विपमेंट हैं, आपके यहां जानकार भी लोग हैं लेकिन किसी कारणवश वह फंक्शनल नहीं हो पा रहा है । अगर मंत्री महोदय, आप ध्यान देंगे तो शायद यह फंक्शनल हो जाएगा ।

महोदय, एक और निवेदन है आपके माध्यम से । हमलोग डिस्ट्रिक्ट लेवेल की बात करते हैं । अभी भी महोदय, तकरीबन 45 से 60परसेंट ऐसे स्ट्रीट काऊ हैं जिसको हमें अपग्रेड करना है और उसके लिए यह जरूरी होगा कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवेल पर जिला स्तर पर सीमेन बैंक बनावें और वहीं पर हम लोगों को ट्रेड करके सरकार के माध्यम से आर्टिफिशियल इंसिम्नेशन का एक मुहिम चलावें ताकि अधिक-से-अधिक गाय को हमलोग कर सकें । आज के दिन में हो रहा है महोदय कि बहुत सारे एन.जी.ओ., बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन एन.जी.ओ. का फेक नाम देकर लोग से पैसे लिए जा रहे हैं कि हम आपके गाय को आर्टिफिशियल इंसिम्नेशन कर देंगे, आप इतना पैसा दे दीजिए । बेचारे लोग जानते हैं । महोदय, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी पास जितने भी पशुधन हैं, जो हमारे अपने पशुधन हैं, उसके हमारी प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम है महोदय। आज के दिन में दो-तीन लीटर दूध ही एक गाय से निकाल पाते हैं महोदय और विदेशों की बात करेंगे तो एक-एक गाय 30 से 40लीटर दूध देती है । इसके लिए जरूरत है कि हमलोग

क्रॉस ब्रिडिंग प्रोग्राम में जाएं और ऐसे बुल से सीमेन कलेक्ट करें जो बड़े हाई प्रोडक्टिव का हो, जो हाई प्रोडक्टिव नेचर का हो और महोदय, यह यह एक मुहिम चलाकर हर गांव में हर ब्लॉक स्तर पर, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक सीमेन बैंक हो, सीमेन बैंक में कुछ नहीं होता है महोदय, एक लिक्विड नाइट्रोजन प्लांट होता है जिसका खर्च हमें नहीं लगता है कि 20-25लाख से ज्यादा होता हो, इसका आइडिया हमें नहीं है लेकिन एक लिक्विड नाइट्रोजन बैंक की स्थापना की जाए, एक प्लांट बना लिया जाए जिसके कारण हमलोग सीमेन को काफी दिन तक फ्रोज कर सकते हैं और महोदय, हमलोग उसका इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंसिम्पेशन के लिए आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं ।

महोदय, मेरा दो सुझाव है । महोदय, हमारे यहां, हमारे देश में और हमारे राज्य में फ्लड बाढ़ और सूखाड़ दो ऐसी चीज है जो हमें जरूर फेस करना होता है । महोदय, तब बड़ी समस्या आती है और जब बाढ़ आ जाती है और वैसा बाढ़ जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते है, ऑल आफ ए सडेन बाढ़ आ जाती है, हमारे गाय का रेस्क्यू नहीं हो पाता है । जानवरों का रेस्क्यू नहीं कर पाते हैं । उसको निकाल नहीं पाते हैं महोदय । और होता क्या है, वह गाय मर जाती है और जब गाय मर जाती है तो मरने के बाद गाय का डिस्पोजल हमलोग नहीं कर पाते हैं जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां होती है । हम आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि इस पर भी एक परियोजना बने और इमर्जेंसी रेस्क्यू ड्रयूरिंग द फ्लड टाइम, एक परियोजना बने महोदय, और वह गाय मर जाए, उसका डिस्पोजल इतने प्रौपर ढंग से हो कि उससे जो सारी बीमारियां होती है उसको रोका जा सके ।

महोदय, मेरा दूसरा सजेशन होगा कि फ्लड के समय या सूखाड़ के समय चारा एक बहुत बड़ा प्रॉबलं हो जाती है । फॉडर एक बहुत बड़ा प्रॉबलं हो जाता है । महोदय, इस पर बहुत सारी चर्चा हुई थी और यह भी सुझाव आया था कि जिस तरह से हमलोग सीमेन बैंक बना रहे हैं, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमलोग अगर फॉडर बैंक बनाएं या जितने हमारे फार्म हैं उस फार्म को अगर रिवाइव कर लें और फॉर्म को रिवाइव करके अगर हम फॉडर पैदा करना शुरू करें महोदय, चूंकि आज हमको दूध का भी उत्पादन बढ़ाना है, अगर हम फॉडर पैदा कर लें महोदय तो शायद वैसे समय जिस समय फौडर का अभाव होता है, जिस समय फौडर की कमी होती है उस समय फौडर को बढ़ा सकते हैं । महोदय, यहां पर पशुपालन विभाग के बहुत सारे पदाधिकारी भी होंगे । महोदय, ऐसे केसेज बहुत सारे हैं साइलेस बनाने का ।

जब प्रोडक्ट बरसात में बहुत ज्यादा होता है तो हमलोग साइलेस बनाते हैं और साइलेस बनाकर बैंक में जमा करता है और उस साइलेस का इस्तेमाल हमलोग उस समय करते हैं जब इसकी जरूरत होती है, जब इसकी कमी होती है । तो उस समय हमलोग साइलेस का इस्तेमाल करते हैं । महोदय, एक प्रोजेक्ट चल रही है जो कि सरकार हमारी बहुत सारी सबसिडी दे रही है जिसके कारण पशुधन की संख्या बढ़ती जा रही है । मेरा एक अपना तजुर्बा है महोदय, अपने क्षेत्र में दो किसानों को एक साथ जब उसको प्रोजेक्ट मिल गया तो बैंकर्स थोड़ा प्रॉबलंब करते हैं माननीय मंत्री जी । अब हमलोग बैंकर्स को भी इस तरह से इंस्ट्रक्शन दें कि जब प्रोजेक्ट की स्वीकृति विभाग से मिल जाती है तो बैंकर्स भी उतनी ही लिनिअंट हो जाएं, उतने ही सचेत हो जाएं ताकि उनको अच्छी तरह से लोन मिल जाए और किसान ज्यादा समय न बिताएं ।

महोदय, जरा हम फीश के बारे में बात करें । हमें खुशी है । महोदय, आज माननीय मुख्यमंत्री जिस सोच के साथ एग्रीकल्चर रोड मैप बनाए थे और जिस सोच के साथ हमलोग आगे बढ़ रहे हैं, महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो हमारा मछली का उत्पादन है, मछली का उत्पादन तकरीबन साढ़े चार लाख टन का है महोदय ... क्रमशः

टर्न-23/राजेश/18.3.16

श्री मेवा लाल चौधरी, क्रमशः- साढ़े चार लाख टन है और यह उत्पादन इस साल का जो डाटा है, तकरीबन हम साढ़े चार लाख से ज्यादा बढ़ गये हैं और हमारी जरूरत जो है तकरीबन साढ़े 6 लाख टन है, ऑलमोस्ट दो लाख का डेफिसिट है, हम माननीय मंत्री जी को एक बात कहना चाहते हैं कि जिसतरह से इनके स्कीम से तालाब खुदाये जा रहे हैं, इनके स्कीम से जितने तालाब बने हुए हैं, आज तकरीबन 93 हजार हेक्टेयर में तालाब बने हुए हैं, मांग जो हमारी 9 हजार हेक्टेयर है, उसका प्रोपर इस्तेमाल कर रहे हैं और जो चौर है महोदय, हमारे यहाँ चौर तकरीबन 10 लाख हेक्टेयर है और सिर्फ आधे चौर यानि 5 लाख हेक्टेयर में मछली का उत्पादन होता है, चूंकि 5 लाख हेक्टेयर के अंदर ही पानी का जमाव होता है, अगर यह विभाग, हम माननीय मंत्री जी को कहना चाहते हैं कि इस बचे 5 लाख हेक्टेयर में पानी का जल-जमाव किया जाय और मछली पैदा किया जाय, तो जो कमियाँ हैं हमारे पास

केवल डेढ़ लाख टन का, उसको भी हमलोग जल्दी कंपेनसेट कर लेंगे और हमें पूरा उम्मीद है कि आने वाले दो सालों में महोदय हम इसको पूरा कर लेंगे। महोदय, बिजली जल गई है, इसलिए जल्दी से बात कर लें, सब लोगों ने कहा कि गोट ए0टी0एम0 होता है, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही निवेदन करेंगे कि गोट ब्रिडिंग फॉर्म को हमलोग बढ़ावा दें, बकरी जो हमलोग ला रहे हैं वेस्ट बंगाल से, कलकत्ता से ला रहे हैं, वह पूरा इनप्योर ब्रीड है, हमारे पास आज के दिन में इतने अच्छे-अच्छे फॉर्म है मंत्री महोदय, उस ब्रिडिंग फॉर्म को हम आगे बढ़ाये।

महोदय, अब हम अपने क्षेत्र की बात कर लें। मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में दो प्रखंड है, एक है असरगंज और दूसरा संग्रामपुर, जिसमें अभी तक कोई एनिमल हॉस्पिटल नहीं है जबकि वहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं और वहाँ पर इतना दूध पैदा होने के बाद भी न कोई कलेक्शन सेंटर है और न ही कोई प्रोसेसिंग यूनिट है, एटिया बम्बर खास करके एक गाँव है, तारापुर विधान सभा क्षेत्र के अंदर अफजलनगर में और बेलहर में, हम आपसे निवेदन करेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से, कि वहाँ पर एक मिल कलेक्शन सेंटर खोला जाय, महोदय संस्था बेस विकास ही सस्टेनेबुल विकास होती है, भेटनरी कॉलेज, भेटनरी यूनिवर्सिटी का एनाउन्समेंट हुआ था, हम तो महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहेंगे कि जितना जल्द हो सके भेटनरी यूनिवर्सिटी को भी स्टार्ट किया जाय, ताकि वहाँ पर अच्छे-अच्छे प्रशिक्षण हो, अच्छे बच्चे निकले, अच्छी नौकरी ले करके पशुधन का विकास करें। धन्यवाद ।

अध्यक्ष:- माननीय सदस्य श्री ललन पासवान। आपको अपना समय मालूम है।

श्री ललन पासवान:- महोदय, लोजपा का भी दो मिनट हमको मिल गया है, लिखकर दिया हुआ है।

अध्यक्ष:- इसीलिए न कह रहे हैं कि आपको अपना समय मालूम है, उससे आगे नहीं बढ़ियेगा।

श्री ललन पासवान:- अध्यक्ष महोदय, पहले तो एक सवाल पर हम दुख व्यक्त करता हूँ। अभी माननीय सदस्य श्री सत्यदेव सिंह जी, आप उपस्थित नहीं थे, व्यक्ति के नीतियों का, सिद्धांतों का विरोध होना चाहिए, आलोचना निश्चित तौर पर सदन है लेकिन हम यहाँ मौजूद थे लेकिन अध्यक्ष महोदय आप नहीं थे, माननीय सदस्य ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, कौन कहाँ जायेगा, कौन कहाँ आयेगा और कौन-कौन कहाँ पलटी करते हैं, हमलोग जानते हैं इस सदन में और सदन इसका गवाह है और जिस शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने, गद्दार शब्द का, जो अशोभनीय है और माननीय सदस्य

सत्तापक्ष के भी लोग थे और विपक्ष के भी लोग थे लेकिन यह गलत है, मैं इसकी निंदा करता हूँ और आग्रह करूंगा कि उसको प्रोसिडिंग से निकलवाया जाय, कोई कारण से कोई बात हो सकती है, पहले मैं इसपर निंदा करता हूँ और मैंने अपनी कानों से सुना हूँ.....(व्यवधान)

अध्यक्ष:- माननीय सदस्य ललन जी आप उधर मुखातिब हो करके उन लोगों को बोलने का मौका नहीं दीजिये, आप इधर मुखातिब रहिये।

श्री ललन पासवान:- महोदय, तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि माननीय जीतन राम मांझी पर जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया, वह अशोभनीय है, निंदनीय है, गद्दार शब्द का, सदन में बात बिगड़ जाय, भाषा का इस्तेमाल सबको करने आता है और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होगा, तो बात बिगड़ जायगी इस सदन का, लोकतंत्र की जो मर्यादा है... (व्यवधान)

मैं कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ लेकिन हमको भी भाषा का इस्तेमाल करने आता है, यह मैं कह रहा हूँ, हम भी इस भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं।

अध्यक्ष:- आप बात-चीत में अपना समय नहीं गवाइये।

श्री ललन पासवान:- महोदय, हम कह रहे हैं कि सदन गंभीर इसपर हो, इस तरह की भाषाओं पर नियंत्रण हो, यह हम आपसे आग्रह करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन पर मुझे बोलना है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार में जो पशुपालन की स्थिति है, बिहार में पहले दूधों की खेती हुआ करती थी, तो दूधों की खेतियाँ बंद हो गयी, दारुओं की खेतियाँ ज्यादा हो गयी और आज गाँव-गाँव में कोई ऐसा किसान नहीं था, जो दलित हो, शोषित हो, यानि मुशहरी से ले करके अंतिम किसान तक सभी गाँवों में हर रोज बकरी से लेकर पशु रखते थे, इसका समीक्षा हो बिहार में, आज इंसान और पशु का एक दूसरे के साथ अन्योन्याश्रय संबंध है, एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों के बिना इस जनतंत्र में जीना बड़ा ही मुश्किल है, गाय माता जिसके दूध से, माँ के दूध के बाद, गाय की पवित्र दूध से न सिर्फ गाय की पूजा होती है बल्कि इंसान के जीने का सबसे बड़ा ताकतवर साधन है और उस साधन पर संकट है बिहार में और निश्चित तौर पर जैसा कि माननीय इलियास साहब ने कहा कि गाय का दूध अमृत है, उस अमृत पर ग्रहण लगा है बिहार में, आज 80 प्रतिशत, 90 प्रतिशत किसान जो गाँव के खलिहानों में पशु रखते थे, चाहे चारा का अभाव हो, चाहे साधन का अभाव हो, चाहे सरकार की उदासीनता हो या बैंकों की उदासीनता हो, बैंक जरूर चला रहा है अनुसूचित जाति के

लिए पशुपालन लेकिन बैंक ऋण अनुसूचित-जाति को, सबसिडी की चर्चा जरूर हुई लेकिन यह सरकार स्वयं कहती है कि भाई बैंकों पर आपने कई बार बैठक भी किया कि बैंक छात्रों को पढ़ने के सवाल पर नहीं दे रहा है ऋण, तो पशुओं के पालने के सवाल पर बैंक ऋण नहीं दे रहा है, इसलिए हम आग्रह करेंगे कि सरकार कोई बड़ी व्यवस्था करें मत्स्य का और हैचरी का, जो बीज हम कलकत्ता से लाते हैं, नोनिया, बिंद जितना लोग है मल्लाह है, आज उनके हाथों में हैचरी नहीं है, उनके हाथों में समितियाँ नहीं है, दबंग लोगों पर, माफियाओं के हाथों में है, मुक्ति करके जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, उसको सौंपा जाय। हमारे यहाँ सासाराम में पशुपालन का हॉस्पिटल है, अब तो कहीं भी गाय के लिए, पशुओं के लिए कोई अस्पताल नहीं रह गया है, जैसे पहले खोरहा होता था, एक से एक रोग होता था, पहले गाय को मुँह फूल जाता था, खेत खलिहानों तक डाक्टर पहुंचा करते थे लेकिन अब डाक्टर खोजने पर भी नहीं मिलते, यह सच है और हृदय से इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि आज कहीं भी गाय पालकों को डाक्टर नहीं मिलते, भेटनरी में अभी जो आपका कॉलेज है, उसमें अनुसूचित-जातियों का जो आरक्षण मिलता था, उसमें भी ग्रहण है, अब उसके नामांकन पर भी ग्रहण है, हमारे यहाँ जो छात्र अनुसूचित-जाति एवं अनुसूचित-जनजाति के थे, सेशन के सवाल पर, अब उसमें भी ग्रहण लग गया... (व्यवधान)

अध्यक्ष:- अब आप समाप्त करें ।

श्री ललन पासवान:- इसलिए उसमें जो आरक्षण का प्रावधान है, उसको कंटिन्यू किया जाय माननीय मंत्री जी, सरकार आरक्षण की बात करती है, चर्चा करती है, तो इसको करवाया जाय और सासाराम के अस्पताल को थोड़ा ठीक-ठाक कराइये (व्यवधान)

अध्यक्ष:- आपका समय समाप्त हुआ। माननीय सदस्य श्री दिनकर राम। दिनकर बाबू आप 5 मिनट में अपनी बात को समाप्त कीजिये।

टर्न-24/कृष्ण/18.03.2016

श्री दिनकर राम : अध्यक्ष महोदय, न खतिहान है न पर्चा है, घर-घर में शुद्ध जल की चर्चा है ऑल ओवर बिहार में । मैंने ये बातें इसी सदन में पिछली बार

पी0एच0ई0डी0 पर कहा था । वहीं आज पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग के बजट पर बोलने के लिये मुझे मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ । मैं माननीय मंत्री जी के मुँह से सुनना चाहता हूँ कि बिहार में क्या हुआ ? आज किसान के पास पशु नहीं और गांवों में मत्स्यपालक नहीं । क्या हुआ ? हम मच्छली मंगाते हैं आंध्र प्रदेश से, बंगाल से । महोदय, मैं मीट और फिश छूने का काम नहीं करता हूँ । लेकिन अभी सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट के विरोध में बोलने के लिये आदेश किया गया है । बिहार में नगण्य है, देखने को नहीं मिलता है । तो इतना बजट क्यों ? सरकार बतायेंगी । कहां इनका हेचरी चल रहा है और बिहार में कहां इनका गाय, भैस है । न गाय है, न भैस है । न कहीं मत्स्य पालन हो रहा है । माननीय मंत्री जी से मैं सुनना चाहता हूँ । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

श्री अमीत कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आज पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के वित्तीय वर्ष 2016-17 के प्रस्तावित आय-व्यय अनुदानों की मांगों के संबंध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ ।

महोदय, बिहार और झारखंड जब एक था, तब इस राज्य को बहुत खनिज पदार्थ मिलता था । लेकिन जब से झारखंड बिहार से अलग हुआ है, आज हमारा बिहार कृषि पर ही आश्रित हाह गया है । महोदय, कृषि का ही एक अंग है पशुपालन, जिसमें हमारे ग्रामीण इलाके के लोग, जो भूमिहीन हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, उसके लिये पशुपालन ही आय का एक मात्र स्रोत है, जिसके जरिये वे मुख्य धारा से जुड़ने का काम कर रहे हैं । मैं माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमारी पार्टी के श्री अवधेश जी को इस विभाग का मंत्री बनाया, जो आज की तिथि में एनर्जेटिक हैं और हम जानते हैं कि वे पशुपालन एवं मत्स्यपालन के क्षेत्र में क्रांति लायेंगे । मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि पशुपालन विभाग के तरफ से हर जिला में गौ पालन के लिये दो-दो गाय और 20-5-5 गाय देने का प्रावधान है । अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को 30 इकाई देने का प्रावधान है, 7-5-5 लेकिन हम माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहेंगे कि यह बहुत कम है । हर जिला में औसतन 12 लाख जनसंख्या है और इतने से हमको नहीं लगता है कि लोग आगे बढ़ पायेंगे । लेकिन माननीय मंत्री जी पर हम को विश्वास है कि अगले साल इसमें कुछ परिवर्तन आयेगा ।

महोदय, पशुपालन एक ऐसा जरिया है, जिनके पास जमीन नहीं है, वह कम पूंजी में भी अपने-आप को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकता है। सरकार की ओर से हर गरीब परिवार को बकरी देने की भी योजना है। इससे भी लोग कम पूंजी में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। कम पूंजी में कहीं भी वे बकरी को चरा करके बकरी का पालन पोषण किया जा सकता है, जिससे उनकी जीविका चलती है। महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि हर जिला में पशुपालन विभाग की बहुत सारी जमीन है जो खाली पड़ी हुई है। उस पर एक बार फिर से विचार करें। हर जिला जैसे हमारा जिला उत्तर बिहार में नेपाल से सटा हुआ है, वहां के लोग कृषि पर आश्रित हैं लेकिन सिंचाई का वहां कोई साधन नहीं है। वहां के किसान प्रकृति पर ही निर्भर हैं। उनके लिये जीविका का बहुत बड़ा साधन है पशुपालन। बहुत से गरीब लोग उस पर आश्रित हैं। सीतामढ़ी जिला में बखरी एक गांव है, वहां पर हेचरी का भी फार्म है, जो चालू नहीं है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी उस पर ध्यान दें और उसको सुचारू रूप से चालू करने की व्यवस्था करें।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अब आप शीघ्र समाप्त करें।

माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा। माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, हमारे दल से किसी का नाम नहीं पुकारा गया है।

अध्यक्ष : आपने दिया नहीं होगा ?

श्री सत्यदेव राम : महबूब जी का नाम होगा।

अध्यक्ष : अच्छा, इसको कम्पन्सेट कर दिया जायेगा।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, बजट मैं देख रहा हूं, यह कम कर दिया गया है। बजट की जो राशि 2015-16 में था, उसमें योजना मद में राशि कम कर दिया गया है और चालू वित्तीय वर्ष में आधी राशि भी खर्च नहीं हुई है और 2014-15 और 2015-16 में बजट में जितना योजना मद में प्रावधान था, उसको 2016-17 में कम कर दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में पैसा खर्च नहीं हुआ हळ। पूरे राज्य में अस्पताल की हालत जर्जर है। न दवा है, न डाक्टर है।

अध्यक्ष : इसके बारे में माननीय मंत्री बतायेंगे।

व्यवधान

(इस अवसर पर भाजपा के सभी मा0सदस्यगण सदन से बाहर चले गये)

व्यवधान

सरकार का उत्तर

श्री अवधेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का 2016-17 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है उस पर विचार-विमर्श में सदन के पक्ष और विपक्ष के 16 माननीय सदस्य भाग लिये हैं और उन्होंने अच्छे-अच्छे सुझाव भी दिये हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को कुछ नई जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारा पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग क्या-क्या करने जा रहा है और आगे की क्या योजना है। महोदय, हम दिनकर जी की कविता से शुरू करते हैं : -

वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल,
दूर नहीं है, थक कर बैठ गये क्या भाई,
मंजिल दूर नहीं है भाई,
मंजिल दूर नहीं है भाई।

अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के हमारी साथी अच्छी बात सुनना नहीं चाहते हैं। वे विकास और विकास के ऊपर चलनेवाली बातों पर गंभीर नहीं होते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन बातें कहना चाहता हूँ। इस बार आधे से अधिक नौजवान चुनाव जीत कर सदन में आये हैं। इस बिहार की धरती पर श्री नीतीश कुमार जी जिनको विकास पुरुष, जिनको सुशासन बाबू के नाम से कोई हम विधायकगण नहीं बोलते हैं, बिहार की आवाम बोलती है। उसका क्या कारण है? राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी को सामाजिक न्याय का धरोहर बोला जाता है, यह कोई विधायक नहीं बोलते हैं, राज्य बोलता है। पूरे देश में त्याग की मूर्ति हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी का नाम लिया जाता है। उन्होंने त्याग किया है। हमारा देश त्याग करनेवालों का देश रहा है। महोदय, 2005 में जब श्री नीतीश कुमार जी इस राज्य के मुख्यमंत्री हुये तो इस राज्य को उन्होंने अपनी पहचान दी। अध्यक्ष जी, हमलोग सदन में 1980 में आये थे। हमलोगों ने भी उस जमाने में सड़कें बनवाई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने हर विधायक को 5 कि०मी० सड़क दिये थे। पर इस विकास पुरुष ने बिहार के पक्ष और विपक्ष के सारे विधायकों के क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाने का एक निर्णय लिया और राज्य में जिस भी सड़क पर चलते हैं, उस सड़क निर्माणकर्त्ता का नाम बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का आता है।

क्रमशः :

टर्न-25/सत्येन्द्र/18-3-16

श्री अवधेश कुमार सिंह(क्रमशः): बिहार में मुख्यमंत्री सेतु का निर्माण हुआ। अध्यक्ष महोदय, हमलोग सुदूर गांव से आते हैं। गांव में बहुत से ऐसे प्रखंड थे जो सड़कों से नहीं जुड़ा था और उस मुख्यालय से पुल के अभाव में वर्षों से उसका कार्य नहीं हुआ था उस सपना को पूरा बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया और सभी प्रखंड मुख्यालयों में हेडक्वार्टर से जोड़ने का काम और जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम किया, इसके लिए बधाई के पात्र हमारे नीतीश कुमार हैं। अध्यक्ष महोदय, इस राज्य में, इस देश में सबसे पहले पंचायती राज का सपना हमारे नेता तत्कालीन प्रधानमंत्री पं० नेहरू न सोचा था और उसका कार्यान्वयन हमारे नेता राजीव गांधी का सपना था और उस सपना को इस देश के धरती पर उतारा गया और उसमें बिहार में हमारे नेता नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री ने हिन्दुस्तान ने जो सपना में सोचा था 50 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण दिया। उस आरक्षण में गरीब की भी बेटी, पिछड़े की भी बेटी और सामान्य जाति की भी बेटी मुखिया बनी, पंचायत समिति सदस्य बनीं, जिला परिषद के अध्यक्ष बनीं जिला परिषद सदस्य बनीं, अध्यक्ष महोदय, उस विकास पुरुष को आज जो धक्का लगा हमारे एक सदस्य अभी ललन पासवान जी जो वाक आउट कर के चले गये हमारे सत्यदेव जी ने कुछ आपत्तिजनक बात कही। आपत्तिजनक बात कही ये ललन पासवान जी ने कहा है। वह आपत्तिजनक बात ही नहीं है अध्यक्ष महोदय । देश में, प्रजातंत्र में राजनीति होता है जो व्यक्ति लोक सभा का चुनाव हारता है और चुनाव हारने पर घर पर बैठा रहता है और उस व्यक्ति को इस राज्य का ताकतवर मुख्यमंत्री निर्वाचित मुख्यमंत्री विधायकों का चहेता मुख्यमंत्री फोन पर कहता है कि आप पटना आयें और बिहार के गद्दी का मालिक बने। इस राज्य में अगर किसी एक व्यक्ति ने साहस का काम किया है तो उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार हैं जिन्होंने मुसहर जाति के व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया और वो मुख्यमंत्री बनकर गोलवलकर की भाषा इस राज्य में बोलेंगे, जिस राज्य में सेकुलरिज्म की भाषा बोली जाती है जिसमें गांधी फिलौस्पी और लोहिया फिलौस्पी दोनों राज्य में काम कर रहे थे वे वर्कर की भाषा बोलकर भाजपा की गोद में बैठकर इस राज्य को तवाह करना चाहते थे, दलितों पिछड़ों का आरक्षण समाप्त करना चाहते थे। एक सोचने की बात है अध्यक्ष महोदय कि दो ध्रुवीकरण एक पूरब में तो दूसरा

पश्चिम में, लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी और बीच में हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और सोनिया गांधी जी के निर्देशन में इस राज्य में महागठबंधन बना और उस महागठबंधन का ये रास्ता साफ हुआ कि बिहार में फासिस्ट ताकतें समाप्त हुए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं मुख्य रूप से अपने विभाग की जो लोगों की चिन्ता थी उस ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, हमारे बहुत से लोगों ने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें कहीं, उन्होंने अस्पताल बगैरह की भी चर्चा किया है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2016-17 से राज्य, जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर 24 घंटा पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराने की कोशिश करेंगे। राज्य सरकार द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना में इंडोर, ऑउटडोर, आपातकालीन सेवा के साथ पशु चिकित्सा पॉली क्लिनिक की स्थापना कर पशुपालकों को 24 घंटे पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराया जाए। चिकित्सा के लिए भर्ती किये जाने वाले पशुओं के लिए चारा/पानी की व्यवस्था की जायेगी। इसी प्रकार सभी जिला एवं अनुमंडल में विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों की सेवा एवं पैथोलॉजिकल जांच की सुविधा के साथ 24 घंटों एवं सप्ताह के सातों दिन पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। बिहार पशुधन विकास अभिकरण (बी०एल०डी०ए०) के सुदृढीकरण के तहत राज्य सरकार द्वारा बिहार पशुधन प्रजनन नीति के अनुसार बी०एल०डी०ए०, पटना को उच्चतम गुणवत्ता के सांड का पालन एवं कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से सफल क्रियान्वयन हेतु सुदृढीकरण का कार्य किया जा रहा है ताकि बिहार पशुधन विकास अभिकरण, बी०एल०डी०ए०, पटना शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण के साथ उन्हें स्वरोजगार हेतु संसाधन उपलब्ध करा सके। साथ ही प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कर्मों द्वारा पशुओं में उत्पन्न होने वाले बांझपन की शिकायत को दूर किया जा सकेगा। हमारे पशुपालन विद्यालय, डुमरांव का सुदृढीकरण के तहत पशुपालन विद्यालय, डुमरांव में पशुधन सहायकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम को चालू किये जाने की योजना है, जिसमें पशुधन सहायक संवर्ग के अप्रशिक्षित कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। इससे उनके तकनीकी ज्ञान की वृद्धि और कार्य कुशलता बढ़ेगी। साथ ही स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत पाराभेट के प्रशिक्षण की भी योजना पर कार्य किया जा रहा है। बकरीपालन सह प्रजनन प्रक्षेत्र मरंगा, पूर्णिया का सुदृढीकरण के तहत अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में बकरी पालन एवं प्रजनन का कार्य किया जा रहा है। राज्य में बकरी पालन को और बढ़ावा देने तथा

उन्नत नस्ल के बकरी/बकरा वितरण कर गरीब पशुपालकों को जीविकोपार्जन के लिए ब्लैक बंगाल के साथ-साथ जमुनापारी,बरबरी और बिट्ल नस्ल की बकरियों का प्रजनन संबर्द्धन कर पशुपालकों के बीच वितरण करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। पशुपालन के क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने हेतु राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। यदि महिलाएं उपचार हेतु पशुओं के ईलाज के लिए अस्पताल ले जाती हैं तो ईलाज का निबंधन शुल्क माफ कर दिया जायेगा। इसके साथ ही साथ पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान के लिए सरकार द्वारा सामान्य जाति के लोगों के लिए 40 ₹ तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 25/-₹ निर्धारित है। सरकार महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इस कार्य के लिए महिला पशुपालकों से 20 ₹ निर्धारित करने पर विचार कर रही है। अध्यक्ष महोदय, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभागीय योजनाओं के माध्यम से उनके आर्थिक एवं सामाजिक समृद्धि हेतु अनेक कार्यक्रम संचालित कर रहा है ताकि राज्य की महिलाएं स्किल डेवलपमेंट के साथ स्वरोजगार हेतु प्रवृत्त हो सकें। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भी महिलाएं महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। वर्तमान में राज्य में कुल 1609 महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति गठित हैं इस समिति के अन्तर्गत एक लाख तिरसठ हजार दौ सौ नौ महिलाएं दुग्ध उत्पादन का कार्य कर अपने आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करते हुए राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति की संख्या बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा कदम उठाया जा रहा है। इसके अलावा गव्य विकास निदेशालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में 566 एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 में 360 महिला डेयरी कृषकों को पशु प्रबंधन एवं विभिन्न प्रकार के दुग्ध उत्पाद के निर्माण हेतु 6 दिवसीय प्रशिक्षण राज्य के अन्दर डी0एन0एस0 क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान,पटना में प्रदान की गयी है। इस वित्तीय वर्ष में भी महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु पशु प्रबंधन एवं विभिन्न प्रकार के दुग्ध उत्पाद के निर्माण हेतु प्रशिक्षण देने की कार्रवाई सरकार के स्तर से की जा रही है।(क्रमशः)

टर्न-26/मधुप/18.3.16

श्री अवधेश कुमार सिंह : ...क्रमशः...

भारतीय संस्कृति की धरोहर एवं कृषि प्रधान देश का रीढ़ गोवंश है । प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों द्वारा गौशाला की स्थापना की गई थी, जिसमें अस्वस्थ, अपंग, बूढ़ी गोवंश का संरक्षण किया जाता था ।

वर्तमान समय में गौशालाओं को जीवंत रखने हेतु सरकार की ओर से सहायक अनुदान की राशि दी जा रही है जिस राशि से गौशाला के जीर्णोद्धार हेतु आधारभूत संरचना का निर्माण, देशी गोवंश का संरक्षण एवं संवर्धन के साथ ही ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हेतु गोबर गैस संयंत्र की स्थापना एवं भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने हेतु वर्मी-कम्पोस्ट का निर्माण किया जा रहा है ।

सरकार की मंशा है कि गौशालाओं को चारा का उत्पादन केन्द्र एवं किसानों के प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित करना, आपदा के समय चारा के भंडारण केन्द्र एवं गोमूत्र-गोबर औषधि का निर्माण केन्द्र के रूप में विकसित किया जाय, इसके लिए सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही है ।

अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि पूरे राज्य में जो गौशालाएँ हैं वह ट्रस्टी बोर्ड के अन्तर्गत आते हैं । उस ट्रस्टी बोर्ड के माध्यम से ही वहाँ काम किया जा सकता है । अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रयास है कि जो गौशाला का जमीन अतिक्रमण किया गया है और गौशाला के नाम पर राजनीति करने वाले विश्व हिन्दू परिषद् के लोग, भा0ज0पा0 के लोग जो उसकी राजनीति करते हैं गो-हत्या बन्द करो और गाय का नारा लगाकर ये देश को गुमराह करना चाहते हैं । वैसे व्यक्तियों को हम बताना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, गौशाले पर सरकार विशेष रूप से ध्यान देकर वहाँ पर इन तमाम योजनाओं को हम चालू कराना चाहते हैं और गौरक्षणी की अहम भूमिका होगी गौरक्षा करने की । हमारे गाँव के गाय जो बूढ़ी हो जाती हैं, गऊ माता है, उन गऊ माताओं को आप संरक्षण नहीं देते हैं, हम इन गौरक्षणी में उन गायों की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं सदन के माध्यम से आपके सामने कि उन गायों की रक्षा इन गौरक्षणी में किया जायेगा । सरकार उसके लिए दृढ़ संकल्पित है । यह हम आपको बताना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, कॉम्पेड के माध्यम से हम अब बिहार में अन्य राज्यों की तरह कोलेस्ट्रालमुक्त घी बनाने की योजना बनाये हैं । स्वास्थ्य कारणों से चिकित्सकों द्वारा कम कोलेस्ट्राल के सेवन की सलाह दी जाती है क्योंकि यह धमनियों में एकत्रित हो जाने के कारण हृदय रोग का कारक बनता है । इस कारण लोग चाह कर भी साधारण घी का सेवन नहीं कर पाते हैं । कॉम्पेड की पटना स्थित डेयरी द्वारा नेशनल डेयरी रिसर्च इन्स्टीट्यूट, करनाल से कोलेस्ट्रालमुक्त घी उत्पादन की तकनीक प्राप्त कर इसका निर्माण

आरंभ करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की गई है। शीघ्र ही इसे बाजार में उपभोक्ताओं हेतु उतारा जाएगा। यह 200 ग्राम एवं 500 ग्राम के कंटेनर पैक में उपलब्ध होगा।

अध्यक्ष महोदय, हम सदन को बताना चाहते हैं कि कॉम्फेड के माध्यम से चार डेयरियों में दुग्ध चूर्ण बनाने के संयंत्र स्थापित हैं जिनमें से सबसे बड़ा 30 मी० टन दैनिक क्षमता का संयंत्र नालन्दा डेयरी, बिहारशरीफ में स्थापित है। इस संयंत्र में स्थापित संयंत्र द्वारा वर्तमान में मात्र 200 ग्राम एवं 500 ग्राम कार्टन उपभोक्ता पैक में दुग्ध चूर्ण उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य में दुग्ध चूर्ण उत्पादन की पर्याप्त क्षमता को देखते हुए अब नालन्दा डेयरी में 3 ग्राम से 1000 ग्राम के छोटे बड़े पाउच पैक में दुग्ध चूर्ण (Tea Whitener) को पैक करने का संयंत्र स्थापित किया जा रहा है ताकि उपभोक्ता को इसे सुगमता से उपलब्ध कराया जा सके। इसका निर्माण कर इसे किराना की खुदरा दुकानों के माध्यम से आम उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त 100 ग्राम, 200 ग्राम एवं 500 ग्राम के पाउच पैक में आम उपभोक्ता हेतु डेयरी व्हाइटनर पटना डेयरी द्वारा तैयार कर शीघ्र बाजार में उपलब्ध करा दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, ये तमाम ऐसी योजनाएँ पर सरकार काम कर रही है कि हम अपने बिहार में कॉम्फेड सुधा डेयरी के माध्यम से इतना प्रचार-प्रसार करें कि बाहर की आने वाली डेयरी कम्पनियाँ बिहार में अपना पैर नहीं पसार सकें। हम आपके माध्यम से तमाम अपने माननीय सदस्यों को बताना चाहते हैं। सबसे बड़ा उपलब्धि सदन को बताने में मुझे खुशी होगी, अध्यक्ष महोदय, आपके जेहन में देना चाहते हैं। वर्ष 2015-16 में कराये गए नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे-4 के अनुसार बिहार में 43.9 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं एवं 7 प्रतिशत बच्चे गंभीर कुपोषण के शिकार हैं। ये 7 प्रतिशत बच्चे “सिवियरली एक्यूट मालन्यूट्रीशन” (Severely Acute Malnutrition, SAM) के शिकार हैं जिसके कारण इन बच्चों को नियमित भूख नहीं लगती एवं उनकी सामान्य भोजन को पचाने की क्षमता समाप्त हो गई है। इन सैम प्रभावित बच्चों का कुपोषण से निजात दिलाने के लिए एक विशेष आहार बाल-अमूल की तर्ज पर बाल-सुधा के उत्पादन का प्रयास किया जा रहा है जिसमें कुपोषित बच्चों के लिए दुग्ध चूर्ण के साथ आवश्यक प्रोटीनयुक्त पोषक तत्व, खनिज एवं विटामिन का समावेश होगा। यह बाल-सुधा नामक आहार कॉम्फेड की पटना स्थित डेयरी में राष्ट्रीय संस्थानों के तकनीकी सहयोग से तैयार करने की योजना है। एक पाईलट योजना के रूप

में इसके परिणामों का आकलन कर राज्य में गंभीर कुपोषण के शिकार बच्चों को इसे उपलब्ध कराया जा सकेगा ।

आगामी वित्तीय वर्ष में सुधा को एक ब्राण्ड के रूप में और मजबूती प्रदान करने एवं छोटे शहरों/नगर परिषद/नगर पंचायत स्तर तक अपने बाजार का विस्तार करने की कार्ययोजना कॉम्फेड के द्वारा बनाई जा रही है जिसमें कॉम्फेड के द्वारा अपने संसाधन का भरपूर उपयोग करते हुए अपने उत्पादों के विपणन करने एवं बाजार में प्रतिस्पर्धा के अनुसार बाजार प्रबंधन पर बल दिया जाएगा ।

राज्य सरकार द्वारा पहली अप्रैल 2016 से देशी शराब के बिक्री पर रोक लगाये जाने का निर्णय लिया गया है । यह एक ऐतिहासिक निर्णय है । अध्यक्ष महोदय, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री का यह एक ऐतिहासिक निर्णय है । इस निर्णय में अपने विभाग पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग और हमारे सुधा डेयरी कॉम्फेड के माध्यम से हम उक्त निर्णय के आलोक में 1966 देशी शराब अनुज्ञप्ति धारियों को कॉम्फेड द्वारा सुधा दूध के विपणन हेतु एकरारनामा के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसके विरुद्ध 306 देशी शराब विक्रेता द्वारा कॉम्फेड के उत्पाद को बेचने के लिए मौखिक सहमति जताई गयी है । विभाग/कॉम्फेड इस कार्य हेतु सतत प्रयत्नशील है ताकि राज्य में कॉम्फेड उत्पाद का बिक्री पंचायत स्तर तक पहुँचाया जा सके ।

अध्यक्ष महोदय, हमने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि बिहार पटना में वेटनरी यूनिवर्सिटी की स्थापना करेंगे । हम आज सदन को बताते हुये खुशी जाहिर करना चाहते हैं कि आने वाले वर्ष में बिहार पटना में वेटनरी यूनिवर्सिटी जो अन्य राज्यों में है लेकिन बिहार में नहीं है, हम वेटनरी यूनिवर्सिटी की स्थापना इसी पटना में अपने वेटनरी कॉलेज कैम्पस में करेंगे । यह हम आपको और सदन को आज बताना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, फिशरी के संबंध में हमारे बहुत से मित्रों ने कई सुझाव दिये हैं और कुछ बात कही है । राज्य में कुल 112 मत्स्य हैचरी स्थापित है इससे कुल 450 मिलियन मत्स्य बीज का उत्पादन हो रहा है । राज्य सरकार द्वारा मत्स्य बीज हैचरी निर्माण की योजना कार्यान्वित करने के लिए इकाई को लागत 15 लाख तथा अनुदान 7.5 लाख है । राज्य में उत्पादित मत्स्य बीज के नेपाल में भी निर्यात की सूचना है । अध्यक्ष महोदय, आज अन्य सदस्यों ने भी कहा है, मत्स्य का केज कल्चर जो हमारी योजना है, केज कल्चर मछली पालन की विधा है जिसमें वैसे जल संसाधनों का प्रयोग किया जाता है जो सामान्य रूप से सघन मत्स्य पालन के लिए अनुकूल नहीं होते हैं । जलाशय में केज कल्चर के द्वारा मत्स्य उत्पादन को कई गुणा बढ़ाया जा सकता है । राज्य में 26303

(छब्बीस हजार तीन सौ तीन) हेक्टेयर में जलाशय है । इसमें केवल मछली का शिकारमाही होता है । इनमें नई पहल कर केज कल्चर को प्रोत्साहित किया जायेगा ।

...क्रमशः...

टर्न-27/आजाद/18.03.2016

श्री अवधेश कुमार सिंह : (क्रमशः) इससे अतिसघन मत्स्य पालन, अधिक संख्या में मछली का संचयन एवं संतुलित आहार का प्रयोग कर मत्स्य उत्पादन में आशातीत वृद्धि की जा सकेगी । आगामी वित्तीय वर्ष में जलाशय का चयन कर पॉयलट प्रोजेक्ट के तहत केज कल्चर विकसित करने की योजना है ।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा योजना हम मत्स्य विभाग में पेन कल्चर का है । पेन का हिन्दी में शाब्दिक अर्थ होता है । चौर आदि में वर्षा के दिनों में पानी फैलकर ऊपर तक आ जाता है । इसमें तीन तरफ से बाड़ा लगाया जाता है जो नेट एवं बॉस के स्टीक का होता है । इसका उद्देश्य मछलियों को सीमित जलक्षेत्रों में रोक कर रखना है। इसमें मछलियों को परिपूरक आहार भी दिया जाता है जिससे कि कम समय में अधिक से अधिक मत्स्य उत्पादन प्राप्त किया जा सके । राज्य में नौ लाख एकतालीस हजार हेक्टेयर से अधिक में आर्द्र भूमि है । इसे पेन कल्चर के अन्तर्गत लाकर मछली उत्पादन में वृद्धि की जा सकेगी । आगामी वित्तीय वर्ष में चिन्हित चौरों में मत्स्यजीवी सहयोग समिति के माध्यम से पेन कल्चर करने की योजना है । इस प्रकार अतिरिक्त जलक्षेत्रों में सघन मत्स्य पालन की जा सकेगी ।

अध्यक्ष महोदय, तालाबों में जल की उपलब्धता एवं जल स्तर बनाये रखने हेतु सोलर-पम्प के अधिष्ठापन की योजना तैयार की जा रही है । 7.5 ए0पी0 के सोलर पम्प की अधिष्ठापन हेतु प्राक्कलन एवं योजना तैयार की गई है ।

मत्स्य उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि हेतु आर्द्र भूमि(वेटलैंड) के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । हाजीपुर जिला को पॉयलट प्रोजेक्ट के रूप में चिन्हित करते हुए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है । राष्ट्रीय मात्सियकी विकास बोर्ड, हैदराबाद के सहयोग से भी आर्द्र भूमि विकास हेतु कार्रवाई की जा रही है ।

राज्य में मत्स्य उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि के लिए फिश-फीड-मिल उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा । कैटल फीड एवं पोल्ट्री फीड की तरह

पॉयलट प्रोजेक्ट के आधार पर फिश फीड मिल स्थापित करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है । केन्द्रीय मीठाजल जल कृषि संस्थान, भुवनेश्वर के सहयोग से फिश फीड मिल के उत्पादन हेतु कार्रवाई की जा रही है ।

राज्य में मछली के उत्पादन में वृद्धि हेतु राज्य सरकार के द्वारा अनेक योजनायें चलायी जा रही हैं जिसमें प्रमुख हैं मुख्यमंत्री मत्स्य विकास परियोजना अन्तर्गत अनुदानित दर पर मत्स्य बीज हैचरी, नये तालाब का निर्माण, ट्यूबवेल एवं पम्प सेट का अधिष्ठापन, आर्द्र जलभूमि का विकास, सरकारी तालाब के पट्टेदार का नाम एवं जाल के वितरण की योजना, सरकारी तालाबों को अनुदानित दर पर जीर्णोद्धार एवं चौकीदार शेड का निर्माण, उन्नत नस्ल के मत्स्य अंगुलिकाओं के वितरण की योजना । इन सभी योजनाओं में 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के विशेष घटक योजना के तहत नर्सरी तालाब का निर्माण एवं तालाबों में सालों भर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु बोरिंग पम्पसेट का अधिष्ठापन की योजना पर 90 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है । मत्स्य पालकों के क्षमता संवर्द्धन हेतु विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण की योजना चलायी जा रही है ।

विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार बिहार में पहली बार फिश फेडरेशन की स्थापना की जा रही है । बहुत दिनों से मत्स्य पालकों के बीच प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति में सदस्यता अभियान नहीं चलने के कारण नौजवान जो पशुपालक थे, इससे वंचित थे । इसलिए प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति का आधार विस्तृत करने हेतु मत्स्य पालकों के बीच अभियान चलाकर सदस्य बनाने पर सरकार विचार कर रही है ।

अध्यक्ष महोदय, पूरे सदन को मालूम है कि कोसी में आपदा आयी थी । कोसी के आपदा को झेलने का साहस इस बिहार के धरती पर एक ही व्यक्ति का था, वह व्यक्ति का नाम है बिहार के विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार का । उस आपदा को झेलने में पशुपालन विभाग ने भी अपनी अहम भूमिका निभायी है । कोसी प्रक्षेत्र में आये प्रलयकारी बाढ़ के बाद उस क्षेत्र के पशुपालकों के पुनर्वास हेतु विश्व बैंक के सहयोग से बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना, कोसी-1 क्रियान्वित की गई थी । इसके सफल क्रियान्वयन के फलस्वरूप बिहार कोसी बेसिन विकास

परियोजना, कोसी-2 की कार्य योजना तैयार की गई है जिसके अन्तर्गत मुख्य रूप से निम्न कार्यक्रम सम्मिलित किये गये हैं :-

बकरी पालन सह प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना - बकरी मांस एवं दूध उत्पादन में वृद्धि एवं क्षेत्र के लोगों को स्वरोजगार के उद्देश्य से निजी क्षेत्र में बकरी पालन फार्म की स्थापना हेतु 1.80 लाख रु० प्रति यूनिट की दर से कुल 500 यूनिट हेतु रुपये 900लाख व्यय का प्रस्ताव है ।

अध्यक्ष महोदय, छोटे पशुओं हेतु महिला रिसोर्स पर्सन - छोटे पशु यथा- भेड़, बकरी के टीकाकरण एवं प्राथमिक चिकित्सा हेतु पशु पालकों के द्वारा सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से महिलाओं को प्रशिक्षण देकर एवं आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराकर छोटे पशुओं हेतु महिला रिसोर्स पर्सन के लिए 25 हजार रु० प्रति यूनिट की दर से पंचायत स्तर पर कुल 973 यूनिट हेतु 243.25 लाख रु० व्यय करने का प्रस्ताव है ।

मोबाईल वेटनरी क्लिनिक (एम्बुलेट्री वैन) का सुदृढीकरण - विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र में संचालित 7 मोबाईल वेटनरी क्लिनिक (एम्बुलेट्री वैन) में पोर्टेबुल जेनसेट एवं मिनी रेफ्रिजरेटर हेतु 60 हजार रु० प्रति यूनिट की दर से कुल 7 यूनिट हेतु 4.20 लाख रु० व्यय का प्रस्ताव है । 7 मोबाईल वेटनरी क्लिनिक (एम्बुलेट्री वैन) के परिचालन हेतु आवर्ती व्यय विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र में संचालित 7 मोबाईल वेटनरी क्लिनिक (एम्बुलेट्री वैन) में पोर्टेबुल जेनसेट हेतु ईंधन एवं रख-रखाव हेतु 42 हजार रु० प्रति यूनिट की दर से कुल 7 यूनिट हेतु 4 वर्षों में 11.76 लाख रु० व्यय करने का प्रस्ताव है ।

अध्यक्ष महोदय, और भी हमारी सरकार की योजनायें हैं । उसमें मुख्य योजना के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं । वेटनरी यूनिवर्सिटी का जो हमने निर्णय लिया है, माननीय मुख्यमंत्री का यह साहसिक निर्णय है । हम 100 करोड़ मात्र की लागत पर राज्य में पशु विज्ञान एवं गव्य विज्ञान मत्स्य तकनीकी शोध संस्थान हेतु बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल साइन्स एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना विधेयक,2015 की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव है ।

अध्यक्ष महोदय, हम गव्य विकास निगम के द्वारा इस राज्य में गरीबों को सामान्य लोगों के लिए दो गाय, पाँच गाय की योजना बनायी है । हमारे कुछ सदस्यों ने बताया है कि उसमें बैंक की भूमिका और जिले में जिला पदाधिकारी एवं डी0डी0सी0 के द्वारा उसका डिसपोजल में विलम्ब होता है । हमने एक नई शुरुआत

की है, हमने एक नया कमिटी का निर्माण किया है । जिसमें गव्य के एक व्यक्ति होंगे और दूसरा हमारे पशुपालन के होंगे और तीसरा व्यक्ति हमारे बैंक के होंगे और चौथा व्यक्ति इन्डस्ट्रीज के होंगे । यही चार व्यक्ति मिलकर इसका निर्णय करेंगे । इसके बाद हम इसमें निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे । हम दूध संग्रह केन्द्र की स्थापना ग्रामीण स्तर पर गठित दुग्ध उत्पादन सहयोग समितियों के संग्रहित दूध को सही ढंग से रख-रखाव के लिए दूध संग्रह केन्द्र का निर्माण किये जाने की वित्तीय वर्ष 2015-16 में 4 करोड़ 50 लाख रू० की लागत से व्यय 20 इकाई संग्रह केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य है और हम इसे सदन पटल पर रखते हैं । वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल 1125 लाख रू० की लागत से एक हजार इकाई

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, समय हो रहा है, आपका लिखित भाषण कार्यवाही का हिस्सा बन जायेगा । आप ले कर दीजिए ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, दे देते हैं । एकाध मिनट आपसे अनुरोध करते हैं अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : आपका समय हो गया है, आप एक मिनट में कुछ कहना है तो कह दीजिए ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : हम माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा जी से जो सदन में नहीं है, उनसे आग्रह करते हैं कि वे अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले लें ।

..... क्रमशः

टर्न-28/अंजनी/दि018.03.16

...क्रमशः...

श्री अवधेश कुमार सिंह : और एक गालिब के शेर के साथ सदन की अनुमति लेकर मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ ।

हजारों ख्वाहिशें ऐसी की हर ख्वाहिश पर दम निकले ।

बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले ॥

सितारों से आगे जहां और भी है ।

अभी इश्क के इन्तिहान और भी हैं बाकी ॥

अध्यक्ष महोदय, हम सदन में अपना लिखित प्रतिवेदन सभा मेज पर रखते हैं ।

(माननीय मंत्री का वक्तव्य परिशिष्ट-1 द्रष्टव्य)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इश्क के इन्तिहान की बात कर रहे हैं, दिशा किधर है ?

माननीय मंत्री जी का भाषण समाप्त हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा, अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि—

इस शीर्षक की मांग 10/-रूपये से घटाई जाय ।

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

‘पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 5,44,19,22,000/- (पाँच अरब चौवालिस करोड़ उन्नीस लाख बाईस हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है, इस प्रकार से कटौती प्रस्ताव पेश करने के बाद, सरकार के उत्तर के बाद उसपर जब मत विभाजन होता है, उस समय अगर कोई सदस्य मौजूद नहीं रहते हैं तो यह बात आज तक मेरी समझ में नहीं आयी कि इसको रिजेक्ट करने का प्रस्ताव क्यों आता है ?

इसलिए मेरा एक सुझाव है कि इसके बारे में नियम समिति में विचार कर लिया जाय कि अगर ऐसी स्थिति हो जिसमें कटौती प्रस्ताव पेश करने वाले माननीय सदस्य इसको प्रेस करने के लिए उपस्थित नहीं हों तो वैसी स्थिति में आसन से उस प्रस्ताव को इनफ्रक्चुअस घोषित किया जाना चाहिए और जो मूल प्रस्ताव है, उसको ले लेना चाहिए । यह अकारण, थोड़ा अटपटा लगता है । सदस्य हैं नहीं, उनसे वापस लेने की अपील तक तो ठीक है लेकिन उसको अस्वीकृत करने का प्रस्ताव रखा जाय।

अध्यक्ष : चूँकि एक बार पेश हो जाता है ।

श्री नीतीश कुमार : यह इनफ्रक्चुअस हो सकता है । इसको प्रेस करने के लिए उपस्थित नहीं हैं तो इनफ्रक्चुअस हो सकता है, इसलिए हमारा एक सुझाव है ।

अध्यक्ष : यह ठीक है ।

श्री नीतीश कुमार : इसपर नियम समिति में विचार कर लिया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है, विचार किया जायेगा ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 18 मार्च, 2016 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 34(चौतीस) है, अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक सोमवार, दिनांक 21 मार्च, 2016 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

.....

परिशिष्ट-1



बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
वार्षिक प्रतिवेदन
वित्तीय वर्ष 2015-16 की उपलब्धियाँ

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

परिचय

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। इस विभाग के विकास के बिना राज्य विकास की कल्पना निरर्थक है। यह विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार का अवसर प्रदान कर किसानों/ शिक्षित बेरोजगार युवकों-युवतियों को विकास की मुख्य धारा में शामिल कर उनके आर्थिक एवं सामाजिक समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सर्वविदित है कि राज्य की आबादी का 89 % आबादी प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से पशु एवं मत्स्य संसाधन से जुड़ी हुई है। पशु/ पक्षी/ मत्स्य जन्य के विभिन्न उत्पादों के द्वारा यह राज्य के विकास में अहम योगदान देकर राज्य में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिकों को न्यूनतम पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने का कार्य करती है। पशुधन/ पक्षी/ मत्स्य की रक्षा एवं दुग्ध तथा मत्स्य उत्पादन की प्रगति के लिए सरकार सतत प्रयत्नशील है। सरकार पशुपालन, गव्य एवं मत्स्य के व्यापक विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है।

पशुपालन का इतिहास वर्ष-1911 से प्रारंभ है जब यह कृषि विभाग का अंग था एवं पशुपालन के नाम से जाना जाता था। कालान्तर में यह विभाग वर्ष-1949 में कृषि विभाग से अलग होकर पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग के रूप में अस्तित्व में आया, तब से यह विभाग अनेक बाधाओं को झेलते हुए विकास के पथ पर अग्रसर रहकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढीकरण में प्रमुख भूमिका अदा कर रहा है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा इस विभाग का नाम पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग रखा गया है इसके तहत तीन निदेशालय यथा पशुपालन, गव्य विकास एवं

मत्स्य निदेशालय कार्यरत है। सरकार इस विभाग के व्यापक विकास हेतु सतत प्रयत्नशील है।

2. वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राप्त वार्षिक योजना उद्व्यय के विरुद्ध प्राप्त विशिष्ट उपलब्धियाँ :-

वित्तीय वर्ष 2015-16 में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को राज्य योजना, केन्द्र प्रायोजित योजना एवं राष्ट्रीय कृषि विकास के सफल क्रियान्वयन हेतु कुल ₹ 338.4981 (तीन अरब अड़तीस करोड़ उन्चास लाख इक्कासी हजार) मात्र का वार्षिक योजना उद्व्यय व्यय के लिए राज्य सरकार द्वारा मूल उद्व्यय ₹ 304.0681 (तीन अरब चार करोड़ छः लाख इक्कासी हजार) को संशोधित कर निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा उक्त निर्धारित उद्व्यय को तीनों निदेशालयों यथा पशुपालन, गव्य एवं मत्स्य के बीच क्रमशः ₹ 166.72 (एक अरब छियासठ करोड़ बहतर लाख) ₹ 100.00 (एक अरब) तथा : ₹ 71.7781 (एखतर करोड़ सतहतर लाख इक्कासी हजार) व्यय हेतु विभाग द्वारा संशोधित उद्व्यय का निर्धारण किया गया है। उक्त निर्धारित/ संशोधित उद्व्यय के विरुद्ध तीनों निदेशालयों द्वारा कृषि रोड मैप में स्वीकृत योजनाओं एवं कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिसका संक्षिप्त विवरण प्रक्षेत्रवार निम्न प्रकार है :-

वित्तीय वर्ष 2015-16 की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

- ₹ 22.81 (बाईस करोड़ इक्कासी लाख) की लागत पर पशु स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएँ के तहत सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पशुचिकित्सा सेवा पशुपालकों को द्रुत एवं सुलभ रूप से पशु चिकित्सा सेवा एम्बुलेट्री भान के माध्यम से उपलब्ध कराने का कार्य।

- 300 नये प्रथम वर्गीय पशुचिकित्सालयों की स्थापना का पद सहित योजना का अवधि विस्तार।
- संविदा पर नियोजित पशुचिकित्सकों के मानदेय के भुगतान की स्वीकृति।
- राज्य में कार्यरत सभी पशु चिकित्सालयों में पशुओं के जीवन रक्षा हेतु निःशुल्क प्राणरक्षक पशु दवा पशुपालकों को उपलब्ध कराने की स्वीकृति तथा पशु चिकित्सालयों में उपकरण एवं उपस्कर उपलब्ध कराकर पशुपालकों को सुलभ पशुचिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना।
- ₹ 5.19 (पाँच करोड़ उन्नीस लाख) की लागत पर पशु चिकित्सा सेवाएँ के तहत निजी टीकाकर्मियों को मानदेय भुगतान करने की योजना की स्वीकृति।
- पशु चिकित्सालयों में पद स्थापित पशु चिकित्सकों को पशुपालकों के दरवाजे पर पशुचिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु पशु चिकित्सकों को उनके निजी मोटरसाईकिल में इंधन एवं निजी मोबाईल हेतु रिचार्ज कूपन की व्यवस्था।
- NADRS के तहत वेटेरान के माध्यम से संविदा पर कार्यरत 589 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के मानदेय का भुगतान।
- ₹ 2.607 (दो करोड़ साठ लाख सात हजार) मात्र की लागत पर राज्य में कुक्कुट के विकास हेतु बी०पी०एल० परिवारों को अनुदानित दर पर लो-इनपुट प्रजाति के कुक्कुटों का जीविका के स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वितरण।
- ₹ 41.45 लाख मात्र की लागत पर राज्य में इवियन इन्फ्लूएंजा रोग के प्रभावी नियंत्रण हेतु सर्वेक्षण का कार्य एवं उसके नियंत्रण की योजना की स्वीकृति।
- ₹ 120.00 (एक करोड़ बीस लाख) मात्र की लागत पर राज्य में समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना के तहत बकरीपालन-सह-प्रजनन प्रक्षेत्र, मरंगा पूर्णियाँ की योजना की स्थापना का अवधि विस्तार की स्वीकृति।

- ₹ 813.22 (आठ करोड़ तेरह लाख बाईस हजार) मात्र की लागत पर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के पशुपालन प्रक्षेत्रान्तर्गत आधारभूत संरचना का विकास भवन निर्माण विभाग से कराये जाने की स्वीकृति।
- ₹ 262.9973 (दो करोड़ बासठ लाख निनानवे हजार सात सौ तीस) मात्र की लागत पर केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत ब्रुसेलोसिस-सीपी० अन्तर्गत ब्रुसेलोसिस टीकाकरण की योजना की स्वीकृति।
- ₹ 1500.00 (पंद्रह करोड़) मात्र की लागत पर एफ०एम०सी०पी० के तहत पशुओं को एफ०एम०डी० रोग से बचाव हेतु एफ०एम०डी० टीकाकरण योजना की स्वीकृति।
- ₹ 224.93 (दो करोड़ चौबीस लाख तिरानवे हजार) मात्र की लागत पर ई०एस०भी०एच०डी० के तहत चैस्ट कूलर के क्रय की योजना की स्वीकृति।
- ₹ 2129.988 (इक्कीस करोड़ उनतीस लाख अनठानवे हजार आठ सौ) मात्र की लागत पर पशु रोगों के नियंत्रण के तहत राज्यों की सहायता की योजना की स्वीकृति।
- ₹ 1.00 (एक करोड़) मात्र की लागत पर राज्य में पशु विज्ञान, गव्य विज्ञान एवं मत्स्य तकनीक के अध्ययन एवं शोध कार्य हेतु **"Bihar University of Animal Science & Technology"** की स्थापना विधेयक-2015 स्वीकृति हेतु प्रस्तावित।
- पशु स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक-31 मार्च 2015 से 10 मई 2015 तक एफ०एम०डी०-सीपी० कार्यक्रम के अन्तर्गत 163.15513 (एक करोड़ तिरसठ लाख पंद्रह हजार पाँच सौ तेरह) पशुओं को एफ०एम०डी० संक्रामक रोग से बचाव हेतु टीकाकृत किया गया।
- ₹ 1.75006 (एक करोड़ पचहत्तर लाख छः हजार) मात्र की लागत पर केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण की योजना की स्वीकृति।

- ₹ 4.8010 (चार करोड़ अस्सी लाख दस हजार) मात्र की लागत पर केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन कार्यक्रम योजना का क्रियान्वयन।
- पशुपालकों के दरवाजे तक पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने की योजना के तहत राज्य में स्थापित प्रथमवर्गीय पशु चिकित्सालयों/ औषधालयों में से 478 नये भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण।
- **समग्र गव्य विकास योजना :-**
राज्य सरकार द्वारा राज्य में डेयरी इकाई की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल ₹ 61.68 करोड़ (रुपये इकसठ करोड़ अड़सठ लाख) मात्र की लागत पर समग्र गव्य विकास योजना की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान की गई है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के सामान्य वर्ग के कृषकों/ बेरोजगार युवक-युवतियों को 50 % अनुदान तथा अनुसूचित जाति/ जनजाति को उनके आर्थिक समृद्धि हेतु डेयरी इकाई की स्थापना के लिए 75 % अनुदान देकर 2 एवं 5 दुधारू मवेशी की डेयरी इकाई की स्थापना हेतु प्रोत्साहित करना है।
- **प्रशिक्षण एवं प्रसार की योजना (सामान्य) :-**
वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल ₹ 85.00 लाख (रुपये पचासी लाख) मात्र के अनुमानित लागत पर 870 दुग्ध उत्पादकों/ समिति के सदस्यों को गव्य विज्ञान में प्रशिक्षण राज्य के बाहर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आनंद, (गुजरात) एवं राज्य के अन्दर दीप नारायण सिंह सहकारी संस्थान, पटना तथा कम्फेड, पटना में प्रदान करने तथा 1444 दुग्ध समितियों में दुग्ध उत्पादन प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

- विशेष अंगीभूत योजना के तहत अनु० जाति/जनजाति के सदस्यों को गव्य विज्ञान में प्रशिक्षण :-

₹ 46.50 लाख (रुपये छियालीस लाख पचास हजार) मात्र के लागत व्यय पर विशेष अंगीभूत योजना के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति के 870 सदस्यों को राज्य के अन्दर स्थित लब्ध प्रतिष्ठित संस्थानों यथा दीप नारायण सिंह सहकारी प्रबंध संस्थान पटना एवं कम्फेड, पटना में गव्य विज्ञान तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

- कम्फेड को एन०सी०डी०सी० द्वारा प्राप्त ऋण पर देय सूद की राशि का भुगतान :-

वित्तीय वर्ष 2015-16 में एन०सी०डी०सी० को कम्फेड के माध्यम से अवशेष के रूप में बची मूल ऋण की राशि ₹ 92.43744 करोड़ (रुपये बेंरानवे करोड़ तेतालीस लाख चौहत्तर हजार चार सौ) मात्र पर सूद के रूप में कुल ₹ 11.785736 करोड़ (रुपये ग्यारह करोड़ अठहत्तर लाख सनतावन हजार सात सौ छतीस) मात्र का भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। सूद का भुगतान कम्फेड के माध्यम से एन०सी०डी०सी० को करने हेतु राशि आवंटित किया जा चुका है। एन०सी०डी०सी० से प्राप्त ऋण की राशि से कम्फेड पटना द्वारा दुग्ध संघों/डेयरी इकाईयों में दुग्ध संयंत्र/पशु आहार संयंत्र/दुग्ध पाउडर संयंत्र/आईस्क्रीम संयंत्र स्थापित किया जा रहा है।

- दुग्ध समिति के गठन की योजना :-

राज्य में दुग्ध संग्रहण अभिवृद्धि हेतु स्वयं सहायता समूहों/ समितियों का गठन कर दुग्ध उत्पादन, संग्रहण, शीतलीकरण/ दुग्धारु पशुओं का वितरण, पशु नस्ल सुधार एवं अन्य इनपुट कार्यक्रम के माध्यम से गव्य व्यवसाय को सशक्त करते हुए आमदनी में वृद्धि करना है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹ 315.00 लाख (रुपये तीन करोड़ पन्द्रह लाख) के लागत व्यय पर 1000 दुग्ध समितियों का गठन करने का लक्ष्य है। योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।

➤ दुग्ध संग्रहण केन्द्र की स्थापना :-

ग्रामीण स्तर पर गठित दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों में संग्रहित दूध को सही ढंग से रख-रखाव के लिए दुग्ध संग्रहण केन्द्र का निर्माण किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹ 450.00 लाख (रुपये चार करोड़ पचास लाख) मात्र के लागत व्यय पर 20 इकाई दुग्ध संग्रहण केन्द्र स्थापित किये जाने का लक्ष्य है। योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।

➤ स्वचालित दुग्ध संग्रहण केन्द्र की स्थापना :-

वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल ₹ 1125.00 लाख (रुपये ग्यारह करोड़ पच्चीस लाख) मात्र के लागत व्यय पर 1000 इकाई स्वचालित दुग्ध संग्रहण केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के क्रियान्वयन से ग्रामीण स्तर पर ही संग्रहित दूध की गुणवत्ता की जाँच एवं दूध का शीतलीकरण संग्रहण केन्द्र पर ही हो सकेगा।

इससे आपूर्ति कर्ता द्वारा आपूर्ति किये गये दूध के मूल्य भुगतान में पारदर्शिता होगी।

➤ चीज पैकिंग मशीन की स्थापना :-

वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल ₹ 252.00 लाख (रुपये दो करोड़ बावन लाख) मात्र के लागत व्यय पर एक इकाई चीज पैकिंग मशीन की स्थापना किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के क्रियान्वयन से छोटे-छोटे पैकेट में चीज को पैकिंग कर बाजार के माध्यम से उपभोक्ताओं को सुगम रूप से उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है।

➤ स्वचालित मिल्कींग मशीन की स्थापना :-

वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल ₹ 25.00 लाख (रुपये पचीस लाख) के अनुमानित व्यय पर 200 इकाई स्वचालित मिल्कींग मशीन स्थापित किये जाने का लक्ष्य है। योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के तहत वैसे दुग्ध उत्पादक जो अधिक संख्या में दुधारु मवेशी रखते हों, उन्हें मिल्कींग मशीन उपलब्ध कराये जायेंगे, ताकि वे दुधारु मवेशियों से कम समय में ही दूध निकाल सकें। इस व्यवस्था से मानव शक्ति की भी बचत होगी।

➤ प्रयोगशाला का सुदृढीकरण :-

वित्तीय वर्ष 2015-16 में कम्पेड, पटना मुख्यालय में कुल ₹ 235.00 लाख (रुपये दो करोड़ पैंतीस लाख) के अनुमानित व्यय पर केन्द्रीय प्रयोगशाला के सुदृढीकरण की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इस प्रयोगशाला में राज्य के दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का स्वतंत्र रूप से गुणवत्ता की जाँच किया जा सकेगा।

➤ अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :-

वित्तीय वर्ष 2015-16 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत ली गई योजनाओं का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु कुल ₹ 25.00 लाख (रुपये पच्चीस लाख) की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजनाओं के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन बाह्य एजेन्सी से कराये जायेंगे एवं प्राप्त प्रतिफल से सरकार को अवगत कराया जायेगा।

➤ ₹ 3.00 करोड़ मात्र की लागत पर शत प्रतिशत केन्द्रीय योजनागत योजना के तहत नेशनल प्लान फॉर डेयरी डेवलपमेन्ट अन्तर्गत राज्य के 14 जिलों यथा सारा, शेखपुरा, खगड़िया, दरभंगा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, सीतामढ़ी, पूर्वी एवं पश्चिमी चम्पारण, शिवहर, गोपलगंज एवं सिवान में समेकित गव्य विकास कार्यक्रम की योजनाओं का क्रियान्वयन कम्पेड पटना के माध्यम से क्रियान्वित करने के स्वीकृति।

➤ मत्स्य प्रक्षेत्र के अन्तर्गत ₹ 1.43 (एक करोड़ तैतालिस लाख) मात्र की लागत पर मत्स्य निदेशालय के पुनर्गठन की योजना के तहत डाटावेश-सह-सूचना केन्द्र के पदों का अवधि विस्तार एवं सविदा के आधार पर वाहन चालकों की सेवा प्राप्त करने की स्वीकृति।

➤ ₹ 5.80 (पाँच करोड़ अस्सी लाख) मात्र की लागत पर मत्स्य प्रसार योजना के तहत 5410 मत्स्य पालकों का प्रशिक्षण, योजना के मुल्यांकन

एवं अनुश्रवा तथा मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के 100 पदों का अवधि विस्तार की स्वीकृति।

- ₹ 1.00 करोड़ मात्र की लागत पर मन मत्स्य विकास योजना के तहत सृजित/ स्वीकृत पदों का अवधि विस्तार की स्वीकृति।
- ₹ 37.0058(सैंतीस करोड़ अनठावन हजार) मात्र की लागत पर तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार की योजना के तहत 20 मत्स्य हैचरी, 496.69 हे० नया तालाब निर्माण, 500 ट्यूबवेल एवं पम्प सेट का अधिष्ठापन, 250 हे० आर्द्र जल भूमि का विकास एवं 2870 नाव एवं 2888 फेका जाल वितरण, 18700 हे० जल क्षेत्र में अनुदानित दर पर मत्स्य बीज उत्पादन एवं वितरण तथा 217 चौकिदार शेड के निर्माण की योजना की स्वीकृति।
- ₹ 0.30(तीस लाख) मात्र की लागत पर मत्स्य अनुसंधान योजना के तहत मत्स्य अन्वेषणालय मीठापुर, पटना में सृजित पदों/स्वीकृत पदों का अवधि विस्तार की स्वीकृति।
- ₹ 21.2553 (इक्कीस करोड़ पच्चीस लाख तिरपन हजार) मात्र की लागत पर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति परिवारों को विशेष घटक योजना के तहत 90 प्रतिशत अनुदान पर 522.50 नर्सरी तालाब का निर्माण तथा 1045 ट्यूबवेल एवं पम्प सेट अधिष्ठापन की योजना की स्वीकृति।
- ₹ 1.21(एक करोड़ इक्कीस लाख) मात्र की लागत पर मछुआरों के कल्याण हेतु मछुआ सामुहिक जीवन दुर्घटना बीमा योजना के तहत 3

लाख मछुआरों को समुहिक दुर्घटना बीमा से आच्छादित करने की योजना की स्वीकृति।

- ₹ 13.77 (तेरह करोड़ सतहतर लाख) मात्र की लागत पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत मत्स्य बीज हैचरी का निर्माण, ट्यूबवेल एवं पम्पसेट का अधिष्ठापन, नये तालाब निर्माण तथा मत्स्य आहार वितरण की योजना का क्रियान्वयन।
- ₹ 20.45545(बीस करोड़ पैतालिस लाख चौवन हजार पाँच सौ) मात्र की लागत पर मुख्यमंत्री मत्स्य विकास परियोजना अन्तर्गत राज्य में 50 प्रतिशत अनुदानित दर पर मत्स्य बीज हैचरी का निर्माण, नया तालाब का निर्माण, ट्यूबवेल एवं पम्पसेट का अधिष्ठापन, आर्द्र जल भूमि का विकास तथा सरकारी तालाब के पट्टेदार को नाव व जाल के वितरण की योजना की स्वीकृति।

— ● ● ● —



बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
माननीय मंत्री
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
के
बजट भाषण हेतु सामग्री
2016-17 की प्रस्तावित योजनाएँ एवं कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2016-17 की प्रस्तावित वार्षिक योजना उद्ब्यय,

प्रस्तावित योजनायें एवं कार्यक्रम :-

सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजना, केन्द्रीय योजनागत योजना/केन्द्र प्रायोजित योजना एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु कुल ₹ 30406.81 (तीन अरब चार करोड़ छः लाख इक्कासी हजार) मात्र का वार्षिक योजना उद्ब्यय व्यय हेतु निर्धारित किया गया है। इसमें राज्य योजना के लिए ₹ 27394.81 (दो अरब तिहतर करोड़ चौरानवे लाख इक्कासी हजार) केन्द्र प्रायोजित/ केन्द्रीय योजनागत योजना के लिए केन्द्रांश शेयर ₹ 1807.00 (अठारह करोड़ सात लाख) तथा केन्द्र प्रायोजित योजना का राज्यांश शेयर के लिए ₹ 1205.00 (बारह करोड़ पाँच लाख) निर्धारित है। इस निर्धारित उद्ब्यय में पशुपालन प्रक्षेत्र के लिए ₹ 13500.00 (एक अरब पैतिस करोड़) गव्य प्रक्षेत्र के लिए ₹ 9500.00 (पन्चानवे करोड़) तथा मत्स्य प्रक्षेत्र के लिए ₹ 7406.81 (चौहतर करोड़ छः लाख इक्कासी हजार) व्यय हेतु लक्ष्य निर्धारित किये गये है। इसी प्रकार गैर योजनात्मक योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु वित्तीय

वर्ष 2016-17 में इस विभाग को कुल ₹ 25111.1996 (दो अरब इक्कावन करोड़ ग्यारह लाख उन्निह हजार नौ सौ साठ) का वार्षिक लक्ष्य व्यय हेतु निर्धारित किया गया है। इस निर्धारित उद्व्यय में विभाग के लिए ₹ 199.10 (एक करोड़ निनानवे लाख दस हजार) पशुपालन प्रक्षेत्र के लिए ₹ 21831.97 (दो अरब अठारह करोड़ एकतीस लाख संतानवे हजार) गव्य प्रक्षेत्र के लिए ₹ 936.78 (नौ करोड़ छतीस लाख अठहतर हजार) तथा मत्स्य प्रक्षेत्र के लिए ₹ 2143.3496 (इक्किहस करोड़ तैतालिस लाख चौतिस हजार नौ सौ साठ) व्यय हेतु लक्ष्य निर्धारित है। अर्थात् योजनात्मक योजना एवं गैरयोजनात्मक योजना के लिए कुल ₹ 55518.0096 लाख (05 अरब/ 55 करोड़/ 18 लाख/ 00 हजार/ 9 सौ/60) का वार्षिक योजना उद्व्यय इस विभाग के लिये व्यय हेतु प्रस्तावित है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :-

(राशि ₹ लाख में)

क्र ० सं ०	मुख्य शीर्ष	मैरयोजनात्मक योजना	राज्य योजना के लिए राज्यांश	केन्द्र प्रायोजित योजना का केन्द्रांश	केन्द्र प्रायोजित योजना का राज्यांश	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	2403— पशुपालन	21800.65	11000.00	1500.00	1000.00	35300.65
2	2404— गव्य विकास	936.78	9500.00	0.00	0.00	10436.78
3	2405— मत्स्य पालन	2068.7996	6894.81	307.00	205.00	9475.6096
4	3451 —सचिवालय आर्थिक सेवाएँ	199.10	0.00	0.00	0.00	199.10
5	3454 —पशुगणना	31.32	0.00	0.00	0.00	31.32
6	2415— कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	74.55	0.00	0.00	0.00	74.55
	योग :-	25111.1996	27394.81	1807.00	1205.00	55518.0096

कुल (05 अरब/ 55 करोड़/ 18 लाख/ 00 हजार/ 9 सौ/60) मात्र।

अतः वित्तीय वर्ष 2016-17 में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के तीनों प्रक्षेत्रान्तर्गत गैर योजनात्मक योजनाओं एवं योजनात्मक योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु क्रमशः राशि ₹25111.1996 लाख एवं ₹ 30406.81 लाख अर्थात् कुल ₹ 55518.0096 लाख (05 अरब/ 55 करोड़/ 18 लाख/ 00 हजार/ 9 सौ/60) मात्र का बजट व्यय हेतु स्वीकृति का प्रस्ताव है।

उक्त निर्धारित वार्षिक योजना उद्ध्य के विरुद्ध तीनों निदेशालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में निम्नांकित योजनाएँ क्रियान्वित किये जायेंगे, जिसका प्रक्षेत्रवार विवरण निम्न प्रकार है :-

पशुपालन

- पशुचिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य की योजना के तहत 300 पशुचिकित्सालयों का अवधि विस्तारीकरण एवं पशु चिकित्सा सेवा को पशुपालकों के लिए सुलभ एवं पारदर्शी बनाना।
- समेकित मुर्गी विकास योजना सम्पूर्ण राज्य में क्रियान्वयन तथा पी०पी० मोड पर निजी क्षेत्रों में वृहत्त पैमाने पर ब्रायलर/ लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना पर अनुदान की व्यवस्था।
- समेकित बकरी विकास योजना को सम्पूर्ण राज्य में क्रियान्वयन एवं मरंगा पूर्णियाँ में स्थापित बकरीपालन-सह-प्रजनन प्रक्षेत्र का सुदृढीकरण

तथा निजी क्षेत्रों में पी०पी० मोड पर बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना पर अनुदान की व्यवस्था।

- पशु स्वास्थ्य के तहत राज्य में उपलब्ध पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाव हेतु पशु स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम के तहत वर्ष में दो बार पशुपालकों के दरवाजे पर निःशुल्क टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराना।
- राज्य में देशी नस्ल के गोवंशों का संरक्षण तथा सम्बर्द्धन हेतु राज्य में स्थापित गोशालाओं को सुदृढ़ करते हुये अत्याधुनिक मॉडल गोशाला के रूप में विकसित करने हेतु अनुदान की योजना।
- राज्य में बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना तथा विस्तारीकरण।
- राज्य में पशु चिकित्सा सेवा को पशुपालकों के लिए सहज एवं सुलभ बनाने हेतु 100 (एक सौ) नये अतिरिक्त पशु चिकित्सालयों की स्थापना पद सहित करने का कार्यक्रम।
- कृषि रोड मैप (2012-17) में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पशु कृत्रिम गर्भाधान कार्य के क्रियान्वयन हेतु कृत्रिम गर्भाधान कार्य करने के इच्छुक बेरोजगार व्यक्तियों को प्रशिक्षण एवं कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों के संचालन का कार्य कॉम्पेड, पटना के माध्यम से कराये जाने का कार्यक्रम।
- राज्य, जिला, अनुमंडल एवं प्रखण्ड स्तर पर आउटडोर एवं इन्डोर पशु चिकित्सा सुविधायुक्त पशु चिकित्सालयों की स्थापना।
- पोल्ट्री फेडरेशन की स्थापना।

- राज्य में सूकर विकास को बढ़ावा देने हेतु सूकर अनुसंधान-सह-सूकर पालन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना।
- गरीबों के जीविकोपार्जन हेतु मुर्गी वितरण एवं बकरी वितरण योजनाओं का कार्यान्वयन बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के माध्यम से कराने का कार्यक्रम।

गव्य

- राज्य में दुग्ध व्यवसाय से जुड़े हुये कृषकों, बेरोजगार युवकों-युवतियों, कमजोर वर्ग के मजदूर को ऋण-सह-अनुदान पर डेयरी फार्मिंग के माध्यम से सशक्तिकरण करना तथा उनके लिए रोजगार का अतिरिक्त अवसर का सृजन करना।
- वर्तमान डेयरी प्लांट की क्षमता का विस्तारिकरण एवं सुदृढीकरण।
- राज्य सरकार द्वारा राज्य में समग्र गव्य विकास योजना के तहत डेयरी इकाई की स्थापना हेतु सामान्य वर्ग के कृषकों/ बेरोजगार युवक-युवतियों को 50 प्रतिशत अनुदान तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति को आर्थिक समृद्धि हेतु डेयरी इकाई की स्थापना पर 75 प्रतिशत अनुदान दिये जाने का कार्यक्रम।
- प्रशिक्षण तथा प्रसार की योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों/ समिति के सदस्यों को गव्य विज्ञान में राज्य के बाहर एवं राज्य के अन्दर प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम।

- गव्य तकनीक से संबंधित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम अपना कर गव्य व्यवसाय से जुड़े हुये किसानों को मानव बल संसाधन के रूप में विकसित करने का कार्यक्रम।
- प्रशीतिकरण व्यवस्था को सुदृढीकरण के साथ राज्य में मार्केटिंग नेटवर्क को विस्तारित कर शेष बचे हुये शहरी क्षेत्रों तथा छोटे-छोटे बाजार तक ले जाने का कार्यक्रम।
- दुग्ध उत्पादकों को विभिन्न प्रकार के इनपुट कार्यक्रम यथा पशु स्वास्थ्य, नस्ल सुधार तथा पशु पोषण की सुविधा प्रदान कर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, लागत व्यय में कमी के माध्यम से लाभ पहुंचाने का कार्यक्रम।
- नये आधुनिक डेयरी प्लांट स्थापित करने का कार्यक्रम।

मत्स्य

- राज्य में अविकसित सरकारी तालाबों का नवनिर्माण तथा जीर्णोद्धार करने का कार्यक्रम।
- जल जमाव एवं आर्द्र जनित क्षेत्रों को जल कृषि के अन्तर्गत लाने का कार्यक्रम।
- राज्य में मत्स्य विकास हेतु मुख्यमंत्री मत्स्य विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन।
- मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के सदस्यों तथा निजी मत्स्य पालकों को स्वरोजगार हेतु मत्स्य तकनीक से प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम।

- राज्य के महिलाओं को **महिला सशक्तिकरण** के अन्तर्गत मत्स्य पालन हेतु प्रेरित कर आत्मनिर्भर बनाने का कार्यक्रम।
- राज्य में उपलब्ध जलस्रोतों में तेजी से विकास करने वाले **मत्स्य प्रजाति** का समावेश करने का कार्यक्रम।
- मत्स्य बीज एवं मत्स्य अंगुलिकाओं के उत्पादन में वृद्धि करने की योजना का कार्यान्वयन।
- राज्य में पंगेशियस मछली के विकास हेतु अनुदान की व्यवस्था।
- राज्य में मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हेतु मुख्यमंत्री मत्स्य विकास परियोजनान्तर्गत राज्य में मत्स्य हैचरी के निर्माण नये तालाबों का निर्माण, पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार, ट्यूबवेल एवं पम्पसेट का अधिष्ठापन, आर्द्र जल भूमि का विकास की योजना पर अनुदान की व्यवस्था।
- राज्य के बाहर एवं राज्य के अन्दर मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन में मत्स्य तकनीक का विशेष प्रशिक्षण दिये जाने का कार्यक्रम।
- अनुसूचित जाति/ जनजाति के परिवारों के मत्स्य पालन हेतु प्रेरित करने के लिए अनुदान की व्यवस्था।
- कृषि रोड मैप में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मत्स्य व्यवसाय से जुड़े कृषकों को मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हेतु प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान की व्यवस्था।
- तालाबों में जल की उपलब्धता एवं जल स्तर बनाये रखने हेतु **सोलर-पम्प के अधिष्ठापन** की योजना।

- मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हेतु आर्द्र जल क्षेत्रों का विकास।
- **फिश फेडरेशन** की स्थापना।
- मत्स्य उत्पादन को राज्य में बढ़ावा के लिए **फिश-फीड-मिल उद्योग** की स्थापना।

अतः वित्तीय वर्ष 2016-17 में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के तीनों प्रक्षेत्रान्तर्गत योजनात्मक योजना एवं गैरयोजनात्मक योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु क्रमशः ₹ 304.0681 करोड़ (3 अरब/ 4 करोड़/ 6 लाख/ 81 हजार) एवं ₹ 251.111996 करोड़ (2 अरब/ 51 करोड़/ 11 लाख/ 19 हजार/ 9 सौ/ 60) अर्थात् कुल ₹ 555.180096 करोड़ (₹ 05 अरब/55 करोड़/18 लाख/00 हजार/9 सौ/60) मात्र का बजट व्यय के लिए स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है।

— ● ● ● —



पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
वार्षिक प्रतिवेदन
वित्तीय वर्ष 2015–16 की उपलब्धियाँ

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

परिचय

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। इस विभाग के विकास के बिना राज्य विकास की कल्पना निरर्थक है। यह विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार का अवसर प्रदान कर किसानों/ शिक्षित बेरोजगार युवकों-युवतियों को विकास की मुख्य धारा में शामिल कर उनके आर्थिक एवं सामाजिक समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सर्वविदित है कि राज्य की आबादी का 89 % आबादी प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से पशु एवं मत्स्य संसाधन से जुड़ी हुई है। पशु/ पक्षी/ मत्स्य जन्म के विभिन्न उत्पादों के द्वारा यह राज्य के विकास में अहम योगदान देकर राज्य में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक को न्यूनतम पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने का कार्य करता है। पशुधन/ पक्षी/ मत्स्य की रक्षा एवं दुग्ध तथा मत्स्य उत्पादन की प्रगति के लिए सरकार सतत प्रयत्नशील है। सरकार पशुपालन, गव्य एवं मत्स्य के व्यापक विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है।

पशुपालन का इतिहास वर्ष-1911 से प्रारंभ है जब यह कृषि विभाग का अंग था एवं पशुपालन के नाम से जाना जाता था। कालान्तर में यह विभाग वर्ष-1949 में कृषि विभाग से अलग होकर पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग के रूप में अस्तित्व में आया, तब से यह विभाग अनेक बाधाओं को झेलते हुए विकास के पथ पर अग्रसर रहकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सृदृढीकरण में प्रमुख भूमिका अदा कर रहा है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा इस विभाग का नाम पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग रखा गया है। इसके तहत तीन निदेशालय यथा पशुपालन, गव्य विकास एवं मत्स्य निदेशालय कार्यरत हैं। सरकार इस विभाग के व्यापक विकास हेतु सतत प्रयत्नशील है।

2. वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राप्त वार्षिक योजना उद्व्यय के विरुद्ध प्राप्त विशिष्ट उपलब्धियाँ :-

वित्तीय वर्ष 2015-16 में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को राज्य योजना, केन्द्र प्रायोजित योजना एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु कुल ₹ 338.4981 करोड़ मात्र का वार्षिक योजना उद्व्यय व्यय के लिए राज्य सरकार द्वारा मूल उद्व्यय ₹ 304.0681 करोड़ को संशोधित कर निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा उक्त निर्धारित उद्व्यय को तीनों निदेशालयों यथा पशुपालन, गव्य एवं मत्स्य के बीच क्रमशः ₹ 166.72 करोड़, ₹ 100.00 करोड़ तथा ₹ 71.7781 करोड़ व्यय हेतु विभाग द्वारा संशोधित उद्व्यय का निर्धारण किया गया है। उक्त निर्धारित/ संशोधित उद्व्यय के विरुद्ध तीनों निदेशालयों के द्वारा कृषि रोड मैप में स्वीकृत योजनाओं एवं कार्यक्रमों का सफल कार्यान्वयन किया जा रहा है जिनका संक्षिप्त विवरण प्रक्षेत्रवार निम्न प्रकार है :-

वित्तीय वर्ष 2015-16 की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

- ₹ 22.81 करोड़ की लागत पर पशु स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएँ के तहत सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों को द्रुत एवं सुलभ रूप से पशुचिकित्सा सेवा एम्बुलेट्री भान के माध्यम से उपलब्ध कराने का कार्य।
- 300 नये प्रथम वर्गीय पशुचिकित्सालयों की स्थापना का पद सहित योजना का अवधि विस्तार।
- संविदा पर नियोजित पशुचिकित्सकों के मानदेय के भुगतान की स्वीकृति।
- राज्य में कार्यरत सभी पशु चिकित्सालयों में पशुओं के जीवन रक्षा हेतु निःशुल्क प्राणरक्षक पशु दवा पशुपालकों को उपलब्ध कराने की स्वीकृति तथा पशु चिकित्सालयों में उपकरण एवं उपस्कर उपलब्ध कराकर पशुपालकों को सुलभ पशुचिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना।
- ₹ 5.19 करोड़ की लागत पर पशु चिकित्सा सेवाएँ के तहत निजी टीकाकर्मियों को मानदेय भुगतान करने की योजना की स्वीकृति।

- पशु चिकित्सालयों में पदस्थापित पशु चिकित्सकों को पशुपालकों के दरवाजे पर पशुचिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु उनके निजी मोटरसाइकिल में इंधन एवं निजी मोबाईल हेतु रिचार्ज कूपन की व्यवस्था।
- NADRS के तहत बेल्ट्रान के माध्यम से संविदा पर कार्यरत 589 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के मानदेय का भुगतान।
- ₹ 2.607 करोड़ मात्र की लागत पर राज्य में कुक्कुट के विकास हेतु बी०पी०एल० परिवारों को अनुदानित दर पर लो-इनपुट प्रजाति के कुक्कुटों का जीविका के स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वितरण।
- ₹ 41.45 लाख मात्र की लागत पर राज्य में एवियन इन्फ्लूएंजा रोग के प्रभावी नियंत्रण हेतु सर्वेक्षण का कार्य एवं उसके नियंत्रण की योजना की स्वीकृति।
- ₹ 120.00 लाख मात्र की लागत पर राज्य में समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना के तहत बकरीपालन-सह-प्रजनन प्रक्षेत्र, मरंगा पूर्णियाँ की योजना की स्थापना के अवधि विस्तार की स्वीकृति।
- ₹ 813.22 लाख मात्र की लागत पर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के पशुपालन प्रक्षेत्रान्तर्गत आधारभूत संरचना का विकास भवन निर्माण विभाग से कराये जाने की स्वीकृति।
- ₹ 262.9973 लाख मात्र की लागत पर केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत ब्रुसेल्लोसिस-सी०पी० अन्तर्गत ब्रुसेल्लोसिस टीकाकरण की योजना की स्वीकृति।
- ₹ 1500.00 लाख मात्र की लागत पर एफ०एम०डी०सी०पी० के तहत पशुओं को एफ०एम०डी० रोग से बचाव हेतु एफ०एम०डी० टीकाकरण योजना की स्वीकृति।
- ₹ 224.93 लाख मात्र की लागत पर ई०एस०भी०एच०डी० के तहत चैस्ट कूलर के क्रय की योजना की स्वीकृति।
- ₹ 2129.988 लाख मात्र की लागत पर पशु रोगों के नियंत्रण के तहत राज्यों की सहायता की योजना की स्वीकृति।

- ₹ 1.00 करोड़ मात्र की लागत पर राज्य में पशु विज्ञान, गव्य विज्ञान एवं मत्स्य तकनीक के अध्ययन एवं शोध कार्य हेतु "Bihar University of Animal Science & Technology" की स्थापना विधेयक-2015 स्वीकृति हेतु प्रस्तावित।
- पशु स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक-31 मार्च 2015 से 10 मई 2015 तक एफ०एम०डी०-सी०पी० कार्यक्रम के अन्तर्गत 163.15513 लाख पशुओं को एफ०एम०डी० संक्रामक रोग से बचाव हेतु टीकाकृत किया गया।
- ₹ 1.75006 करोड़ मात्र की लागत पर केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण की योजना की स्वीकृति।
- ₹ 4.8010 करोड़ मात्र की लागत पर केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन कार्यक्रम योजना का क्रियान्वयन।
- पशुपालकों के दरवाजे तक पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने की योजना के तहत राज्य में स्थापित प्रथमवर्गीय पशु चिकित्सालयों/ औषधालयों में से 478 नये भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण।
- समग्र गव्य विकास योजना :-
राज्य सरकार द्वारा राज्य में डेयरी इकाई की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल ₹ 61.68 करोड़ (रुपये इकसठ करोड़ अड़सठ लाख) मात्र की लागत पर समग्र गव्य विकास योजना की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान की गई है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के सामान्य वर्ग के कृषकों/ बेरोजगार युवक-युवतियों को 50 % अनुदान तथा अनुसूचित जाति/ जनजाति को उनके आर्थिक समृद्धि हेतु डेयरी इकाई की स्थापना के लिए 75 % अनुदान देकर 2 एवं 5 दुधारु मवेशी की डेयरी इकाई की स्थापना हेतु प्रोत्साहित करना है।
- प्रशिक्षण एवं प्रसार की योजना (सामान्य) :-
वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल ₹ 85.00 लाख (रुपये पचासी लाख) मात्र के

अनुमानित लागत पर 870 दुग्ध उत्पादकों/ समिति के सदस्यों को गव्य विज्ञान में प्रशिक्षण राज्य के बाहर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आनंद, (गुजरात) एवं राज्य के अन्दर दीप नारायण सिंह सहकारी संस्थान, पटना तथा कम्फेड, पटना में प्रदान करने तथा 1444 दुग्ध समितियों में दुग्ध उत्पादन प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

➤ विशेष अंगीभूत योजना के तहत अनु० जाति/जनजाति के सदस्यों को गव्य विज्ञान में प्रशिक्षण :-

₹ 46.50 लाख (रुपये छियालीस लाख पचास हजार) मात्र के लागत व्यय पर विशेष अंगीभूत योजना के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति के 870 सदस्यों को राज्य के अन्दर स्थित लब्ध प्रतिष्ठित संस्थानों यथा दीप नारायण सिंह सहकारी प्रबंध संस्थान पटना एवं कम्फेड, पटना में गव्य विज्ञान तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

➤ कम्फेड को एन०सी०डी०सी० द्वारा प्राप्त ऋण पर देय सूद की राशि का भुगतान :-

वित्तीय वर्ष 2015-16 में एन०सी०डी०सी० को कम्फेड के माध्यम से अवशेष के रूप में बची मूल ऋण की राशि ₹ 92.43744 करोड़ (रुपये बेरानवे करोड़ तेतालीस लाख चौहत्तर हजार चार सौ) मात्र पर सूद के रूप में कुल ₹ 11.7857360 करोड़ (रुपये ग्यारह करोड़ अठहत्तर लाख सनतावन हजार तीन सौ साठ) मात्र का भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। सूद का भुगतान कम्फेड के माध्यम से एन०सी०डी०सी० को करने हेतु राशि आवंटित किया जा चुका है। एन०सी०डी०सी० से प्राप्त ऋण की राशि से कम्फेड पटना द्वारा दुग्ध संघों/डेयरी इकाईयाँ में दुग्ध संयंत्र/पशु आहार संयंत्र/दुग्ध पाउडर संयंत्र/आईस्क्रीम संयंत्र स्थापित किया जा रहा है।

➤ दुग्ध समिति के गठन की योजना :-

राज्य में दुग्ध संग्रहण अभिवृद्धि हेतु स्वयं सहायता समूहों / समितियों का गठन कर दुग्ध उत्पादन, संग्रहण, शीतलीकरण / दुधारु पशुओं का वितरण, पशु नस्ल सुधार एवं अन्य इनपुट कार्यक्रम के माध्यम से गव्य व्यवसाय को सशक्त करते हुए आमदनी में वृद्धि करना है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹ 315.00 लाख (रुपये तीन करोड़ पन्द्रह लाख) के लागत व्यय पर 1000 दुग्ध समितियों का गठन करने का लक्ष्य है। योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।

➤ दुग्ध संग्रहण केन्द्र की स्थापना :-

ग्रामीण स्तर पर गठित दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों में संग्रहित दूध को सही ढंग से रख-रखाव के लिए दुग्ध संग्रहण केन्द्र का निर्माण किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹ 450.00 लाख (रुपये चार करोड़ पचास लाख) मात्र के लागत व्यय पर 20 इकाई दुग्ध संग्रहण केन्द्र स्थापित किये जाने का लक्ष्य है। योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।

➤ स्वचालित दुग्ध संग्रहण केन्द्र की स्थापना :-

वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल ₹ 1125.00 लाख (रुपये ग्यारह करोड़ पच्चीस लाख) मात्र के लागत व्यय पर 1000 इकाई स्वचालित दुग्ध संग्रहण केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के क्रियान्वयन से ग्रामीण स्तर पर ही संग्रहित दूध की गुणवत्ता की जाँच एवं दूध का शीतलीकरण संग्रहण केन्द्र पर ही हो सकेगा। इससे आपूर्ति कर्ता द्वारा आपूर्ति किये गये दूध के मूल्य भुगतान में पारदर्शिता होगी।

➤ चीज पैकिंग मशीन की स्थापना :-

वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल ₹ 252.00 लाख (रुपये दो करोड़ बावन लाख) मात्र

के लागत व्यय पर एक इकाई चीज पैकिंग मशीन की स्थापना किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के क्रियान्वयन से छोटे-छोटे पैकेट में चीज को पैकिंग कर बाजार के माध्यम से उपभोक्ताओं को सुगम रूप से उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है।

➤ **स्वचालित मिल्कींग मशीन की स्थापना :-**

वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल ₹ 25.00 लाख (रुपये पच्चीस लाख) के अनुमानित व्यय पर 200 इकाई स्वचालित मिल्कींग मशीन स्थापित किये जाने का लक्ष्य है। योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के तहत वैसे दुग्ध उत्पादक जो अधिक संख्या में दुधारु मवेशी रखते हों, उन्हें मिल्कींग मशीन उपलब्ध कराये जायेंगे, ताकि वे दुधारु मवेशियों से कम समय में ही दूध निकाल सकें। इस व्यवस्था से मानव शक्ति की भी बचत होगी।

➤ **प्रयोगशाला का सुदृढीकरण :-**

वित्तीय वर्ष 2015-16 में कम्फेड, पटना मुख्यालय में कुल ₹ 235.00 लाख (रुपये दो करोड़ पैंतीस लाख) के अनुमानित व्यय पर केन्द्रीय प्रयोगशाला के सुदृढीकरण की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्रयोगशाला में राज्य के दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का स्वतंत्र रूप से गुणवत्ता की जाँच किया जा सकेगा।

➤ **अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :-**

वित्तीय वर्ष 2015-16 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत ली गई योजनाओं का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु कुल ₹ 25.00 लाख (रुपये पच्चीस लाख) की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजनाओं के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन बाह्य एजेन्सी से कराये जायेंगे एवं प्राप्त प्रतिफल से सरकार को अवगत कराया जायेगा।

- ₹ 3.00 करोड़ मात्र की लागत पर शत प्रतिशत केन्द्रीय योजनागत योजना के तहत नेशनल प्लान फॉर डेयरी डेवलपमेन्ट अन्तर्गत राज्य के 14 जिलों यथा सारण, शेखपुरा, खगड़िया, दरभंगा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, सीतामढ़ी, पूर्वी एवं पश्चिमी चम्पारण, शिवहर, गोपलगंज एवं सिवान में समेकित गव्य विकास-कार्यक्रम की योजनाओं का क्रियान्वयन कम्पेड पटना के माध्यम से क्रियान्वित करने की स्वीकृति।
- मत्स्य प्रक्षेत्र के अन्तर्गत ₹ 1.43 करोड़ मात्र की लागत पर मत्स्य निदेशालय के पुनर्गठन की योजना के तहत डाटावेश-सह-सूचना केन्द्र के पदों का अवधि विस्तार एवं संविदा के आधार पर वाहन चालकों की सेवा प्राप्त करने की स्वीकृति।
- ₹ 5.80 करोड़ मात्र की लागत पर मत्स्य प्रसार योजना के तहत 5410 मत्स्य पालकों का प्रशिक्षण, योजना के मुल्यांकन एवं अनुश्रवण तथा मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के 100 पदों के अवधि विस्तार की स्वीकृति।
- ₹ 1.00 करोड़ मात्र की लागत पर मन मत्स्य विकास योजना के तहत सृजित/ स्वीकृत पदों के अवधि विस्तार की स्वीकृति।
- ₹ 37.0058 करोड़ मात्र की लागत पर तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार की योजना के तहत 20 मत्स्य हैचरी, 496.69 हे० नया तालाब निर्माण, 500 ट्यूबवेल एवं पम्प सेट का अधिष्ठापन, 250 हे० आर्द्र जल भूमि का विकास एवं 2870 नाव एवं 2888 फेका जाल वितरण, 18700 हे० जल क्षेत्र में अनुदानित दर पर मत्स्य बीज उत्पादन एवं वितरण तथा 217 चौकीदार शेड के निर्माण की योजना की स्वीकृति।
- ₹ 0.30 करोड़ मात्र की लागत पर मत्स्य अनुसंधान योजना के तहत मत्स्य अन्वेषणालय मीठापुर, पटना में सृजित पदों/ स्वीकृत पदों के अवधि विस्तार की स्वीकृति।

- ₹ 21.2553 करोड़ मात्र की लागत पर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति परिवारों को विशेष घटक योजना के तहत 90 प्रतिशत अनुदान पर 522.50 नर्सरी तालाब का निर्माण तथा 1045 ट्यूबवेल एवं पम्प सेट अधिष्ठापन की योजना की स्वीकृति।
- ₹ 1.21 करोड़ मात्र की लागत पर मछुआरों के कल्याण हेतु मछुआ सामुहिक जीवन दुर्घटना बीमा योजना के तहत 3 लाख मछुआरों को समुहिक दुर्घटना बीमा से आच्छादित करने की योजना की स्वीकृति।
- ₹ 13.77 करोड़ मात्र की लागत पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत मत्स्य बीज हैचरी का निर्माण, ट्यूबवेल एवं पम्पसेट का अधिष्ठापन, नये तालाब निर्माण तथा मत्स्य आहार वितरण की योजना का क्रियान्वयन।
- ₹ 20.45545 करोड़ मात्र की लागत पर मुख्यमंत्री मत्स्य विकास परियोजना अन्तर्गत राज्य में 50 प्रतिशत अनुदानित दर पर मत्स्य बीज हैचरी का निर्माण, नया तालाब का निर्माण, ट्यूबवेल एवं पम्पसेट का अधिष्ठापन, आर्द्र जल भूमि का विकास तथा सरकारी तालाब के पट्टेदार को नाव एवं जाल के वितरण की योजना की स्वीकृति।

— —



पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
माननीय मंत्री
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
के
बजट भाषण हेतु सामग्री
2016-17 की प्रस्तावित योजनाएँ एवं कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2016-17 की प्रस्तावित वार्षिक योजना उद्ब्यय, प्रस्तावित योजनायें एवं कार्यक्रम :-

सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजना, केन्द्रीय योजनागत योजना/केन्द्र प्रायोजित योजना एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु कुल ₹ 30406.81 लाख मात्र का वार्षिक योजना उद्ब्यय व्यय हेतु निर्धारित किया गया है। इसमें राज्य योजना के लिए ₹ 27394.81 लाख केन्द्र प्रायोजित/ केन्द्रीय योजनागत योजना के लिए केन्द्रांश शेयर ₹ 1807.00 लाख, तथा केन्द्र प्रायोजित योजना का राज्यांश शेयर के लिए ₹ 1205.00 लाख निर्धारित है। इस निर्धारित उद्ब्यय में पशुपालन प्रक्षेत्र के लिए ₹ 13500.00 लाख, गव्य प्रक्षेत्र के लिए ₹ 9500.00 लाख तथा मत्स्य प्रक्षेत्र के लिए ₹ 7406.81 लाख व्यय हेतु लक्ष्य निर्धारित किये गये है। इसी प्रकार गैर योजनात्मक योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस विभाग को कुल ₹ 25111.1996 लाख का वार्षिक लक्ष्य व्यय हेतु निर्धारित किया गया है। इस निर्धारित उद्ब्यय में विभाग के लिए ₹ 199.10 लाख, पशुपालन प्रक्षेत्र के लिए ₹ 21831.97 लाख, गव्य प्रक्षेत्र के लिए ₹ 936.78 लाख तथा मत्स्य प्रक्षेत्र के लिए ₹ 2143.3496 लाख व्यय हेतु लक्ष्य निर्धारित है। अर्थात् योजनात्मक योजना एवं गैरयोजनात्मक योजना के लिए कुल ₹ 55518.0096 लाख (05 अरब/ 55 करोड़/ 18 लाख/ 00 हजार/ 9 सौ/60) का वार्षिक योजना उद्ब्यय इस विभाग के लिये व्यय हेतु प्रस्तावित है जिसका

संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :-

(राशि ₹ लाख में)

क्र० सं०	मुख्य शीर्ष	गैरयोजनात्मक योजना	राज्य योजना के लिए राज्यांश	केंद्र प्रायोजित योजना का केंद्रांश	केंद्र प्रायोजित योजना का राज्यांश	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	2403—पशुपालन	21800.65	11000.00	1500.00	1000.00	35300.65
2	2404—गाछा विकास	936.78	9500.00	0.00	0.00	10436.78
3	2405—मत्स्य पालन	2068.7996	6894.81	307.00	205.00	9475.6096
4	3451—सचिवालय आर्थिक सेवाएँ	199.10	0.00	0.00	0.00	199.10
5	3454—पशुभण्डा	31.32	0.00	0.00	0.00	31.32
6	2415—कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	74.55	0.00	0.00	0.00	74.55
योग :-		25111.1996	27394.81	1807.00	1205.00	55518.0096

कुल (05 अरब/ 55 करोड़/ 18 लाख/ 00 हजार/ 9 सौ/60) मात्र ।

अतः वित्तीय वर्ष 2016-17 में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के तीनों प्रक्षेत्रान्तर्गत गैर योजनात्मक योजनाओं एवं योजनात्मक योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु क्रमशः राशि ₹25111.1996 लाख एवं ₹ 30406.81 लाख अर्थात् कुल ₹ 55518.0096 लाख (05 अरब/ 55 करोड़/ 18 लाख/ 00 हजार/ 9 सौ/60) मात्र का बजट व्यय हेतु स्वीकृति का प्रस्ताव है ।

उक्त निर्धारित वार्षिक योजना उद्ब्यय के विरुद्ध तीनों निदेशालयों द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में निम्नांकित योजनाएँ क्रियान्वित किये जायेंगे, जिनका प्रक्षेत्रवार विवरण निम्न प्रकार है:-

पशुपालन

- पशुचिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य की योजना के तहत 300 पशुचिकित्सालयों का अवधि विस्तारीकरण एवं पशु चिकित्सा सेवा को पशुपालकों के लिए सुलभ एवं पारदर्शी बनाना।
- समेकित मुर्गी विकास योजना का सम्पूर्ण राज्य में क्रियान्वयन तथा पी०पी० मोड पर निजी क्षेत्रों में वृहत्त पैमाने पर ब्रायलर/ लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना पर अनुदान की व्यवस्था।
- समेकित बकरी विकास योजना का सम्पूर्ण राज्य में क्रियान्वयन एवं मरंगा पूर्णियों में स्थापित बकरीपालन-सह-प्रजनन प्रक्षेत्र का सुदृढीकरण तथा निजी क्षेत्रों में पी०पी० मोड पर बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना पर अनुदान की व्यवस्था।
- पशु स्वास्थ्य के तहत राज्य में उपलब्ध पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाव हेतु पशु स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम के तहत वर्ष में दो बार पशुपालकों के दरवाजे पर निःशुल्क टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराना।
- राज्य में देशी नस्ल के गोवंशों का संरक्षण तथा सम्बर्द्धन हेतु राज्य में स्थापित गोशालाओं को सुदृढ करते हुये अत्याधुनिक मॉडल गोशाला के रूप में विकसित करने हेतु अनुदान की योजना।
- राज्य में बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना तथा विस्तारीकरण।
- राज्य में पशु चिकित्सा सेवा को पशुपालकों के लिए सहज एवं सुलभ बनाने हेतु 100 (एक सौ) नये अतिरिक्त पशु चिकित्सालयों की स्थापना पद सहित करने का कार्यक्रम।
- कृषि रोड मैप (2012-17) में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पशु कृत्रिम गर्भाधान कार्य के क्रियान्वयन हेतु कृत्रिम गर्भाधान कार्य करने के इच्छुक बेरोजगार व्यक्तियों को प्रशिक्षण एवं कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों के संचालन का कार्य कॉम्पेड, पटना के माध्यम से कराये जाने का कार्यक्रम।
- राज्य, जिला, अनुमंडल एवं प्रखण्ड स्तर पर आउटडोर एवं इन्डोर पशु चिकित्सा सुविधायुक्त पशु चिकित्सालयों की स्थापना।

- **पोल्ट्री फेडरेशन की स्थापना।**
- राज्य में सूकर विकास को बढ़ावा देने हेतु सूकर अनुसंधान-सह-सूकर पालन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना।
- गरीबों के जीविकोपार्जन हेतु मुर्गी वितरण एवं बकरी वितरण योजनाओं का कार्यान्वयन बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के माध्यम से कराने का कार्यक्रम।

गव्य

- राज्य में दुग्ध व्यवसाय से जुड़े कृषकों, बेरोजगार युवकों-युवतियों, कमजोर वर्ग के मजदूरों को ऋण-सह-अनुदान पर डेयरी फार्मिंग के माध्यम से सशक्तिकरण करना तथा उनके लिए रोजगार का अतिरिक्त अवसर का सृजन करना।
- वर्तमान डेयरी प्लांट की क्षमता का विस्तारिकरण एवं सुदृढीकरण।
- राज्य सरकार द्वारा राज्य में समग्र गव्य विकास योजना के तहत डेयरी इकाई की स्थापना हेतु सामान्य वर्ग के कृषकों/बेरोजगार युवकों-युवतियों को 50 प्रतिशत अनुदान तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को आर्थिक समृद्धि हेतु डेयरी इकाई की स्थापना पर 75 प्रतिशत अनुदान दिये जाने का कार्यक्रम।
- प्रशिक्षण तथा प्रसार की योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों/ समिति के सदस्यों को गव्य विज्ञान में राज्य के बाहर एवं राज्य के अन्दर प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम।
- गव्य तकनीक से संबंधित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम अपना कर गव्य व्यवसाय से जुड़े हुये किसानों को मानव बल संसाधन के रूप में विकसित करने का कार्यक्रम।
- प्रशीतिकरण व्यवस्था को सुदृढीकरण के साथ राज्य में मार्केटिंग नेटवर्क को विस्तारित कर शेष बचे हुये शहरी क्षेत्रों तथा छोटे-छोटे

बाजार तक ले जाने का कार्यक्रम।

- दुग्ध उत्पादकों को विभिन्न प्रकार के इनपुट कार्यक्रम यथा पशु स्वास्थ्य, नस्ल सुधार तथा पशु पोषण की सुविधा प्रदान कर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, लागत व्यय में कमी के माध्यम से लाभ पहुँचाने का कार्यक्रम।
- नये आधुनिक डेयरी प्लांट स्थापित करने का कार्यक्रम।

मत्स्य

- राज्य में अविकसित सरकारी तालाबों का नवनिर्माण तथा जीर्णोद्धार करने का कार्यक्रम।
- जल जमाव एवं आर्द्र जनित क्षेत्रों को जल कृषि के अन्तर्गत लाने का कार्यक्रम।
- राज्य में मत्स्य विकास हेतु मुख्यमंत्री मत्स्य विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन।
- मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के सदस्यों तथा निजी मत्स्य पालकों को स्वरोजगार हेतु मत्स्य तकनीक से प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम।
- राज्य के महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत मत्स्य पालन हेतु प्रेरित कर आत्मनिर्भर बनाने का कार्यक्रम।
- राज्य में उपलब्ध जलस्रोतों में तेजी से विकास करने वाले मत्स्य प्रजाति का समावेश करने का कार्यक्रम।
- मत्स्य बीज एवं मत्स्य अंगुलिकाओं के उत्पादन में वृद्धि करने की योजना का कार्यान्वयन।
- राज्य में पंगेशियस मछली के विकास हेतु अनुदान की व्यवस्था।
- राज्य में मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हेतु मुख्यमंत्री मत्स्य विकास परियोजनान्तर्गत राज्य में मत्स्य हैचरी के निर्माण, नये तालाबों का निर्माण, पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार, ट्यूबवेल एवं पम्पसेट का

अधिष्ठापन, आर्द्र जल भूमि का विकास की योजना पर अनुदान की व्यवस्था।

- राज्य के बाहर एवं राज्य के अन्दर मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन में मत्स्य तकनीक का विशेष प्रशिक्षण दिये जाने का कार्यक्रम।
 - अनुसूचित जाति/ जनजाति के परिवारों के मत्स्य पालन हेतु प्रेरित करने के लिए अनुदान की व्यवस्था।
 - कृषि रोड़ मैप में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मत्स्य व्यवसाय से जुड़े कृषकों को मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हेतु प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान की व्यवस्था।
 - तालाबों में जल की उपलब्धता एवं जल स्तर बनाये रखने हेतु सोलर-पम्प के अधिष्ठापन की योजना।
 - मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हेतु आर्द्र जल क्षेत्रों का विकास।
 - फिश फेडरेशन की स्थापना।
- मत्स्य उत्पादन को राज्य में बढ़ावा के लिए फिश-फीड-मिल उद्योग की स्थापना।

अतः वित्तीय वर्ष 2016-17 में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के तीनों प्रक्षेत्रान्तर्गत योजनात्मक योजना एवं गैरयोजनात्मक योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु क्रमशः ₹ 304.0681 करोड़ (3 अरब 4 करोड़/ 6 लाख/ 81 हजार) एवं ₹ 251.111996 करोड़ (2 अरब/ 51 करोड़/ 11 लाख/ 19 हजार/ 9 सौ/ 60) अर्थात् कुल ₹ 555.180096 करोड़ (₹ 05 अरब/ 55 करोड़/ 18 लाख/ 00 हजार/ 9 सौ/ 60) मात्र का बजट व्यय के लिए स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है।

— —

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

विधानमंडलीय बजट सत्र के दौरान माननीय विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाले वक्तव्य हेतु विशेष भाषण सामग्री :-

बजट 2016-17 (नई पहल)

❖ **राज्य, जिला, अनुमण्डल एवं प्रखण्ड स्तर पर 24 घंटा पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था :-**

राज्य सरकार द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना में इंडोर, ऑउटडोर, आपातकालीन सेवा के साथ पशु चिकित्सा पॉली क्लिनिक की स्थापना कर पशुपालकों को 24 घंटे पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराया जाए। चिकित्सा के लिए भर्ती किये जाने वाले पशुओं के लिए चारा/पानी की व्यवस्था की जायेगी। इसी प्रकार सभी जिला एवं अनुमण्डल में विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों की सेवा एवं पैथोलॉजिकल जाँच की सुविधा के साथ 24 घंटों एवं सप्ताह के सातों दिन पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

❖ **बिहार पशुधन विकास अभिकरण (बी०एल०डी०ए०) का सुदृढीकरण :-**

राज्य सरकार द्वारा बिहार पशुधन प्रजनन नीति के अनुसार बी०एल०डी०ए०, पटना को उच्चतम गुणवत्ता के सौंद का पालन एवं कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से सफल क्रियान्वयन हेतु सुदृढीकरण का कार्य किया जा रहा है ताकि बिहार पशुधन विकास अभिकरण (बी०एल०डी०ए०), पटना शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण के साथ उन्हें स्वरोजगार हेतु संसाधन उपलब्ध करा सके। साथ ही प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कर्मों द्वारा पशुओं में उत्पन्न होने वाले बांझपन की शिकायत को दूर किया जा सकेगा।

❖ पशुपालन विद्यालय डुमरौव का सुदृढीकरण :-

पशुपालन विद्यालय डुमरौव में पशुधन सहायकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम को चालू किये जाने की योजना है, जिसमें पशुधन सहायक संवर्ग के अप्रशिक्षित कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। इससे उनके तकनीकी ज्ञान की वृद्धि और कार्य कुशलता बढ़ेगी। साथ ही **Skill Development** कार्यक्रम के तहत पाराभेट (Paravet) के प्रशिक्षण की भी योजना पर कार्य किया जा रहा है।

❖ बकरी पालन-सह-प्रजनन प्रक्षेत्र, मरंगा, पूर्णियाँ का सुदृढीकरण :-

प्रक्षेत्र में वर्तमान में बकरी पालन एवं प्रजनन का कार्य किया जा रहा है। राज्य में बकरी पालन को और बढ़ावा देने तथा उन्नत नस्ल के बकरी/ बकरा वितरण कर गरीब पशुपालकों को जीविकोपार्जन के लिए ब्लैक बंगाल के साथ-साथ जमुनापारी, बरबरी और बिटल नस्ल की बकरियों का प्रजनन संवर्धन कर पशुपालकों के बीच वितरण करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है।

❖ पशुपालन के क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है कि यदि महिलाएँ उपचार हेतु पशुओं को ईलाज के लिए अस्पताल ले जाती हैं तो ईलाज का निबंधन शुल्क माफ कर दिया जाएगा।

इसके के साथ ही पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान के लिए सरकार द्वारा सामान्य जाति के लोगों के लिए 40 रुपये (चालीस रुपये) तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 25/-(पच्चीस) रु० निर्धारित है। सरकार महिलाओं को प्रोसाहित करने के लिए इस कार्य के लिए महिला पशुपालकों से 20/-(बीस) रु० निर्धारित करने का विचार कर रही है।

- ❖ पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभागीय योजनाओं के माध्यम से उनके आर्थिक एवं सामाजिक समृद्धि हेतु अनेक कार्यक्रम संचालित कर रहा है ताकि राज्य की महिलाएँ **Skill Development** के साथ स्वरोजगार हेतु प्रवृत्त हो सकें।
- ❖ दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भी महिलाएँ महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। वर्तमान में राज्य में कुल 1609 (एक हजार छः सौ नौ) महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति गठित हैं। इस समिति के अन्तर्गत कुल 1.63209 (एक लाख तिरसठ हजार दो सौ नौ) महिलाएँ दुग्ध उत्पादन का कार्य कर अपने आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करते हुए राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। **वित्तीय वर्ष 2016-17 में महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति की संख्या बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा कदम उठाया जा रहा है।**

इसके अलावे गव्य विकास निदेशालय द्वारा वित्तीय वर्ष-2014-15 में 566 एवं वित्तीय वर्ष-2015-16 में 360 महिला डेयरी कृषकों को पशु प्रबंधन एवं विभिन्न प्रकार के दुग्ध उत्पाद के निर्माण हेतु 6 दिवसीय प्रशिक्षण राज्य के अन्दर डी0 एन0 एस0 क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान, पटना में प्रदान की गई है। इस वित्तीय वर्ष में भी महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु पशु प्रबंधन एवं विभिन्न प्रकार के दुग्ध उत्पाद के निर्माण हेतु प्रशिक्षण देने की कार्रवाई सरकार के स्तर से की जा रही है।

- ❖ भारतीय संस्कृति की धरोहर एवं कृषि प्रधान देश का रीढ़ गोवंश है। प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों द्वारा गौशाला की स्थापना की गई थी, जिसमें अस्वस्थ, अपंग, बुढ़ी गौवंश का संरक्षण किया जाता था।

वर्तमान समय में गौशाला को जीवित रखने हेतु सरकार की ओर से सहायक अनुदान की राशि दी जा रही है, जिस राशि से गौशाला के जीर्णोद्धार हेतु आधारभूत संरचना का निर्माण, देशी गौवंश का संरक्षण एवं संवर्धन के साथ ही ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हेतु गोबर गैस संयंत्र की स्थापना एवं भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने हेतु वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण किया जा रहा है।

सरकार की मंशा है कि गौशाला को चारा का उत्पादन केन्द्र एवं किसानों के प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित करना, आपदा के समय चारा के भंडारण केन्द्र एवं गोमूत्र-गोबर से औषधि का निर्माण केन्द्र के रूप में विकसित किया जाय। इसके लिए सरकार के स्तर से प्रयास किये जा रहे हैं।

❖ कोलेस्ट्रॉलमुक्त घी :-

स्वास्थ्य कारणों से चिकित्सकों द्वारा कम कोलेस्ट्रॉल के सेवन की सलाह दी जाती है क्योंकि यह धमनियों में एकत्रित हो जाने के कारण हृदय रोग का कारक बनता है। इस कारण लोग चाह कर भी साधारण घी का सेवन नहीं कर पाते हैं। कॉम्फेड की पटना स्थित डेयरी द्वारा नेशनल डेयरी रिसर्च इन्स्टीट्यूट, करनाल से कोलेस्ट्रॉलमुक्त घी उत्पादन की तकनीक प्राप्त कर इसका निर्माण आरंभ करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की गई है। शीघ्र ही इसे बाजार में उपभोक्ताओं हेतु उतारा जाएगा। यह 200 ग्राम एवं 500 ग्राम के कंटेनर पैक में उपलब्ध होगा।

❖ दुग्ध चूर्ण का उपभोक्ता पैक :-

कॉम्फेड की चार डेयरीयों में दुग्ध चूर्ण बनाने के संयंत्र स्थापित हैं जिनमें से सबसे बड़ा 30 मी० टन दैनिक क्षमता का संयंत्र नालन्दा डेयरी, बिहारशरीफ में स्थापित है। इस संयंत्र में स्थापित संयंत्र द्वारा वर्तमान में मात्र 200 ग्राम एवं 500 ग्राम कार्टन उपभोक्ता पैक में दुग्ध चूर्ण उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य में दुग्ध चूर्ण उत्पादन की पर्याप्त क्षमता को देखते हुए अब नालन्दा डेयरी में 3 ग्राम से 1000 ग्राम के छोटे बड़े पाउच पैक में दुग्ध चूर्ण (Tea Whitener) को पैक करने का संयंत्र स्थापित किया जा रहा है ताकि उपभोक्ता को इसे सुगमता से उपलब्ध कराया जा सके। इसका निर्माण कर इसे किराना की खुदरा दुकानों के माध्यम से आम उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त 100 ग्राम, 200 ग्राम एवं 500 ग्राम के पाउच पैक में आम उपभोक्ता हेतु डेयरी व्हाइटनर पटना डेयरी द्वारा तैयार कर शीघ्र बाजार में उपलब्ध करा दिया जाएगा।

❖ बाल सुधा :-

वर्ष 2015-16 में कराये गए नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे-4 के अनुसार बिहार में 43.9 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं एवं 7 प्रतिशत बच्चे गंभीर कुपोषण के शिकार हैं। ये 7 प्रतिशत बच्चे "सिवियरली एक्यूट मालन्यूट्रीशन" (Severely Acute Malnutrition, SAM) के शिकार हैं जिसके कारण इन बच्चों को नियमित भूख नहीं लगती एवं उनकी सामान्य भोजन को पचाने की क्षमता समाप्त हो गई है। इन सैम प्रभावित

बच्चों का कुपोषण से निजात दिलाने के लिए एक विशेष आहार बाल-अमूल के तर्ज पर "बाल-सुधा" के उत्पादन का प्रयास किया जा रहा है जिसमें कुपोषित बच्चों के लिए दुग्ध चूर्ण के साथ आवश्यक प्रोटीनयुक्त पोषकतत्व, खनिज एवं विटामिन का समावेश होगा। यह बाल-सुधा नामक आहार कॉम्फेड की पटना स्थित डेयरी में राष्ट्रीय संस्थानों के तकनीकी सहयोग से तैयार करने की योजना है। एक पाईलट योजना के रूप में इसके परिणामों का आकलन कर राज्य में गंभीर कुपोषण से शिकार बच्चों को इसे उपलब्ध कराया जा सकेगा।

- ❖ आगामी वित्तीय वर्ष में सुधा को एक ब्राण्ड के रूप में और मजबूती प्रदान करने एवं छोटे शहरों/नगर परिषद/नगर पंचायत स्तर तक अपने बाजार का विस्तार करने की कार्ययोजना कॉम्फेड के द्वारा बनाई जा रही है जिसमें कॉम्फेड के द्वारा अपने संसाधन का भरपूर उपयोग करते हुए अपने उत्पादों के विपणन करने एवं बाजार में प्रतिस्पर्धा के अनुसार बाजार प्रबंधन पर बल दिया जाएगा।
- ❖ राज्य सरकार द्वारा पहली अप्रैल 16 से देशी शराब के बिक्री पर रोक लगाये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के आलोक में 1966 देशी शराब अनुज्ञप्ति धारियों को कॉम्फेड द्वारा सुधा दूध के विपणन हेतु एकरारनामा के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसके विरुद्ध 306 देशी शराब विक्रेता द्वारा कॉम्फेड के उत्पाद को बेचने के लिए मौखिक सहमति जताई गयी है। विभाग/ कॉम्फेड इस कार्य हेतु सतत प्रयत्नशील है, ताकि राज्य में कॉम्फेड उत्पाद का बिक्री पंचायत स्तर तक पहुँचाया जा सके।

❖ केज कल्चर :-

केज कल्चर मछली पालन की विधा है जिसमें जैसे जल संसाधनों का प्रयोग किया जाता है जो सामान्य रूप से सघन मत्स्य पालन के लिए अनुकूल नहीं होते हैं। जलाशय में केज कल्चर के द्वारा मत्स्य उत्पादन को कई गुणा बढ़ाया जा सकता है। राज्य में 26303 (छब्बीस हजार तीन सौ तीन) हेक्टेयर में जलाशय है। इसमें केवल मछली का शिकारमाही होता है। इनमें नई पहल कर केज कल्चर को प्रोत्साहित किया जायेगा। इससे अतिसघन मत्स्य पालन, अधिक संख्या में मछली का संचयन एवं संतुलित आहार का प्रयोग कर मत्स्य उत्पादन में आशातीत वृद्धि की जा सकेगी। आगामी वित्तीय वर्ष में जलाशय का चयन कर पॉयलट प्रोजेक्ट के तहत केज कल्चर विकसति करने की योजना है।

❖ पेन कल्चर -

पेन का हिन्दी में शाब्दिक अर्थ बाड़ा होता है। चौर आदि में वर्षा के दिनोंमें पानी फैलकर उपर तक आ जाता है। इसमें तीन तरफ से बाड़ा लगाया जाता है जो नेट एवं बॉस के स्टीक का होता है। इसका उद्देश्य मछलियों को सीमित जलक्षेत्रों में रोककर रखना है। इसमें मछलियों को परिपूरक आहार भी दिया जाता है जिससे कि कम समय में अधिक से अधिक मत्स्य उत्पादन प्राप्त किया जा सके। राज्य में नौ लाख एकतालीस हजार हेक्टेयर से अधिक में आर्द्र भूमि है। इसे पेन कल्चर के अन्तर्गत लाकर मछली उत्पादन में वृद्धि की जा सकेगी। आगामी वित्तीय वर्ष में चिन्हित चौरों में मत्स्यजीवी सहयोग समिति के माध्यम से पेन कल्चर करने की योजना है। इस प्रकार अतिरिक्त जलक्षेत्रों में सघन मत्स्य पालन की जा सकेगी।

- ❖ तालाबों में जल की उपलब्धता एवं जल स्तर बनाये रखने हेतु सोलर-पंप के अधिष्ठापन की योजना तैयार की जा रही है। 7.5 एचपी0 के सोलर पम्प की अधिष्ठापन हेतु प्राक्कलन एवं योजना तैयार की गई है।
- ❖ मत्स्य उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि हेतु आर्द्र भूमि (Wetland) के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हाजीपुर जिला को पॉयलट प्रोजेक्ट के रूप में चिन्हित करते हुए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद के सहयोग से भी आर्द्र भूमि विकास हेतु कार्रवाई की जा रही है।
राज्य में मत्स्य उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि के लिए फिश-फीड-मिल उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा। कैंटल फीड एवं पोल्ट्री फीड की तरह पॉयलट प्रोजेक्ट के आधार पर फिश फीड मिल स्थापित करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। केन्द्रीय मीठाजल जलकृषि संस्थान, भुवनेश्वर के सहयोग से फिश फीड मिल के उत्पादन हेतु कार्रवाई की जा रही है।
- ❖ राज्य में मछली के उत्पादन में वृद्धि हेतु राज्य सरकार के द्वारा अनेक योजनाएँ चलाई जा रही हैं जिसमें प्रमुख हैं मुख्यमंत्री मत्स्य विकास परियोजना अन्तर्गत अनुदानित दर पर मत्स्य बीज हैचरी, नये तालाब का निर्माण, ट्यूबवेल एवं पम्प सेट का अधिष्ठापन, आर्द्र जलभूमि का विकास, सरकारी तालाब के पट्टेदार का नाव एवं जाल के वितरण की योजना, सरकारी तालाबों को अनुदानित दर पर जीर्णोद्धार एवं चौकीदार शेड का निर्माण, उन्नत नस्ल के मत्स्य अंगुलिकाओं के वितरण की योजना, इन सभी योजनाओं में 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है।

- ❖ राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के विशेष घटक योजना के तहत नर्सरी तालाब का निर्माण एवं तालाबों में सालोभर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु बोरिंग पम्पसेट का अधिष्ठापन की योजना पर 90 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है।
- ❖ मत्स्य पालकों के क्षमता संवर्द्धन हेतु विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण की योजना चलाई जा रही है।
- ❖ विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार बिहार में पहली बार फिश फेडरेशन की स्थापना की जा रही है।
- ❖ बहुत दिनों से मत्स्य पालकों के बीच प्रखण्ड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति में सदस्यता अभियान नहीं चलने के कारण नौजवान इससे वंचित थे। इसलिए प्रखण्ड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति का आधार विस्तृत करने हेतु मत्स्य पालकों के बीच अभियान चलाकर सदस्य बनाने पर सरकार विचार कर रही है।

आपदा एवं पुर्नवास कोसी बेसिन फेज-2 :-

- ❖ कोसी क्षेत्र में आये प्रलयकारी बाढ़ के बाद उस क्षेत्र के पशुपालकों के पुर्नवास हेतु विश्व बैंक के सहयोग से बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना (कोसी-प्द क्रियान्वित की गई थी। इसके सफल क्रियान्वन के फलस्वरूप बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना (कोसी-प्द की कार्ययोजना तैयार की गई है जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से निम्न कार्यक्रम सम्मिलित होंगे:-
- ❖ बकरी पालन-सह-प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना-बकरी मांस एवं दूध उत्पादन में वृद्धि एवं क्षेत्र के लोगों को स्वरोजगार के उद्देश्य से निजी क्षेत्र में बकरी पालन फार्म की स्थापना हेतु रुपये 1.80 (एक लाख अस्सी हजार) प्रति यूनिट की दर से कुल-500 (पाँच सौ) यूनिट हेतु रुपये 900 (नौ सौ लाख) व्यय का प्रस्ताव है।

- ❖ छोटे पशुओं हेतु महिला रिसोर्स पर्सन-छोटे पशुओं यथा-भेड़, बकरी, के टीकाकरण एवं प्राथमिक चिकित्सा हेतु पशु पालकों के द्वारा सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से महिलाओं को प्रशिक्षण देकर एवं आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराकर छोटे पशुओं हेतु महिला रिसोर्स पर्सन के लिए रुपये 25 हजार प्रति यूनिट की दर से पंचायत स्तर पर कुल 973 (नौ सौ तिहतर) यूनिट हेतु रुपये 243.25 (दो सौ तैतालिस लाख पच्चीस हजार) व्यय का प्रस्ताव है।
- ❖ मोबाईल वेटनरी क्लिनिक (एम्बुलेट्री वैन) का सुदृढीकरण-विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र में संचालित 7 मोबाईल वेटनरी क्लिनिक (एम्बुलेट्री वैन) में पोर्टेबल जेनसेट एवं मिनी रेफ्रिजरेटर हेतु रुपये 60 हजार प्रति यूनिट की दर से कुल 7 यूनिट हेतु रुपये 4.20 (चार लाख बीस हजार) व्यय का प्रस्ताव है। 7-मोबाईल वेटनरी क्लिनिक (एम्बुलेट्री वैन) के परिचालन हेतु आवर्ती व्यय-विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र में संचालित 7 मोबाईल वेटनरी क्लिनिक (एम्बुलेट्री वैन) में पोर्टेबल जेनसेट हेतु इंधन एवं रख-रखाव हेतु रुपये 42 हजार प्रति यूनिट की दर से कुल 7 यूनिट हेतु 4 वर्षों में रुपये 11.76 (ग्यारह लाख छियतर हजार) व्यय का प्रस्ताव है।